

अध्याय – दो

2. सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र, बीरसिंगपुर की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखा परीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

31 मार्च 2015 की स्थिति में, मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अधीन कुल 4320 मेगावाट स्थापित क्षमता के चार विद्युत ताप केन्द्र तथा 915 मेगावाट क्षमता के आठ जल विद्युत केन्द्र हैं। संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र अपने तीन विद्युत गृहों की कुल 1340 मेगावाट क्षमता के साथ प्रमुख ताप विद्युत केन्द्र है, (विद्युत गृह I में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाई, विद्युत गृह क्र. II में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाई तथा विद्युत गृह III में 500 मेगावाट क्षमता की एक इकाई)। संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र (एस. जी.टी.पी.एस.) के संचालन, संधारण, अनुबंध प्रबंधन तथा पर्यावरणीय अनुपालन की समीक्षा से निम्न बिन्दु सामने आए।

विद्युत गृह I

- विद्युत गृह I 2010–11 से 2014–15 के मध्य उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका और यह कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत तक रही। उक्त विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि यह मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.), ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत तथा प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.) के मानकों को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालन मानक जैसे कि उच्च मुख्य भाप तापमान, बॉयलर के सुपर हीटर एवं री-हीटर क्षेत्र में कंपन, निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के कारण भट्टी की अस्थिरता, वार्षिक संधारण कार्य न करने के कारण बॉयलर में मुख्य उपकरणों की अनुचित कार्यप्रणाली तथा विद्युत केन्द्र का कार्य प्रदर्शन सुधारने के लिए गहन पूँजीगत नवीनीकरण एवं आधुनिकरण कार्य न करवाने के कारण हुआ।

- इसके परिणाम स्वरूप, ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम. टी. कोयले, ₹ 41.63 करोड़ मूल्य के 9573.490 कि. ली. इंधन तेल, ₹ 63.51 करोड़ मूल्य की 212.784 एम. यू. सहायक ऊर्जा की खपत अधिक हुई एवं 2010–11 से 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा पारित ₹ 379.20 करोड़ की स्थायी लागत की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 एवं 2.1.13)

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान तल राखड़ में 1.15 प्रतिशत से 14.80 प्रतिशत तथा पलाई राखड़ में 0.35 प्रतिशत से 2.37 प्रतिशत अधिक अधजला कोयला पाया गया। ऐसा, कोयले की बारीकी तथा हवा-ईंधन अनुपात को नियंत्रित करने वाले उपकरणों के अभाव में बॉयलर भट्टी में अनुचित दहन के कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.67 करोड़ मूल्य के 79648.529 एम. टी. कोयले की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.14)

- 20 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने के उपरांत भी री-हीटर नलियों को न बदलने के कारण निरंतर दिक्कतों के फलस्वरूप ₹ 30.45 करोड़ मूल्य की 85.08 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.17)

- विद्युत गृह I एवं II की कोयला मिलों में, बॉयलर में सटीक मात्रा में कोयला प्रदान करने के लिए उपयुक्त ग्रेविमेट्रिक कोयला प्रदायक नहीं लगे थे। इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष ₹ 21.20 करोड़ मूल्य के 1.31 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत हुई ।

(कंडिका 2.1.18)

विद्युत गृह II

- 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II उत्पादन लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका, उत्पादन में 13.98 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत तक की कमी रही । विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा क्योंकि यह आयोग द्वारा स्टेशन हीट रेट, ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत तथा प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.) के परिपेक्ष्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं कर सका । ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालन मानकों जैसे, उच्च भाप तापमान, बॉयलर के सुपर हीटर एवं री-हीटर क्षेत्र में कंपन, निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के कारण भट्टी की अस्थिरता, वार्षिक संधारण कार्यों में विलम्ब के फलस्वरूप बॉयलर उपकरणों का अनुचित कार्य करना तथा विद्युत गृह के प्रदर्शन में सुधार के लिए सघन पूंजीगत नवीनीकरण एवं आधुनिकरण कार्य न किए जाने के कारण हुआ ।

इसके फलस्वरूप 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 276.36 करोड़ मूल्य के 7.57 लाख एम.टी.कोयले, ₹ 39.48 करोड़ मूल्य के 8270.370 कि.ली. ईंधन तेल तथा ₹ 80.91 करोड़ मूल्य के 254.446 एम. यू. सहायक ऊर्जा खपत की अधिक खपत हुई ।

(कंडिका 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25)

- बॉयलर में कोयले की बारीकी तथा दहन को नियंत्रित करने वाला उपकरण न लगा होने के कारण तल एवं फ्लायैश राखड़ में अधजले कोयले की अधिक मात्रा पाई गई । इससे, अधजले कोयले के रूप में ₹ 12.380 करोड़ मूल्य के 32404.596 एम.टी. कोयले की हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.26)

- निवारक तथा नियमित संधारण अनुबंध होने के उपरांत भी 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह-II की कोयला मिलों में बारबार त्रुटियां आती रही । ऐसा, कोयले के प्रवेश द्वार पर लगी छननी का संधारण न होने के कारण बाह्य तत्वों की प्रविष्टि से कोयला पिसाई तत्वों के खराब होने के कारण हुआ । इसके कारण संयंत्र को बंद/निम्न दाव पर चलाना पड़ा जिसके फलस्वरूप ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम.यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.28)

विद्युत गृह-III

- 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह-III उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा यह कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत तक रही । आगे, यह आयोग द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका जिसके फलस्वरूप ₹ 200.25 करोड़ मूल्य के 5.92 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत हुई । यह कोयले की खराब गुणवत्ता तथा बॉयलर संयंत्र के उपकरणों के समय-समय पर असंगत संरक्षण के कारण हुआ ।

(कंडिका 2.1.32 एवं 2.1.33)

- विद्युत गृह की वार्षिक ओवरहॉल को निर्धारित दिनांक से स्थागित करने के फलस्वरूप टरबाइन के अधिक ह्रास हो जाने के कारण वार्षिक ओवरहॉल की अवधि 14 दिन बढ़ानी पड़ी । इसके फलस्वरूप ₹ 63.67 करोड़ मूल्य की 168 एम.यू. विद्युत उत्पादन की हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.37)

• विद्युत गृह-III के बॉयलर में प्रयुक्त टिल्टिंग टैन्जेंशियल फायरिंग सिस्टम के अनुचित संधारण के परिणामस्वरूप जल दीवार नलियों तथा री-हीटर नलियों में परिहार्य रिसाव हुआ। इसके फलस्वरूप ₹ 75.20 करोड़ मूल्य की 220.948 एम.यू. विद्युत की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.39 एवं 2.1.40)

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में अनुबंध प्रबंधन

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र कोयले के साथ प्राप्त बड़े आकार के पत्थरों के विरुद्ध ₹ 3.80 करोड़ की मांग राशि, मेसर्स दक्षिण पूर्वी कोलरीज लिमिटेड से वसूल नहीं सका। साथ ही राशि रु 80 लाख के ब्याज की लंबित मांग राशि ईंधन प्रदाय अनुबंध के अनुसार आरोपित करने में असफल रही।

(कंडिका 2.1.44)

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा कोलरीयों तथा रेलवे से समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया समन्वयन अनुबंध त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि उसमें ठेकेदार की त्रुटियों के लिये उसे उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान नहीं था। उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ठेकेदार की असफलता के कारण संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को ₹ 351.97 करोड़ मूल्य की 1153.540 एम.यू. विद्युत की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.45)

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र भारत सरकार की अधिसूचना (नवम्बर 2009) में निर्धारित 100 प्रतिशत राखड़ उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। पार्टियों के खराब प्रतिसाद के चलते 2010-11 से 2014-15 के दौरान वास्तविक राखड़ उपयोग 57.73 प्रतिशत से 79.89 प्रतिशत रहा। आगे, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन तथा रखरखाव) नियम में दी गई 10 कि.ली. की भण्डारण सीमा के विरुद्ध 31 मार्च 2015 की स्थिति में संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने 30 कि.ली. रेज़िन तथा 16 कि.ली. ल्यूब तेल खतरनाक अपशिष्ट को नष्ट न करते हुए, भण्डारण कर रखा था।

(कंडिका 2.1.48 एवं 2.1.49)

परिचय

2.1.1 मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कार्य मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) में निहित है। 31 मार्च 2015 की स्थिति में कम्पनी के अधीन 4320 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के चार ताप विद्युत उत्पादक केन्द्र तथा 915 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के आठ जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं। 2010-11 से 2014-15 के दौरान कम्पनी ने ₹ 25815.56 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, ₹ 27560.77 करोड़ की लागत वहन की तथा ₹ 1745.21 करोड़ की हानि वहन की। कम्पनी की स्थापित क्षमता (ताप व जल दोनों) तथा वित्तीय प्रदर्शन का विवरण **परिशिष्ट 2.1.1** में दिया गया है।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र (एस.जी.टी.पी.एस.)में 1340 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के तीन विद्युत गृह हैं। यह, विद्युत गृह-I जिसमें 1993-94 में सम्मिलित 210 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाइयां हैं, विद्युत गृह-II जिसमें 1998-99 में सम्मिलित 210 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाइयां तथा विद्युत गृह-III जिसमें अगस्त 2008 में सम्मिलित 500 मेगावाट की एक विद्युत उत्पादन इकाई है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र का विद्युत उत्पादन कम्पनी के कुल विद्युत उत्पादन का 40.35 प्रतिशत से 52.26 प्रतिशत के मध्य रहा।

संगठनात्मक संरचना

2.1.2 31 मार्च 2015 की स्थिति में, कम्पनी का प्रबंधन, अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल, जिसमें प्रबंध निदेशक समेत आठ निदेशक हैं, में निहित है ।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र की संचालन गतिविधियों की निगरानी, मुख्य महा प्रबंधक द्वारा की जाती है इनके पाँच सहायक उप मुख्य महा प्रबंधक तथा बीस महा प्रबंधक (जी. एम) विद्युत केन्द्र की रोजमर्रा की संचालन व संधारण गतिविधियों की निगरानी करते हैं । संगठन संरचना **परिशिष्ट 2.1.2** में दी गई है ।

समीक्षा लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 समीक्षा लेखापरीक्षा निम्न बिन्दुओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्पन्न की गई:

- क्या विद्यमान संयंत्र की क्षमता के अधिकाधिक दोहन हेतु योजना तैयार एवं लागू की गई तथा संयंत्र मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त कर पा रहा है ।
- क्या संयंत्र में त्रुटियों को न्यूनतम तथा संयंत्र उपयोगिता को अधिकतम करने हेतु निवारक तथा विभाजक संधारण कार्य समय पर किए गए ।
- क्या क्रय तथा समन्वय हेतु दिए गए ठेकों का प्रभावी व कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया जा रहा है ।
- क्या संयंत्र पर्यावरणीय नियमों तथा वैधानिक बाध्यताओं का अनुपालन का रहा है ।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.4 समीक्षा लेखापरीक्षा हेतु मापदण्ड निम्न स्रोतों से रेखांकित किए गए:

- विद्युत केन्द्रों के संचालन तथा संधारण के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/राज्य शासन/विद्युत नियामक आयोग (केन्द्रीय तथा राज्य) द्वारा जारी नियम/दिशानिर्देश
- विद्युत उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधी, नियम व निर्देश
- कम्पनी की उपज/खरीद नीति के अनुसार निविदा तथा ठेके प्रदाय करने की निर्धारित प्रक्रिया एवं उसका क्रियान्वयन

लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2.1.5 समीक्षा लेखापरीक्षा संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के 2010-11 से 2014-15 की अवधि के प्रदर्शन को सम्मिलित करते हुए सम्पन्न की गई । प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के साथ प्रवेश सम्मेलन 06 अप्रैल 2015 को रखी गई । जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा क्षेत्र पर चर्चा की गई । लेखापरीक्षा के दौरान बोर्ड एजेंडा व मिनिट्स की समीक्षा की गई । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के प्रदर्शन की जांच की गई । संधारण योजनाओं की रचना तथा उन्हें लागू करना एवं पर्यावरणीय अनुपालनों की जांच की गई । प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के साथ निकास सम्मेलन 16 अक्टूबर 2015 को सम्पन्न हुई । सरकार द्वारा प्रदत्त उत्तर तथा निकास सम्मेलन में सरकार के विचार उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए हैं ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 हेतु 44083 एम.यू. का उत्पादन लक्ष्य दिया गया था । यद्यपि वह मात्र 39390.010 एम.यू. ही उत्पादन कर पाया जो कि 4692.990 एम.यू. (10.64 प्रतिशत) कम था। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.3** में दिया गया है। ऐसा मुख्यतः संचालन मानकों को प्राप्त करने हेतु संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग हेतु कार्य योजना बनाने तथा लागू करने, उपकरणों को तय क्षमता पर चलाने योग्य बनाए रखने हेतु नियमित संधारण तथा आगामी कंडिकाओं में चर्चा किए गए अन्य कारणों में संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र की असफलता के कारण हुआ ।

योजना तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ की अकुशल कार्यशैली


2.1.7 संयंत्र के कार्मिक प्रदर्शन की बेहतरी तथा समग्र कुशलता तथा दक्षता प्राप्त करने हेतु योजना बनाने के लिए विद्युत केन्द्र में एक समर्पित योजना तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी थी । यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उक्त प्रकोष्ठ द्वारा कोई भी मुख्य योजना बनाई या लागू नहीं की गई । इसके फलस्वरूप उत्पादन केन्द्र संचालनात्मक समस्याओं का निरंतर सामना करता रहा एवं मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न संचालन मानकों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका । सरकार ने लेखापरीक्षा कंडिका को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि प्रकोष्ठ 21 व्यक्तियों की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध मात्र छः व्यक्तियों के साथ कार्य कर रहा है । अतः प्रकोष्ठ की कार्यशैली में कुछ कमियां हैं ।

सुझाव :

प्रबंधन को संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु कार्य योजनाएं बनाने तथा लागू करने के लिए प्रबंधन प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने के कदम उठाने चाहिए ।

संचालनात्मक प्रदर्शन तथा संधारण कार्य

2.1.8 ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया व सममित आरेख नीचे दिया गया है।



संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत गृह-I, II, III की 2010-11 से 2014-15 की संचालनात्मक प्रदर्शन तथा संधारण कार्यों की समीक्षा में निम्न कमियां पाई गई :-

विद्युत गृह -I

2.1.9 विद्युत गृह (विद्युत गृह-I) में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाईयां सन 1993 व 1994 से कार्यरत है । वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह ने 12148 एम.यू. के लक्ष्य के विरुद्ध 10626.180 एम.यू. ऊर्जा का उत्पादन किया। उत्पादन में लक्ष्य के विरुद्ध कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत रही, जैसा नीचे दर्शाया गया है ।

तलिका 2.1.1

| वर्ष | लक्ष्य (एम.यू.में.) | उत्पादन (एम.यू.) | कमी (%में) |
|---------|---------------------|------------------|------------|
| 2010-11 | 2058 | 1910.80 | 7.15 |
| 2011-12 | 2100 | 2037.70 | 2.97 |
| 2012-13 | 2771 | 2602.07 | 6.10 |
| 2013-14 | 2513 | 2296.13 | 8.63 |
| 2014-15 | 2706 | 1779.48 | 34.24 |
| कुल | 12148 | 10626.18 | |

उक्त विद्युत गृह का संचालनात्मक प्रदर्शन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से निम्न था जैसा नीचे चर्चा की गई है :

अधिक स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.)

2.1.10 स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.), ताप विद्युत केन्द्र की कुशलता को मापने का मापदण्ड है, जो एक किलो वाट (कि.वा.) ऊर्जा के उत्पादन के लिए वांछित ताप को किलो कैलोरी में दर्शाता है । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत गृह I हेतु वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 से 2014-15 के लिए 2700 किलो कैलोरी, 2650 किलो कैलोरी, तथा 2600 किलो कैलोरी क्रमशः का एस.एच.आर. का लक्ष्य निर्धारित किया था । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के एस.एच.आर. लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त वर्षों में ताप दक्ष्यता¹ 31.85 प्रतिशत, 32.45 प्रतिशत तथा 33.08 प्रतिशत होनी चाहिए थी ।

हमने पाया कि (विद्युत गृह I में एस.एच.आर.) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 189.67 किलो कैलोरी से 450.40 किलो कैलोरी अधिक था । अधिक एस.एच.आर. के फलस्वरूप विद्युत गृह I की ताप दक्ष्यता में कमी 2.09 प्रतिशत से 4.89 प्रतिशत के मध्य रही । इसके फलस्वरूप ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत 2010-11 से 2014-15 के दौरान हुई जैसे **परिशिष्ट 2.1.4** में दर्शाया गया है ।

उच्च एस.एच.आर. की वजह, प्रमुख संचालनात्मक मानकों से भटकाव जैसे कि, उच्च मुख्य भाप तापमान, बॉयलर के सूपर हीटर व री-हीटर क्षेत्र में कंपन, भट्टी अस्थिरता, कोयले की खराब गुणवत्ता, पुनर्चक्रित जल का अधिक उपयोग एवं इकाई को आंशिक भार पर चलाना है । ऐसा विद्युत गृह के प्रदर्शन की बेहतरी के लिए पूँजीगत नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्य न करने के अनियमित संधारण कार्यों के कारण बॉयलर के महत्वपूर्ण उपकरणों (प्राथमिक हवा पंखा, इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट पंखा, फोर्सड ड्राफ्ट पंखा, टरबाइन चलित पंप) के अनियमित संचालन के कारण हुआ ।

विद्युत गृह I
संचालनात्मक मानकों से विमुख होने के कारण एस.एच.आर. लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका। जिसके फलस्वरूप ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत हुई ।

¹ यह कुल ताप उत्पादन का वास्तविक ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तन (प्रतिशत में) की गणना में बॉयलर की दक्ष्यता को मापता है ।

आगे, हमने पाया कि कम्पनी ने विद्युत गृह का एस.एच.आर. घटाने व ताप विद्युत केन्द्रों की संचालनात्मक दक्षता को बढ़ाने हेतु अप्रैल 2014 में संचालनीय दिशा निर्देश जारी किए थे । यद्यपि उत्पादन केन्द्र ने वर्ष 2014-15 में भी दिशा निर्देशों को अप्रभावी ढंग से लागू करते हुए अधिक एस.एच.आर. ही दर्ज किया ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह I की इकाईयां बहुत पुरानी है एवं कोष में कमी के कारण मरम्मत व संधारण पर पर्याप्त खर्च/पूँजीगत निवेश नहीं किया जा सका । अतः एस.एच.आर. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा रहा ।

तथ्य शेष है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग संचालनात्मक लक्ष्य निर्धारित करते समय इकाईयों की क्रियाशील स्थिति को ध्यान में रखता है । अतः निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए ।

सुझाव :

प्रबंधन को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित एस.एच.आर. लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारणों को संबोधित करते हुये कार्य योजना का सृजन व क्रियान्वयन करना चाहिए ।

अधिक ईंधन तेल खपत

भट्टी अस्थिरता, बहुधा आउटेज आदि के कारण ₹ 41.63 करोड़ मूल्य के 9573.49 कि. ली. ईंधन तेल की अधिक खपत हुई

2.1.11 ताप उत्पादन केन्द्र, इकाई को चालू करने में सहायता तथा भट्टी/अग्नि के स्थायित्व प्राप्त करने हेतु द्वितीय ईंधन के रूप में ईंधन तेल (भारी ईंधन तेल व हल्का डीजल तेल) का प्रयोग करते हैं । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए विद्युत गृह I हेतु 1.15 मि.लि. प्रति के.डब्ल्यू.एच. का ईंधन तेल खपत का लक्ष्य निर्धारित किया था ।

हमने पाया कि विद्युत गृह I की इकाईयों ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 494.050 कि.ली. से 3512.580 कि. ली. अधिक ईंधन तेल उपभोग किया । इस अवधि में कुल ₹ 41.63 करोड़ मूल्य का 9573.49 कि.ली. अधिक ईंधन तेल उपभोग किया, जैसा कि परिशिष्ट 2.1.5 में वर्णित किया गया है ऐसा मुख्यतः कोयला मिलों में संचालनीय समस्याएं, खराब बंकर पोषण, भट्टी अस्थिरता बहुधा बाध्यकारी आउटेज, हॉट स्टार्ट प्रारंभ आदि कारणों से हुआ । यह, कोलरियों से समन्वय स्थापित करने हेतु अनुबंधित समन्वयक की नियुक्ति के उपरांत भी कोयला खानों से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की अनुपलब्धता, कोयला हैडलिंग संयंत्र की समस्याओं एवं विद्युत गृह में पूँजीगत नवीनीकरण एवं संधारण कार्य न करने के कारण हुआ ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह I की इकाईयां पुरानी है एवं वित्तीय कमी के कारण पूँजीगत संधारण कार्यों हेतु पर्याप्त कोष उपलब्ध न होने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं किया जा सका ।

तथ्य शेष है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग क्रियाशील स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही लक्ष्य निर्धारित करता है । अतः निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिये ।

अधिक सहायक खपत

2.1.12 सहायक खपत, सामान्य सेवाओं/उपकरणों को चलाने हेतु उत्पादक संयंत्र द्वारा आंतरिक रूप से उपयोगित ऊर्जा को दर्शाता है। संयंत्र की कार्मिक क्षमता व बनावट को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग सहायक ऊर्जा खपत का लक्ष्य निर्धारित करता है।

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह I ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से 1.11 प्रतिशत से 3.20 प्रतिशत तक अधिक सहायक ऊर्जा खपत दर्ज की। फलस्वरूप ₹ 63.51 करोड़ मूल्य की 212.784 एम.यू. अधिक सहायक ऊर्जा का उपभोग किया गया जैसा की **परिशिष्ट 2.1.6** में वर्णित है।

वर्ष 2006-07 में मेसर्स इलेक्ट्रिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन (इरडा) द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन (फरवरी 2011) के अनुसार कई सहायक उपकरण अपनी क्षमता से निम्न क्षमता पर कार्य संचालित हो रहे थे जिसके कारण सहायक ऊर्जा का अधिक उपभोग हो रहा है।

हमने पाया कि मेसर्स इरडा द्वारा सहायक ऊर्जा खपत कम करने हेतु दिए सुझावों को जून 2015 तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप कोई देखने योग्य सुधार नहीं हुआ व सहायक ऊर्जा खपत मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग मानकों से अधिक बनी रही।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि पुराने हो जाने के कारण उपकरणों की कार्य कुशलता कम हो गई है व ऊर्जा खपत बढ़ गई है। आगे, वित्तीय कमी के चलते पूंजीगत कार्य, संधारण व सुधार कार्य हेतु कोष उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। अतः मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्राप्त नहीं किया जा सके।

यह तथ्य है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग संयंत्र की कार्यरत स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही संचालन मानक निर्धारित करता है। अतः निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना ही चाहिए।

प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.)

2.1.13 प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.) निर्धारित अवधि में विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्र की उपलब्धता दर्शाता है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह I व विद्युत गृह II हेतु 80 प्रतिशत पी.ए.एफ. का लक्ष्य निर्धारित किया था।

विद्युत गृह की उत्पादन लागत में परिवर्तनशील लागत व स्थायी लागत दोनो सम्मिलित होती है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग प्रबंधन द्वारा प्रदत्त स्थायी लागत के समस्त घटकों के अध्ययोपरांत स्थायी लागत स्वीकृत करता है। जो कि उत्पादन ट्रैरिफ के माध्यम से वर्ष भर में वसूली जा सकती है। यदि, वास्तविक पी.ए.एफ. लक्षित पी.ए.एफ. से कम रहता है तो स्थायी लागत कि वार्षिक वसूली उसी अनुपात में कटौती कर दी जाती है।

पी.ए.एफ. लक्ष्य की अप्राप्ति के कारण मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत में से ₹ 379.20 करोड़ कम वसूली हो सकी।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पी.ए.एफ. लक्ष्य, स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर (एस.एल.डी.सी.)² द्वारा प्रमाणित वास्तविक पी.ए.एफ., मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत तथा वसूली गई वास्तविक स्थायी लागत का विवरण निम्नानुसार है:

तलिका 2.1.2

| वर्ष | विद्युत गृह I एवं II | | | | |
|------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| | पी.ए.एफ. (%) | | स्थायी लागत (₹ करोड़ में) | | |
| | आयोग लक्ष्य | एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रमाणित पी.ए.एफ. | आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत | कम्पनी द्वारा वसूला गया | वसूली में कमी |
| 2010-11 | 80 | 53.96 | 411.87 | 277.78 | 134.09 |
| 2011-12 | 80 | 64.17 | 378.64 | 320.28 | 58.36 |
| 2012-13 | 80 | 72.24 | 429.60 | 387.91 | 41.69 |
| 2013-14 | 80 | 74.86 | 467.94 | 437.90 | 30.04 |
| 2014-15 | 80 | 58.34 | 424.82 | 309.80 | 115.02 |
| कुल | | | 2112.87 | 1733.67 | 379.20 |

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त जानकारी

तलिका 2.1.2 से देखा जा सकता है कि विद्युत गृह I व विद्युत गृह II द्वारा प्राप्त पी.ए.एफ. , लक्षित पी.ए.एफ. का मात्र 53.96 प्रतिशत से 74.86 प्रतिशत ही रहा। इसके फलस्वरूप विद्युत गृह I व विद्युत गृह II के संदर्भ में 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 379.20 करोड़ को स्थायी लागत की कम वसूली हुई। विद्युत गृह I व विद्युत गृह II द्वारा लक्षित पी.ए.एफ. प्राप्त न करने की मुख्य वजह बहुतायत बाध्यकारी आउटटेज थे। विद्युत गृह I व विद्युत गृह II में 231 बाध्यकारी आउटटेजों में 7875 घंटो तथा 247 बाध्यकारी आउटटेजों में 7807 घंटो की क्रमशः हानि हुई। ऐसा बॉयलर के कई महत्वपूर्ण उपकरणों के अनुचित कार्य करने, विद्युत गृह के वार्षिक संधारण कार्यों के अभाव में नलियों में हुये रिसाव, कोयले की अनियमित आपूर्ति आदि कारणों से हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि बाध्यकारी आउटटेजों के अतिरिक्त कोयले की कम आवक भी पी.ए.एफ. में कमी का कारण रही।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि एस.जी.टी.पी.एस. में वांछित गुणवत्ता वाले कोयले की निर्धारित आपूर्ति के लिए समन्वयक नियुक्त किया हुआ है। तथा आयोग संयंत्र की कार्मिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही पी.ए.एफ. लक्ष्य निर्धारित करता है।

तल व फलाई राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा

2.1.14 ताप विद्युत गृहों में कोयला मिलों में पिसा हुआ कोयला नलियों से होता हुआ प्राथमिक हावा के द्वारा भट्टी में पहुंचाया जाता है। कोयले की बारीकी तथा भट्टी में हवा ईंधन अनुपात का असर कोयले के दहन³ तथा भट्टी के प्रदर्शन पर पड़ता है। अतः बॉयलर की अधिकाधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए वांछित बारीक कोयले व हवा-ईंधन अनुपात बनाए रखना आवश्यक हैं वांछित बारीक कोयल व हवा-ईंधन अनुपात न बनाये रखने के फलस्वरूप अनियमित दहन के कारण तल व फलाई राख में अधजले कोयले की मात्रा बढ़ जाती है। विद्युत गृह I में बॉयलर के प्रकार के अनुसार तल राख व फलाई राख में अधजले कोयले की सीमा क्रमशः चार प्रतिशत व एक प्रतिशत है।

² एस.एल.डी.सी. राज्य में विद्युत की उचित अनुसूचना व निकास के लिये उत्तरदायी है तथा यह प्रत्येक विद्युत गृह द्वारा प्राप्त पी.ए.एफ. को प्रमाणित करता है। मध्य प्रदेश में यह ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा संचालित है

³ दहन से तात्पर्य ईंधन की त्वरित ऑक्सीडेशन से है। किसी भी ईंधन का पूर्ण दहन पर्याप्त आक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है।

एस.जी.टी.पी.एस. की रासायनिक प्रतिवेदन में हमने पाया कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान विद्युत गृह I में तल राख में अधजले कोयले का प्रतिशत 1.15 प्रतिशत से 14.80 प्रतिशत तथा फलाई राख में यह 0.35 प्रतिशत से 2.37 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि बॉयलर में दहन उपयुक्त नहीं था।

अनुचित दहन का मुख्य कारण कोयला नलियों से लिए गए नमूनों की मानवीय विश्लेषण पद्धति में अधिक समय लगने के कारण कोयला मिलों की सेटिंग की देरी तथा बॉयलर से निकासित फ्लू गैस में ऑक्सीजन के अनुपात को नियंत्रित करने हेतु लगे आक्सीजन नियंत्रक का खराब प्रदर्शन था।

कोयले की बारीकी को नियंत्रित करने वाले उपकरण के अभाव में बायलर में पूर्ण दहन न होने के कारण तल व फलाई राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा से ₹ 27.67 करोड़ मूल्य के 79648.529 एम. टी. कोयले की हानि।

एस.जी.टी.पी.एस. में अनियमित दहन की समस्या के समाधान हेतु कोयले की बारीकी मापने के लिये लेजर चलित ऑनलाइन कोयला साइजर का परीक्षण किया गया (दिसम्बर 2008) जिसके संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हुए। यद्यपि उक्त उपकरण 2014–15 तक भी एस.जी.टी.पी.एस. में अज्ञात कारणों से खरीदे व लगाये नहीं जा सके। फलस्वरूप ₹ 27.67 करोड़ मूल्य के 79648.529 एम. टी. कोयले की परिहार्य हानि हुई जैसा **परिशिष्ट 2.1.7** में वर्णित है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि एस.जी.टी.पी.एस. में ऑनलाइन कोल साइजर इसलिए नहीं लगाए गए क्योंकि यह देश के किसी भी अन्य ताप विद्युत केन्द्र में नहीं लगाये गए हैं।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि स्वयं कम्पनी ने इस उपकरण को लगाने के उपरान्त ₹ 6.23 करोड़ वार्षिक की बचत की गणना की या (मार्च–नवम्बर 2013)। आगे, उक्त उपकरण का परीक्षण (दिसम्बर 2008) एस.जी.टी.पी.एस. द्वारा सफल पाया गया था।

सुझाव :

प्रबंधन को राख में अधजले कोयले की मात्रा में कमी लाने व कोयले के अधिकतम उपयोग हेतु उक्त उपकरण यथाशीघ्र स्थापित करना चाहिए।

ओवरऑल में विलम्ब के फलस्वरूप उत्पादन हानि

2.1.15 हमने पाया कि विद्युत गृह I की इकाईया बहुत पुरानी हैं व 20 वर्ष तक सेवाएँ देने के बाद भी इनके वार्षिक ओवरऑल में 10 माह का विलम्ब हुआ। (इकाई I में अक्टूबर 2013 से जुलाई 2014 एवं इकाई II में अक्टूबर 2012 से जुलाई 2013) तथा इकाई I 23 बार ठप हुई जिससे ₹ 35.53 करोड़ मूल्य की 108.986 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई तथा इकाई क्रमांक II 11 बार ठप हुई जिससे ₹ 16.62 करोड़ मूल्य की 47.210 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई।

वार्षिक ओवरऑल में हुये विलंब के कारण ₹ 52.15 करोड़ मूल्य की 156.196 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2015) कि इकाइयों का वार्षिक ओवरहाल कई घटकों जैसे इकाई का प्रदर्शन, तकनीकी आवश्यकता तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्पादन क्षमता की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए तय किया जाता है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि इकाइयों की आयु व बारम्बार इकाई ठप होने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ओवरहाल निर्धारित समय पर होना चाहिए।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने कम्पनी को निर्देश दिया कि इकाइयों के प्रदर्शन को सुधारने हेतु वार्षिक ओवरहाल सूची का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

सुझाव :

संयंत्र की आयु व बारंबार ट्रिपिंग्स को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधन को वार्षिक ओवरऑल के निर्धारित कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

कोयला मिलों की बारंबार खराबियों से उत्पादन हानि

2.1.16 बॉयलर भट्टी में वांछित बारीकी के कोयले के निर्बाधित प्रदाय हेतु विद्युत गृह I में 12 कोयला मिले लगाई गई है। इनमें से दो आपातकालीन मिलें हैं।

हमने पाया कि विद्युत गृह I में 2010-11 से 2014-15 के दौरान कोयला मिलें 1008 घंटे खराब रही जिससे ₹ 204.48 करोड़ मूल्य की 658.976 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई। आगे, कोयला मिलों की खराबी के कारण भट्टी की अस्थिरता से उबरने के लिए विद्युत गृह I ने ₹ 12.99 करोड़ मूल्य के 3094.90 कि.ली. ईंधन तेल का अधिक उपभोग किया जैसा **परिशिष्ट 2.1.8** में वर्णित है। विद्युत गृह I में कोयला मिलों हेतु ₹ 3.09 करोड़ के रोकथाम संधारण अनुबंध व ₹ 1.82 करोड़ के नियमित संधारण अनुबंधों के उपरान्त भी ऐसा खराब प्रदर्शन देखने को मिला।

आगे हमने पाया कि 8000 घंटों की अपेक्षित आयु के विरुद्ध कोयला मिलों के पिसाई तत्वों की वास्तविक आयु 2884 से 6464 घंटे ही रही। घिसाई तत्वों के अपरिपक्व निष्फल होने व कोयला मिलों की बहुधा आउटेज का मुख्य कारण कोयला मिलों में बाहरी तत्वों जैसे पत्थर, लौह कण, नट-बोल्ट, बड़े हथौड़े का कोयले के साथ कोयला मिलों में पहुंच जाना है। कोयला मिलों के भौतिक सत्यापन के दौरान हमने पाया कि कोयले के प्रदाय बिन्दु पर लगी छन्नी क्षतिग्रस्त अवस्था में थी जिससे बाहरी सामग्री कोयला फीडर तक आसानी से पहुंच जाती है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह I की कोयला मिले स्थापना के बाद से ही निरंतर संचालित रही है व इनमें से कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे कहा गया कि घिसाई तत्वों की प्राप्त कार्मिक आयु को दृष्टिगत रखते हुए धातुकर्मी में सुधार किया गया है।

सुझाव :

कोयला मिलों के प्रदर्शन में सुधार हेतु प्रबंधन को कोयला मिलों में बाह्य तत्वों के प्रवेश की रोकथाम के लिए कोयले के आदान/प्रदान की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए।

री-हीटर नलियों न बदलने से उत्पादन हानि

2.1.17 री-हीटर नलियाँ बॉयलर दबाव क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग है। विद्युत गृह I की इकाई-I में री-हीटर नलियाँ स्थापना से ही क्रियाशील है (1993) व 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है। हमने पाया कि इकाई-I 2010-11 से 2014-15 के दौरान री-हीटर नलियाँ मे रिसाव के कारण ठप हुई।

हमने आगे पाया कि इकाई-II के शेष आयु आंकलन (आर.एल.ए.) में सलाहकार ने (2007-08) ने पाँच वर्षों में एक बार री-हीटर नलियाँ बदलने का सुझाव दिया था। यद्यपि यह सुझाव इकाई-II में अपनाया गया किन्तु री-हीटर नलियों की जीर्ण अवस्था के उपरान्त भी इकाई-I में नहीं लागू किया गया (जून 2015 की स्थिति में) री-हीटर नलियों को बदलने में देरी का मुख्य कारण एस.जी.टी.पी.एस. में अपनाई गई त्रुटिपूर्ण क्रय व्यवस्था

बायलर में री-हीटर नलियाँ न बदलने के कारण बाध्यकारी आउटेजो से ₹ 30.45 करोड़ मूल्य की उत्पादन हानि हुई

है, जिसके तहत कंपनी के क्रय संहिता (2012-13) के अनुसार प्रथम वाक्ये (सितम्बर 2013) में निविदाएँ आमंत्रित करने के बजाय एक ही पार्टी से ऑफर आमंत्रित किया गया।

इस देरी की अवधि में एस.जी.टी.पी.एस. ने री-हीटर नलियाँ न बदलने से हुए आउटेजो के कारण स्थायी लागत पर ₹ 3.21 करोड़ तथा ₹ 30.45 करोड़ मूल्य की 85.05 एम. यू. की उत्पादन हानि वहन की सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि री-हीटर नलियों को बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है जो कि 2016-17 तक बदल दी जायेंगी।

ग्रेविमैट्रिक कोल फीडर स्थापित न करना

2.1.18 ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की अधिकाधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु बॉयलर भट्टी में प्रदाय के पूर्व कोयले की सही मात्रा का माप करना आवश्यक है। बॉयलर में प्रदत्त कोयले के माप हेतु विद्युत गृह I व II में वाल्यूमैट्रिक कोयला फीडरों की पद्धति स्थापित है, जो कि बॉयलर भट्टी में उपभोग के लिए कोयले की वांछित मात्रा मापने का सटीक तरीका नहीं है। सचिव (ऊर्जा) म. प्र. शासन (अप्रैल 2010) के निर्देशों के अनुपालनार्थ कम्पनी के निदेशक मण्डल ने एस.जी.टी.पी.एस. के विद्युत गृह I व II में माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर (एम.पी.सी.) प्रकार के ग्रेविमैट्रिक कोयला फीडर स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया (सितम्बर 2010)।

विद्युत गृह I व II में ग्रेविमैट्रिक कोल फीडर की स्थापना न करने से ₹ 63.60 करोड़ मूल्य के कोयले का अधिक उपभोग हुआ।

15 वर्ष की अपेक्षित आयु वाले ₹ 30 करोड़ मूल्य के उपकरण का पे-बैक अवधि 18 माह थी। कम्पनी ने इस उपकरण की स्थापना से तीन प्रतिशत वार्षिक अर्थात् ₹ 21.20 करोड़⁴ मूल्य के 130683 एम.टी. कोयले की बचत की गणना की थी। यद्यपि कम्पनी ने जून 2015 की स्थिति में विद्युत गृह I व II में उक्त उपकरण लगाने के आदेश नहीं दिए हैं। फलस्वरूप, ₹ 63.60 करोड़⁵ मूल्य के कोयले की बचत नहीं की जा सकी।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2015) कि एस.जी.टी.पी.एस. में उक्त उपकरण स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। तथ्य रह जाता है कि निदेशक मंडल की स्वीकृति के पाँच वर्ष उपरान्त भी कम्पनी उपकरण स्थापित करने में असफल रही।

सुझाव :

प्रबंधन कम्पनी को कोयले की बड़ी बचत व मात्र 18 माह के पेबैक अवधि को दृष्टिगत रखते हुए ग्रेविमैट्रिक कोयला फीडर तुरंत स्थापित करने चाहिए।

बस बार प्रोटेक्शन प्रणाली स्थापित न करना

2.1.19 विद्युत गृह I व II में उत्पादित विद्युत 220 कि.वा. की बस बार से तथा विद्युत गृह III की विद्युत 400 कि.वा. बस बार⁶ के माध्यम से निकासित होती है। उक्त दोनों बस बार ग्रिड की आवश्यकतानुसार उत्पादित ऊर्जा के हस्तांतरण हेतु एक इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर (आई.सी.टी.) के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

बस बार के किसी एक क्षेत्र में उत्पन्न त्रुटि में समस्त शेष बस बार क्षेत्र की स्व-ट्रिपिंग द्वारा रक्षा हेतु बस बार सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जानी थी। उक्त प्रणाली 400 कि. वा. बस बार में उपलब्ध थी किन्तु 220 कि. वा. बस बार में स्थापित नहीं थी।

⁴ ₹ 21.20 करोड़ (कोयला उपभोग में बचत 130683 एम. टी. x कोयले का मूल्य ₹ 1662 प्रति एम.टी.)

⁵ ₹ 21.20 करोड़ की बचत x 3 वर्ष (2012 से 2015) 18 माह की कार्य पूर्ण अवधि को छोड़कर

⁶ इस प्रतिवेदन में वर्णित बस बार का कार्य वेबसाइट पर उपलब्ध साहित्य 'नेटवर्क प्रोटेक्शन एण्ड ऑटोमेशन गाइड' पर आधारित है।

हमने पाया कि पश्चिमी क्षेत्र लोड डिस्पैच केन्द्र (डब्ल्यू. आर. एल. डी. सी.) 220 कि. वा. बार बस में बस बार सुरक्षा प्रणाली हेतु निवेदन कर रहा था (अक्टूबर 2013) से किन्तु एस. जी.टी.पी.एस. ने अभी तक (जून 2015) 220 कि. वा. बस बार सुरक्षा प्रणाली स्थापित नहीं की।

हमने आगे पाया कि, विद्युत गृह I की इकाई II को प्रज्वलित करते समय 220 कि. वा. बस बार में दुर्घटना हुई (13 नवम्बर 2014) तथा बस बार सुरक्षा प्रणाली के अभाव में 220 कि. वा. बस बार से जुड़े समस्त फीडर ठप हो गए। इसके फलस्वरूप इकाई II 99 घंटों तक बंद रही जिससे ₹ 3.95 करोड़ मूल्य की 10.43 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने कहा कि (सितम्बर 2015) कि बस बार सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है एवं इस वर्ष के अंत तक स्थापित कर ली जावेगी।

संयंत्र व मशीनों के रख-रखाव न करने से आंशिक उत्पादन हानि-

2.1.20 अधिकाधिक संचालनीय दक्षता प्राप्त करने हेतु उत्पादन इकाईयों को पूर्ण भार पर संचालित होना चाहिए। हमने पाया कि विद्युत गृह I ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान आंशिक भार पर संचालित होने के कारण 3392.852 एम.यू.⁷ की उत्पादन हानि वहन की। जैसा **परिशिष्ट 2.1.9** में वर्णित है। उक्त गणना मैरिट ऑर्डर डिस्पैच (एम.ओ.डी.)⁸ प्रणाली के तहत इकाई के बैकिंग डाउन को हटा कर की गई है।

एस.जी.टी.पी.एस. के आंशिक उत्पादन हानि से संबंधित लेखों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि इकाईयों को आंशिक भार पर चलाने के लिए मुख्य कारण, कोयला हैण्डलिंग संयंत्र में बहुधा संचालनीय समस्याएँ, बॉयलर के विभिन्न क्षेत्रों में नलियों में रिसाव, प्रमुख सहायक उपकरणों की खराबी, कोयले का अनुचित भंडारण, फ्लू गैस क्षेत्रों की खराबी डक्टिंग, निम्न वैक्यूम दाब आदि हैं, जो कि परिहार्य हैं। उक्त कारणों से विद्युत गृह I में हुई आंशिक हानि व प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.)⁹ नीचे दिए गए हैं -

तालिका 2.1.3

| वर्ष | आंशिक हानि | | | प्राप्त पी.एल.एफ. | | |
|------------|------------------------------|---|----------|---|--|---------------------------------------|
| | वास्तविक आंशिक हानि (एम.यू.) | उपलब्ध क्षमता के विरुद्ध आंशिक हानि की सीमा (%) | | वास्तविक कार्मिक घंटों के विरुद्ध प्राय पी.एल.एफ. (%) | वास्तविक कार्मिक घंटों के विरुद्ध प्राप्त वास्तविक पी.एल.एफ. (%) | पी.एल.एफ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी (%) |
| | | न्यूनतम | सर्वाधिक | | | |
| 2010-11 | 1052.076 | 23.34 | 54.25 | 81.46 | 51.94 | 29.53 |
| 2011-12 | 704.891 | 17.40 | 42.18 | 77.32 | 55.38 | 21.93 |
| 2012-13 | 658.571 | 16.46 | 34.42 | 91.30 | 70.72 | 20.57 |
| 2013-14 | 433.020 | 20.85 | 27.43 | 34.74 | 62.41 | 20.30 |
| 2014-15 | 604.964 | 20.83 | 39.22 | 67.79 | 48.37 | 19.43 |
| कुल | 3453.522 | | | | | |

हमने देखा कि संयंत्र व मशीनरी के रख-रखाव हेतु एस.जी.टी.पी.एस. में वार्षिक ओवरहाल/पूँजीगत ओवरहाल के अतिरिक्त ₹ 19.55 करोड़ के निरोधात्मक संधारण व नियमित संधारण अनुबंध भी थे। इस संधारण पद्धति के उपरांत भी विभिन्न उपकरणों में

⁷ हानि की गणना समस्त परिहार्य कारणों से कुल आंशिक हानि 3453.522 एम.यू. में से प्रतिवर्ष जुलाई से सितम्बर माह के मध्य प्राप्त खराब कोयले के कारण आंशिक हानि (60.67 एम.यू.) घटा कर की गई है।

⁸ एम.ओ.डी. अर्थात् मैरिट ऑर्डर डिस्पैच के तहत विद्युत केन्द्र की लागत कार्यकुशलता के अनुसार उसे उत्पादन सारणी में स्थान मिलता है। अर्थात् न्यूनतम उत्पादन लागत वाले संयंत्र को प्राथमिकता देते हुए महंगी उर्जा वाले संयंत्र बैकिंग डाउन में बन्द कर दिये जाँएंगे।

⁹ प्लांट लोड फैक्टर दर्शाता है कि विद्युत गृह में कार्यरत इकाई कितनी क्षमता पर चल रही है।

बहुधा समस्याएँ थी जिसके चलते इकाइयों को मजबूरन आंशिक भार पर चलाना पड़ा जिसके फलस्वरूप 3392.582 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि परिहार्य कारणों से होने वाली आंशिक हानि को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सुझाव :

इकाइयों के प्रदर्शन को सुधारने हेतु कम्पनी को आंशिक भार पर इकाइयों के संचालन के लिए उत्तरदायी घटकों को सम्बोधित करना चाहिए।

विद्युत गृह I का समग्र प्रदर्शन

2.1.21 उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी दर्शाती है कि विद्युत गृह I वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका एवं यह कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत के मध्य रही। विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि यह म. प्र. विद्युत नियामक आ. द्वारा निर्धारित मानको को प्राप्त नहीं कर सका तथा उच्च एस. एच. आर., ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत व निम्न पी. ए. एफ. के कारण उक्त अवधि में अधिक खर्च भी वहन किया। ऐसा, उपलब्ध संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग हेतु अपर्याप्त योजना, खराब गुणवत्ता के कोयले, संयंत्र व मशीनरी का अनियमित रख-रखाव, कोयले के सटीक माप हेतु वांछित उपकरण की अनुपलब्धि तथा सामयिक रूप से पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों के न होने के कारण हुआ।

विद्युत गृह II

2.1.22 विद्युत गृह II में 210 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाइयाँ हैं जो सन् 1998 व 1999 से सेवा में हैं। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II ने 13652 एम. यू. के लक्ष्य के विरुद्ध 11016.610 एम. यू. विद्युत उत्पादन किया। उत्पादन में 13.98 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत कमी रही जैसा नीचे दर्शाया गया है -

तालिका 2.1.4

| वर्ष | लक्ष्य (एम. यू. में) | उत्पादन (एम. यू. में) | कमी % |
|---------|----------------------|-----------------------|-------|
| 2010-11 | 3553 | 2144.93 | 39.63 |
| 2011-12 | 2325 | 2499.00 | नहीं |
| 2012-13 | 2944 | 2532.46 | 13.98 |
| 2013-14 | 2566 | 2012.73 | 21.25 |
| 2014-15 | 2274 | 1827.49 | 19.64 |
| योग | 13652 | 11016.61 | |

उक्त विद्युत गृह का प्रदर्शन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से निम्न रहा, जैसा नीचे चर्चा की गई है।

अधिक स्टेशन हीट रेट (एस. एच.आर.)

2.1.23 कंडिका 2.1.10 में की गई चर्चा के अनुरूप, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 से 2014-15 के लिए विद्युत गृह II हेतु 2700 कि. कैल, 2650 कि. कैल व 2600 कि. कैल क्रमशः का एस. एच. आर. का लक्ष्य निर्धारित किया था। म. प्र. विद्युत नियामक आयोग के एस. एच. आर. लक्ष्य के अनुसार उक्त अवधि के दौरान विद्युत गृह II की ताप दक्षता 31.85 प्रतिशत, 32.45 प्रतिशत व 33.08 प्रतिशत होनी चाहिए थी।

हमने पाया कि एस. एच. आर., आयोग द्वारा निर्धारित मानको से अधिक रहा। 2010-11 से 2014-15 के दौरान एस. एच. आर. उपयोगिता आधिक्य 44.18 कि. कैल से 747.61 कि. कैल के बीच रहा जिससे, ताप दक्षता में 0.47 प्रतिशत से 7.39 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसके फलस्वरूप ₹ 276.36 करोड़ मूल्य के 7.57 लाख एम.टी. अधिक कोयले की खपत हुई। जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.10** में वर्णित है।

ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालनीय मानकों से विमुख होने के कारण हुआ जैसा कि कंडिका 2.1.10 में वर्णित है। यह विद्युत गृह के प्रदर्शन को सुधारने हेतु सामयिक पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों तथा वार्षिक संधारण कार्यों के अभाव/विलंब के चलते बॉयलर के महत्वपूर्ण उपकरणों के अनियमित कार्य करने के कारण हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह II की इकाइयाँ पुरानी है अतः एस. एच. आर. मानक प्राप्त नहीं किये जा सके।

तथ्य शेष रह जाता है कि आयोग संचालनीय मानक निर्धारित करते समय इकाइयों की कार्मिक स्थिति को दृष्टिगत रखता है। अतः निर्धारित मानक प्राप्त किया जाना ही चाहिए।

अधिक ईंधन तेल खपत

2.1.24 कंडिका 2.1.11 में की गई चर्चा के अनुरूप, आयोग ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए विद्युत गृह II हेतु एक मि.ली. प्रति यूनिट ईंधन तेल खपत का लक्ष्य निर्धारित किया था।

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह II ने आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से 712.011 कि. ली. से 2549.519 कि. ली. अधिक ईंधन तेल का उपयोग किया। कुल ₹ 39.48 करोड़ मूल्य का 8270.37 कि. ली. ईंधन तेल अधिक उपभोग किया गया जैसा **परिशिष्ट 2.1.11** में वर्णित है। विद्युत गृह II में अधिक ईंधन तेल खपत के लिए वहीं कारक जिम्मेदार है जो **परिशिष्ट 2.1.11** में वर्णित है। यह, कोयला खदानों से उच्च गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त न होने, कोयला हैडलिंग प्लांट समस्याओं, व विद्युत गृह में पूंजीगत सघन नवीनीकरण तथा संधारण कार्यों के अभाव के कारण हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि विद्युत गृह II की इकाइयाँ पुरानी है अतः ईंधन तेल की खपत अधिक हुई।

तथ्य शेष रह जाता है कि आयोग संचालनीय मानक निर्धारित करते समय इकाइयों की कार्मिक स्थिति को दृष्टिगत रखता है। अतः निर्धारित मानक प्राप्त किया जाना ही चाहिए।

अधिक सहायक खपत

2.1.25 कंडिका 2.1.12 में की गई चर्चा के अनुरूप ही, संयंत्र की कार्मिक स्थिति के आधार पर आयोग ने वर्ष 2010-11, 2011-12 से 2012-13, 2013-14 से 2014-15 हेतु विद्युत गृह II में सहायक खपत के लिए 8.25 प्रतिशत, 8 प्रतिशत व 9 प्रतिशत क्रमशः का लक्ष्य निर्धारित किया था।

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II ने सहायक ऊर्जा खपत में 1.95 प्रतिशत से 2.76 प्रतिशत का आधिक्य दर्ज किया जिससे ₹ 80.91 करोड़ मूल्य की 254.446 एम. यू. की अधिक सहायक ऊर्जा का उपभोग हुआ। जैसा **परिशिष्ट 2.1.12** में वर्णित है।

विद्युत गृह II में अधिक सहायक ऊर्जा खपत के लिए वही कारक उत्तरदायी है जो कंडिका 2.1.12 में चर्चित है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा कि (सितम्बर 2015) विद्युत गृह II की इकाइयाँ पुरानी है अतः सहायक ऊर्जा खपत के मानक प्राप्त नहीं किए जा सके।

विद्युत गृह II मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सहायक ऊर्जा संबंधी लक्ष्यो को प्राप्त नहीं कर सका जिसके कारण 254.446 मिलियन ₹ 80.91 करोड़ उर्जा इकाई का अधिक उपभोग हुआ।

तथ्य शेष रह जाता है कि आयोग संचालनीय मानक निर्धारित करते समय इकाइयों की कार्मिक स्थिति को दृष्टिगत रखता है। अतः निर्धारित मानक प्राप्त किया जाना ही चाहिए।

तल पलाई राख में अधिक अधजला कोयला

2.1.26 जैसा कि कंडिका 2.1.14 में चर्चा की गई, हमने एस.जी.टी.पी.एस. की रसायनिक रिपोर्ट की समीक्षा में पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह II में तल राख में अधजले कोयले की मात्रा लक्षित चार प्रतिशत से 3.30 से 12.22 प्रतिशत से अधिक रही तथा पलाई राख में एक प्रतिशत से कम के मानक के विरुद्ध 0.7 प्रतिशत से 2.15 प्रतिशत अधिक रही। इसके लिए वही कारक उत्तरदायी है जिनकी चर्चा कंडिका 2.1.14 में की गई है।

विद्युत गृह II में इस समस्या से उबरने हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित नहीं थे राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा के कारण ₹ 12.38 करोड़ मूल्य के 32404.596 एम. टी. कोयले की परिहार्य हानि हुई जैसा **परिशिष्ट 2.1.13** में वर्णित है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि इस समस्या से निजात पाने के लिए आवश्यक ऑनलाइन कोयला साईजर एस.जी.टी.पी.एस. में इसलिए नहीं लगाए गए क्योंकि वह देश के किसी भी विद्युत केन्द्र में पहले स्थापित नहीं किए गए हैं।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि कंपनी के स्वआंकलन के अनुसार विद्युत गृह II में उक्त उपकरण स्थापित करने से बड़ी बचत की जा सकती है।

वार्षिक ओवरहॉल/पूँजीगत ओवरहाल में विलम्ब से उत्पादन हानि

2.1.27 कंडिका 2.1.15 में की गई चर्चा के ही अनुरूप, विद्युत गृह II में हमने पाया कि इकाइयों की अधिक उम्र व निरंतर संचालन के उपरान्त भी ए.ओ.एच./सी.ओ.एच. में निर्धारित तिथि से विलंब किया गया। इकाई-3 के वार्षिक ओवरहॉल में 18 माह का विलंब हुआ (सितम्बर 2012 से जून 2013 तथा सितम्बर 2014 से मार्च 2015) जिसके कारण इकाई 25 मौकों पर ठप हुई जिसके फलस्वरूप ₹ 84.85 करोड़ मूल्य की 231.321 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई। ऐसे ही, इकाई 4 के वार्षिक ओवरहाल में 20 माह का विलम्ब हुआ (नवम्बर 2011 से जून 2012) तथा अगस्त 2013 से जुलाई 2014 जिससे इकाई 16 बार ठप हुई तथा ₹ 42.56 करोड़ मूल्य की 126.824 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि वार्षिक ओवरहॉल की अनुसूची कंपनी की उत्पादन क्षमता व राज्य की मांग को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इकाइयों की उम्र व बहुधा ट्रिपिंग्स को दृष्टिगत रखते हुए ए. ओ.एच./सी.ओ.एच. निर्धारित समय पर किया जाना ही चाहिए। आगे, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में कंपनी को संयंत्र की आयु को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूची का पालन करने हेतु निर्देशित किया।

कोयला मिलों की बहुधा खराबी से परिहार्य उत्पादन हानि

2.1.28 कंडिका 2.1.16 में की गई चर्चा के अनुरूप, बॉयलर भट्टी में वांछित बारीक कोयले की सतत् प्रदाय हेतु विद्युत गृह II (दो इकाइयाँ) में 14 कोयला मिलें लगाई गई थी। इसमें से चार मिलें आपातकालीन हैं।

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि में विद्युत गृह II की कोयला मिले 1032 घंटे बंद/खराब रही जिससे ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम.यू. की हानि हुई। आगे, निरंतर कोयला मिलों में खराबी से जनित भट्टी अस्थिरता से उबरने के लिए विद्युत गृह II में ₹ 12.84 करोड़ मूल्य के 2540 कि.ली. ईंधन तेल का अधिक उपभोग हुआ, जैसा **परिशिष्ट 2.1.14** में वर्णित है। कोयला मिलों हेतु, ₹ 2.29 करोड़ के निरोधात्मक संधारण

पर्याप्त संधारण अनुबंधों के उपरान्त भी कोयला मिलों में खराबी से ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

अनुबंध तथा ₹ 3.25 करोड़ के नियमित संधारण अनुबंध के उपरांत भी कोयला मिलों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला।

हमने आगे, पाया कि, 8000 घंटों की अपेक्षित आयु के विरुद्ध घिसाई तत्वों ने 3259 से 7636 घंटे ही सेवा दी। कोयला मिलों के खराब प्रदर्शन हेतु कंडिका 2.1.16 में चर्चित कारण ही उत्तरदायी है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि कोयला मिलों के प्रदर्शन बेहतर करने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे।

बस बार सुरक्षा प्रणाली की अनुपलब्धता

2.1.29 कंडिका 2.1.19 के अनुरूप, विद्युत गृह I व II में उत्पादित ऊर्जा के निकास हेतु स्थापित 220 कि. वा. बस बार में बस बार सुरक्षा प्रणाली के अभाव में, नवम्बर 2014 में 220 कि. वा. बस बार में हुई दुर्घटना का असर संपूर्ण बस बार में फैल गया तथा विद्युत गृह II की इकाई 3 व 4, 6 घंटे व 12 घंटे के लिए क्रमशः ठप हो गये थे जिससे ₹ 0.67 करोड़ मूल्य की 1.775 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि वर्षान्त तक बस बार सुरक्षा प्रणाली स्थापित कर ली जावेगी।

संयंत्र मशीनरी के रख-रखाव में कमी से आंशिक उत्पादन हानि

2.1.30 कंडिका 2.1.20 में की चर्चा के अनुरूप, हमने पाया कि, 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II के आंशिक भार पर संचालन के कारण 2692.646 एम. यू.¹⁰ की उत्पादन हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.9** में वर्णित है। उक्त गणना दी गई अवधि के दौरान मैरिट आर्डर डिस्पैच (एम.ओ.डी.) प्रणाली के तहत इकाई के बैकिंग डाउन को अलग रखके की गई है।

इकाई के आंशिक भार पर संचालन के कारण कंडिका 2.1.20 में चर्चित कारणों के समान ही है। विद्युत गृह II आंशिक हानि व प्राप्त प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) नीचे दिये गए हैं।

तालिका 2.1.5

| वर्ष | आंशिक हानि | | | प्राप्त पी.एल.एफ. | | |
|---------|------------------------------|---|----------|--|---|---------------------------------------|
| | वास्तविक आंशिक हानि (एम.यू.) | उपलब्ध क्षमता के विरुद्ध आंशिक हानि की सीमा (%) | | वास्तविक कार्मिक घण्टों के विरुद्ध प्राप्य पी.एल.एफ. (%) | वास्तविक कार्मिक घण्टों के विरुद्ध प्राप्त वास्तविक पी.एल.एफ. (%) | पी.एल.एफ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी (%) |
| | | न्यूनतम | सर्वाधिक | | | |
| 2010-11 | 576.596 | 12.90 | 42.35 | 75.13 | 58.30 | 16.83 |
| 2011-12 | 573.016 | 12.39 | 34.82 | 85.76 | 67.92 | 17.84 |
| 2012-13 | 679.940 | 17.40 | 32.64 | 89.98 | 68.83 | 21.15 |
| 2013-14 | 493.843 | 11.09 | 62.75 | 71.66 | 54.71 | 16.96 |
| 2014-15 | 544.351 | 13.74 | 67.08 | 64.42 | 49.67 | 14.75 |
| कुल | 2867.746 | | | | | |

हमने पाया कि, संयंत्र व मशीनरी के विभिन्न उपकरणों के रख-रखाव हेतु ₹ 51.10 करोड़ के निरोधात्मक व नियमित संधारण अनुबंधों के अतिरिक्त एस.जी.टी.पी.एस. में ए. ओ. एच. /सी.ओ.एच. की व्यवस्था थी। उक्त संधारण पद्धति के उपरान्त भी विभिन्न उपकरणों में बहुधा समस्याओं के चलते इकाईयों को आंशिक भार पर चलाने हेतु बाध्य होना पड़ा, जिससे 2692.646 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई।

¹⁰ हानि की गणना समस्त परिहार्य कारणों से कुल आंशिक हानि 2867.746 एम.यू. में से प्रतिवर्ष जुलाई से सितम्बर माह के मध्य प्राप्त खराब कोयले के कारण आंशिक हानि (175.10 एम.यू.) घटा कर की गई है।

2010-11 से 2014-15 के दौरान इकाई के आंशिक माह पर संचालन से 2692.646 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि आंशिक हानि को कम करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

विद्युत गृह II का समग्र प्रदर्शन –

2.1.31 उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों से यह पता चलता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह II उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न करते हुए 19.64 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत कम उत्पादन कर सका। विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि यह आयोग द्वारा निर्धारित संचालनीय मानकों को प्राप्त नहीं कर सका तथा उच्च एस. एच. आर., ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत व निम्न पी.ए.एफ. दर्ज करते हुए अधिक खर्च वहन किया। पैसा, खराब गुणवत्ता के कोयले, अनियमित रख-रखाव के चलते कोयला मिलों की बहुधा खराबी, बॉयलर में उपयुक्त दहन हेतु कोयले की बारीकी को मापने के लिए आवश्यक उपकरण की अनुपलब्धता तथा सामयिक रूप से पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों न करने के कारण हुआ।

विद्युत गृह III

संचालनीय प्रदर्शन

2.1.32 विद्युत गृह III के अंतर्गत 500 मेगावाट क्षमता की एक इकाई है जो, 2008 से संचालित हो रही है। 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह III ने 18283 एम. यू. के लक्ष्य के विरुद्ध 17747.220 एम. यू. ऊर्जा का उत्पादन किया। उत्पादन में कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत मध्य रही, जैसा नीचे दर्शाया गया है

तालिका 2.1.6

| वर्ष | लक्ष्य (एम. यू.) में | उत्पादन (एम. यू.) में | कमी (%) में |
|------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 2010-11 | 3553 | 3665.85 | कोई कमी नहीं |
| 2011-12 | 3755 | 3726.47 | 0.76 |
| 2012-13 | 3727 | 3495.14 | 6.22 |
| 2013-14 | 3769 | 3643.98 | 3.31 |
| 2014-15 | 3479 | 3215.78 | 7.56 |
| कुल | 18283 | 17747.22 | |

संचालनीय मानको की दृष्टि से इस विद्युत गृह का प्रदर्शन आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से निम्न रहा, जैसा नीचे चर्चा की गई है।

अधिक स्टेशन हीट रेट (एस. एच. आर.)

2.1.33 कंडिका 2.1.10 में की गई चर्चा के अनुरूप, वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आयोग ने विद्युत गृह III हेतु 2425 कि. कैल. प्रति यूनिट के एस. एच. आर. का लक्ष्य निर्धारित किया था। आयोग के एस. एच. आर. लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त अवधि में विद्युत गृह III की ताप दक्षता 35.46 प्रतिशत होनी चाहिए थी।

हमने पाया कि विद्युत गृह III में एस. एच. आर. आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान एस. एच. आर. उपयोग 31 कि. कैल. से 227 कि. कैल. अधिक रहा, जिससे ताप दक्षता में 0.44 प्रतिशत से 3.03 प्रतिशत की कमी आई इसके फलस्वरूप ₹ 200.25 करोड़ मूल्य के 5.92 लाख एम. टी. कोयले का अधिक उपभोग हुआ जैसा **परिशिष्ट 2.1.15** में वर्णित है। अधिक एस. एच. आर. के लिए वही कारक उत्तरदायी है जो कंडिका 2.1.10 में चर्चित है। यह, वार्षिक संधारण कार्यों में विलंब के चलते बॉयलर के उपकरणों की अनियमित क्रियाशीलता के चलते हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, इकाइयों को आंशिक भार पर चलाने के कारण एस. एच. आर. में मामूली बढ़त हुई।

तथ्य शेष रह जाता है कि, विद्युत गृह III आयोग द्वारा संयंत्र की कार्मिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित एस. एच. आर. लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.)

2.1.34 कंडिका 2.1.13 में की गई चर्चा के अनुरूप, वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आयोग ने विद्युत गृह III हेतु 85 प्रतिशत पी.ए.एफ. का लक्ष्य निर्धारित किया था। आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत की वसूली वास्तविक पी.ए.एफ. पर निर्भर उक्त अवधि में करता है। विद्युत गृह III द्वारा प्राप्त वास्तविक पी.ए.एफ. व वसूली गई स्थायी लागत नीचे दर्शाई गई है।

तालिका 2.1.7

| वर्ष | विद्युत गृह III | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | पी.ए.एफ. (%) | | स्थायी लागत (₹ करोड़ में) | | |
| | आयोग लक्ष्य | एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रमाणित पी.ए.एफ. | आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत | कम्पनी द्वारा वसूली की गई | वसूली में कमी |
| 2010-11 | 85 | 86.46 | 414.31 | 417.87 | 0.00 |
| 2011-12 | 85 | 93.53 | 431.91 | 435.08 | 0.00 |
| 2012-13 | 85 | 84.81 | 379.82 | 360.43 | 19.39 |
| 2013-14 | 85 | 97.76 | 429.64 | 461.88 | 0.00 |
| 2014-15 | 85 | 80.64 | 423.82 | 412.96 | 10.86 |
| कुल | | | 2079.50 | 2088.22 | 30.25 |

स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी

जैसे कि, तालिका से देखा जा सकता है, विद्युत गृह III ने 2012-13 व 2014-15 में पी.ए.एफ. लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत में से ₹ 30.25 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। ऐसा मुख्यतः, उक्त अवधि में 68 बाध्यकारी आउटटेजों से 1744 घंटों की हानि के कारण हुआ। ऐसा, विद्युत गृह के वार्षिक संधारण कार्यों में विलम्ब के कारण बॉयलर के विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरणों के अनुचित कार्य करने एवं बलियों में रिसाव तथा उक्त वर्षों में कोयले की अनियमित आपूर्ति के कारण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि, 2012-13 व 2014-15 के दौरान बाध्यकारी आउटटेज बंकर खाली हो जाने तथा संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त होने के कारण हुआ।

तथ्य शेष रह जाता है कि उक्त अवधि में संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की आवंटित मात्रा की अपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समन्वयक अनुबंध किया हुआ था। अतः कोयले की वांछित गुणवत्ता व मात्रा प्राप्त होनी ही चाहिए थी।

तल व फ्लार्ड राख में अधिक अधजला कोयला

2.1.35 कंडिका 2.1.14 में की गई चर्चा के अनुरूप, संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के रसायनिक प्रतिवेदन की समीक्षा में हमने पाया कि, विद्युत गृह III में वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में तल राख में अधजले कोयले की मात्रा 1.5 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध 1.5 प्रतिशत से 4.35 प्रतिशत तथा फ्लार्ड राख में एक प्रतिशत से कम से मानक के विरुद्ध 0.4 प्रतिशत से 1.2 प्रतिशत रही। तल व फ्लार्ड राख में अधजले की अधिक मात्रा के उपस्थिति के लिए वही कारक उत्तरदायी है जो कंडिका 2.1.14 में चर्चित है।

इस समस्या से उबरने हेतु आवश्यक उपकरण विद्युत गृह III में स्थापित वही ये राख में अधजले कोयले की अधिक मात्रा के कारण ₹ 6.06 करोड़ मूल्य के 17704.360 एम.टी. कोयले की परिहार्य हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.16** में वर्णित है ।

सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, इस समस्या से उबरने हेतु आवश्यक ऑनलाइन कोयला साइजर संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि वह देश कि किसी भी अन्य विद्युत केन्द्र में स्थापित नहीं किया गया है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वयं कम्पनी के ऑकलन के अनुसार, उक्त उपकरण की स्थापना से कोयले में बड़ी बचत की जा सकती है ।

अव्यवस्थित ऊर्जा अनुसूचना से परिहार्य भुगतान

2.1.36 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग नियम, 2009 के अनुच्छेद 5 सह पठित अनुच्छेद 6(2) के अनुसार विद्युत उत्पादक द्वारा स्वीकृत ग्रिड फ्रिक्वेंसी¹¹ में कम विद्युत आपूर्ति पर अन शिड्यूल्ड इंटरचेन्ज (यू.आई.) प्रभार देय होगा । उपर्युक्त नियमन के तहत उत्पादक को अनुसूचित अवधि के दो घण्टे पूर्व संकलित विद्युत आपूर्ति पुनरीक्षित करने की अनुमती थी ।

हमने पाया कि (जून 2015) संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत गृह III ने घोषित अवधि में कम उत्पादन के चलते ग्रिड में घोषित क्षमता (डी.सी.) से कम विद्युत प्रदाय की । आगे, विद्युत गृह ने स्वीकृत समयावधि में संकल्पित ऊर्जा को भी नहीं पुनरीक्षित किया । इसके फलस्वरूप 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 15.29 करोड़ के यू.आई. प्रभार को परिहार्य भुगतान करना पडा जैसा **परिशिष्ट 2.1.17** में वर्णित है ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने ग्रिड में संकल्पित मात्रा से कम विद्युत आपूर्ति कर कोई हानि नहीं उठाई क्योंकि उसने विद्युत उत्पादन न करने ईंधन लागत बचा ली ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संकल्पित विद्युत के उत्पादन न करने से ऊर्जा विक्रय से होने वाली भावि राजस्व तथा इसके अतिरिक्त यू.आई. प्रभार की हानि हुई ।

सुझाव :

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को समय-समय पर किये गये संकल्पों के अनुसार ही ग्रिड में विद्युत प्रदाय हेतु प्रयास करने चाहिए ।

वार्षिक ओवरहॉल में लम्बे अंतराल से उत्पादन हानि

2.1.37 कंडिका 2.1.15 में की गई चर्चा के अनुरूप, विद्युत गृह III में अगस्त 2012 में वार्षिक ओवरहॉल किया गया था तथा अगला वार्षिक ओवरहॉल अगस्त 2014 में होना था । यद्यपि, वार्षिक ओवरहॉल छः माह के लिए स्थगित कर फरवरी 2015 में 34 दिनों (23 फरवरी 2015 से 28 मार्च 2015) के लिए होना तय किया गया ।

हमने पाया कि, वार्षिक ओवरहॉल में विलम्ब के अंतराल के दौरान (अगस्त 2014 से फरवरी 2015) इकाई के निरंतर संचालन से बॉयलर व टरबाइन के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गये

¹¹ स्वीकृत ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50.3Hz से 49.2Hz के मध्य है

वि. गृ. III ग्रिड मे संकल्पित मात्रा मे ऊर्जा प्रदाय नहीं कर सका जिससे ₹ 15.29 करोड़ के यू.आई. प्रभार का परिहार्य भुगतान करना पडा ।

जिससे वार्षिक ओवरहॉल की अवधि 14 दिन बढ़ गयी, जो कि अनुसूचित सम्पन्नता दिनांक 28 मार्च 2015 के बजाय 11 अप्रैल 2015 को पूर्ण हुआ । इससे ₹ 63.67 करोड़ मूल्य की 168 एम.यू.¹² की परिहार्य उत्पादन हानि हुई ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, टरबाइन के अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो जाने के पुरजो की अनुपलब्धता के कारण वार्षिक ओवरहॉल को स्थिगत किया गया था । तथ्य शेष रह जाता है कि ए.ओ.एच. में विलम्ब के कारण परिहार्य उत्पादन हानि हुई ।

बस बार सुरक्षा प्रणाली की खराबी

2.1.38 कंडिका 2.1.19 में की चर्चा के अनुरूप, यद्यपि विद्युत गृह III द्वारा उत्पादित ऊर्जा के विकास हेतु स्थापित 400 के.वी. बस बार में बस बार सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध थी, परन्तु इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर (आई.सी.टी.) में उत्पन्न त्रुटि के कारण 220 के.वी. बस बार में हुई दुर्घटना (नवम्बर 2014) का असर 400 के.वी. बस बार तक फैल गया । आई.सी.टी. की खराबी के कारण ट्रिपिंग दुर्घटना से 1 मिनट 41 सेकन्ड बाद हुई ।

फलस्वरूप, 400 के.वी. बस बार व 400 के.वी.बस से जुड़े सभी तत्व ट्रिप हो गए इससे विद्युत गृह III 24 घण्टे के लिए बंद पड़ गया जिससे ₹ 2.23 करोड़ मूल्य की 5.895 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रयास किए गए हैं ।

बॉयलर में परिहार्य नली-रिसावों से उत्पादन हानि

2.1.39 विद्युत गृह III में बॉयलर भट्टी में हवा व पिसे हुए कोयले के प्रदाय हेतु लगे पवन बक्से जल दीवार नलियों के बहुत समीप लगे हुए थे । क्षतिग्रस्त पवन बक्सों से निकलने वाले कोयले के कणों के सम्पर्क में आने से जल दीवार नलियों को होने वाली सम्भावित हानि से बचाने हेतु पवन बक्सों का व्यवस्थित संधारण आवश्यक था ।

हमने पाया कि, विद्युत गृह III में पवन बक्से संधारण के अभाव में बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके थे जिससे बॉयलर भट्टी में अनियमित/असमान कोयले को आपूर्ति होने लगी इससे फलस्वरूप चार जल दीवार नलियों में रिसाव होने से ₹ 39.52 करोड़ मूल्य की 117.43 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई ।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि कदम उठाए गए हैं व जल दीवार रिसावों को न्यूनतम स्तर तक लाया जा चुका है ।

2.1.40 विद्युत गृह III के बॉयलर में टिल्टिंग टैनजैशियल टाईप फायरिंग प्रणाली लगी हुई थी तथा फायर बॉल बनने के स्थान (बॉयलर भट्टी के मध्य में) को नियंत्रित करने व बॉयलर में अधिकाधिक दक्षता प्राप्त करने हेतु इस आधुनिक पद्धति का उचित संधारण अत्यावश्यक था ।

विद्युत गृह III के बायलर के फायरिंग सिस्टम के अव्यवस्थित संधारण के फलस्वरूप हुई बहुधा ट्रिपिंग से ₹ 75.20 करोड़ मूल्य की 220.948 एम.यू. उत्पादन हानि हुई ।

¹² 14 दिवस * 24 घण्टे * 0.50 एम.यू. प्रति घण्टा = 168 एम.यू.

हमने पाया कि, यांत्रिक संधारण (एम.एम.) संभाग की ट्रिपिंग प्रतिवेदन के अनुसार जनवरी 2012 से जुलाई 2013 के दौरान बॉयलर के दाहिने हिस्से में छः रीहीटर नाली-रिसाव हुए। यह बॉयलर भट्टी के अनुचित सीन पर फायर बॉल के निर्माण को दर्शाता है। आगे एम.एम. संभाग के प्रतिवेदन के अनुसार फ्लू गैस के तापमान की निगरानी हेतु बॉयलर के अंदर लगे थर्मोकपलप्रोब्स इस अवधि में उचित कार्य नहीं कर रहे थे अतः बॉयलर में अति गर्माहट नियंत्रित नहीं की जा सकी। इसके फलस्वरूप नली रिसावों के कारण बाध्यकारी शटडाउन हुए जिनसे ₹ 35.68 करोड़ मूल्य की 103.518 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई।

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी.पी.आर.आई)¹³ ने भी पाया (अक्टूबर 2013) कि अत्याधिक तापमान, दबाव व आंतरिक क्षति के कारण नलियों में रिसाव हुआ। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बॉयलर उपकरण उचित तरीके से संधारित न होने के कारण नली-रिसाव हुए निसे उत्पादन हानि हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, बॉयलर उपकरणों के नियमित संधारण व रिसावों को रोकने हेतु कदम उठाए गए हैं।

संयंत्र व मशीनरी के रख-रखाव के अभाव में उत्पादन हानि

2.1.41 कंडिका 2.1.20 में की गई चर्चा के अनुरूप, हमने पाया कि, 2010-11 से 2014-15 कि दौरान, विद्युत गृह III के आंशिक भार पर चलने के फलस्वरूप 733.689 एम.यू.¹⁴ की उत्पादन हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1.9** में वर्णित है। यह गणना उक्त अवधि को मैरिट ऑर्डर डिस्पैच (एम.ओ.डी.) प्रणाली के तहत इकाई के बैंकिंग डाउन को हटाकर की गई है।

इकाई को आंशिक भार पर चलाने के लिए वही कारक उत्तरदायी है जिनकी चर्चा कंडिका 2.1.20 में की गई है। विद्युत गृह III द्वारा वहन आंशिक हानि व प्राप्त प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) नीचे दर्शाये गए हैं :

तालिका 2.1.8

| वर्ष | आंशिक हानि | | | प्राप्त पी.एल.एफ. | | |
|------------|------------------------------|---|----------|---|--|---------------------------------------|
| | वास्तविक आंशिक हानि (एम.यू.) | उपलब्ध क्षमता के विरुद्ध आंशिक हानि की सीमा (%) | | वास्तविक कार्मिक घंटों के विरुद्ध प्राप्य पी.एल.एफ. (%) | वास्तविक कार्मिक घंटों के विरुद्ध प्राप्त वास्तविक पी.एल.एफ. (%) | पी.एल.एफ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी (%) |
| | | न्यूनतम | सर्वाधिक | | | |
| 2010-11 | 186.279 | 0.75 | 15.06 | 44.79 | 41.85 | 2.94 |
| 2011-12 | 245.441 | 2.79 | 18.50 | 46.07 | 42.54 | 3.53 |
| 2012-13 | 67.130 | 2.43 | 14.77 | 41.38 | 39.90 | 1.48 |
| 2013-14 | 26.538 | 3.95 | 22.99 | 48.28 | 41.60 | 6.68 |
| 2014-15 | 270.721 | 9.94 | 19.16 | 43.40 | 36.71 | 6.69 |
| योग | 796.109 | | | | | |

हमने पाया कि संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में संयंत्र व मशीनरी के विभिन्न उपकरणों के रख रखाव हेतु ₹ 23.15 करोड़ के निवारक/नियमित संधारण कार्य अनुबंधों/टेको अतिरिक्त वार्षिक ओवरहॉल/पूँजीगत ओवरहॉल पद्धति भी थी। उक्त संधारण प्रणाली होने के बाद भी, विभिन्न उपकरणों में बहुधा समस्याओं के चलते विद्युत गृह को विवशता पूर्वक आंशिक भार पर चलाया गया जिससे 733.639 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई।

¹³ सी.पी.आर.आई. 1960 में स्थापित स्वशासी संस्था है जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विद्युत ऊर्जा यांत्रिक में शोधकार्य, उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता आश्वासन आदि हेतु कार्यरत है।

¹⁴ हानि की गणना समस्त परिहार्य कारणों से कुल आंशिक हानि 796.109 एम.यू. में से प्रतिवर्ष जुलाई से सितम्बर माह के मध्य प्राप्त खराब कोयले के कारण आंशिक हानि (62.42 एम.यू.) घटा कर की गई है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, आंशिक हानि को न्यूनतम करने हेतु कदम उठाए गए हैं ।

विद्युत गृह III का समग्र प्रदर्शन

2.1.42 उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियां यह हैं कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विद्युत गृह III उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा यह कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत रही। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ईंधन तेल खपत व सहायक ऊर्जा खपत हेतु निर्धारित मानकों के परिपेक्ष्य में इस विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद रहा, यद्यपि विद्युत गृह स्टेशन हीट रेट व प्लांट अवलेबिलिटी फैक्टर के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका । ऐसा कोयले की खराब गुणवत्ता व बॉयलर में कोयला दहन प्रणाली के अव्यवस्थित संधारण के कारण हुआ ।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में ठेका प्रबंधन

2.1.43 उत्पादन केन्द्र ने अपनी कोयला आवश्यकता की पूर्ति हेतु साउथ ईस्टर्न कोलरीज लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) के साथ ईंधन प्रदाय अनुबंध किया (अगस्त 2009) व गणुवत्ता वाले कोयले की निर्बाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समन्वय ठेका दिया (नवम्बर 2009)। इन ठेकों की समीक्षा में निम्न कमियां पाई गईं ।

कोयले के साथ प्राप्त बड़े पत्थरों के लंबित दावे की वसूली न होना

2.1.44 भारत सरकार द्वारा जारी (अक्टूबर 2007) नवीन कोयला वितरण नीति (एन.सी.डी.पी.) के अंतर्गत कम्पनी ने संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को बीस वर्ष तक 64 लाख एम.टी. कोयला प्रति वर्ष प्रदाय करने हेतु साउथ ईस्टर्न कोलरीज लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) के साथ ईंधन प्रदाय अनुबंध (एफ.एस.ए.) हस्ताक्षरित किया (अगस्त 2009) ।

एफ.एस.ए. के अनुच्छेद 4.6.3 के अनुसार यदि 250 एम.एम. से बड़े पत्थर विद्युत केन्द्र पर प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्रथम कर संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र व एस.ई.सी.एल. के प्रतिनिधियों द्वारा पत्थरों के मूल्य के समायोजना हेतु ऑकलन किया जावेगा । अनुच्छेद 9.1 में आगे स्पष्ट किया गया है कि विक्रेता क्रेता को साख पत्र जारी करेगा जो कि पत्थरों के मूल्य तथा उन बड़े पत्थरों पर लगे अन्य प्रभार जैसे सड़क भाड़ा, पिसाई, त्वरित भरण प्रभार, रेल भाड़ा आदि के 100 प्रतिशत के बराबर होगा । अनुच्छेद 12 में दोनों पक्षों पर भुगतान में देरी करने पर ब्याज आरोपित करने का प्रावधान है ।

हमने पाया कि, 2009-10 से 2014-15 के दौरान प्रदत्त बड़े पत्थरों के मद में एस.ई.सी.एल. के विरुद्ध ₹ 3.80 करोड़ का दावा (₹ 1.27 करोड़ रेल भाड़े को छोड़कर) अभी तक लंबित है । हमने आगे पाया कि संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने एस.ई.सी.एल. द्वारा भुगतान में की गई देरी के विरुद्ध ब्याज राशि का दावा पेश नहीं जैसा एफ.एस.ए. में प्रावधान था, जिससे उक्त अवधि में ₹ 86.88 लाख की ब्याज आय की हानि हुई ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि एफ.एस.ए. में रेल भाड़े की वापसी का प्रावधान नहीं था । ओग कहा गया कि, लंबित दावों पर ब्याज आरोपित करने हेतु व्यवस्था का विकास किया जाएगा ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एफ.एस.ए. के अनुच्छेद 9.1 के स्पष्ट से एस.ई.सी.एल. द्वारा प्रदत्त पत्थरों के दावे पेश करते समय रेल भाड़े का समायोजन करने का प्रावधान है ।

समन्वयक ठेकेदार के खराब प्रदर्शन से उत्पादन हानि

2.1.45 कम्पनी, संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में कोयले की सुगम आपूर्ति हेतु एस.ई.सी. एल. 21.45 व रेलवे के मध्य समन्वयन हेतु ठेका देती आ रही है। उक्त ठेके के अंतर्गत उत्तम गुणवत्ता व आवंटित मात्रा में कोयले की उपलब्धता, खदानों पर वांछित संख्या में रेल रैक की उपलब्धता व कोल रैकों के संचालन को सुनिश्चित करना शामिल था। एफ.एस.ए. व्यवस्था लागू होने (अगस्त 2009) के पश्चात समन्वयक ठेकेदार का दायित्व बहुत कम हो गया था, क्योंकि प्रदाय की मात्रा, एफ.एस.ए. में निर्धारित कर दी गई थी।

समन्वय ठेके के नियम व शर्तों तथा प्रबंधन द्वारा उन्हें लागू करने की समीक्षा उपरांत निम्न कमियां पाई गईं।

समन्वय अनुबंध की कमियों व ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण खराब गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त हुआ।

- संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में बाह्य तत्व जैसे, मिट्टी, कीचड़ व बड़े पत्थर आदि युक्त कोयला प्राप्त हो रहा था, जो कि खदानों पर समन्वय ठेकेदार की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। कोयले में बाह्य तत्वों की अधिक उपस्थिति से संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में कोल रैकों के खाली होने में आठ से 137 घण्टों तक का विलम्ब हुआ। इससे, 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 2.62 करोड़¹⁵ (300 रैकों के नमूना जांच पर आधारित) डेमरेज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, अनुबंध की शर्तों में डेमरेज, ठेकेदार पर आरोपित करने का प्रावधान नहीं है। तथ्य शेष रह जाता है कि अनुबंध में इस विषय हेतु ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराने के लिए प्रभावी शर्तें नहीं हैं।

- अनुच्छेद 4.1.15 में खराब कोयले के कोयला मिलों वे बॉयलर उपकरणों पर पड़ने वाले असर के ऑकलन का प्रावधान है। यद्यपि, खराब कोयले की प्राप्ति के उपरांत भी यह यह ऑकलन कर ठेकेदार पर आरोपित नहीं किया गया। इसके विपरीत ₹ 2.82 करोड़ की न्यूनतम शास्ति मात्र आरोपित की गई।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि, खराब कोयले के होने वाली क्षति को ऑकलित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए कई अन्य कारक उत्तरदायी हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में क्षति के आंकलन का प्रावधान है।

- अनुच्छेद 1.0.3 में मासिक अनुबंधित मात्रा या उससे अधिक कोयला प्राप्त होने पर ठेकेदार को कार्यान्वयन प्रोत्साहन राशि के भुगतान का प्रावधान है यद्यपि, ठेकेदार को उक्त भुगतान करते समय कोयले की कुल मात्रा में से बाह्य पदार्थों की मात्रा को न घटाने से ₹ 20.80¹⁶ लाख का अनुचित भुगतान कर दिया गया।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2015) कि अनुबंध में इस हेतु प्रावधान नहीं है अतः इस मद में कोई कटौती नहीं की गई। तथ्य शेष रह जाता है कि अनुबंध इस विषय में त्रुटिपूर्ण है जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला।

- अनुबंध के अनुच्छेद 1.0.3 में, कोयला परिवहन हानि को 0.8 प्रतिशत से कम रखने हेतु ₹ 471 प्रति एम.टी. की दर से शार्टिज मिनिमाईजेशन प्रभार ठेकेदार को देय है। हमने पाया कि, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 08 प्रतिशत की कोयला हानि के मानक में भण्डारण/हस्तांतरण हानि भी सम्मिलित होती है। अतः शॉर्टेज मिनिमाईजेशन प्रभार की सीमा, को भण्डारण/हस्तांतरण हानि का ध्यान रखते हुए 0.8 प्रतिशत से कम पर निर्धारित किया जाना चाहिए था। भण्डारण/हस्तांतरित हानि पर

¹⁵ डेमरेज प्रभार की गणना एन.टी.एच. व डब्ल्यू. टी. के लिये 5.5 घण्टे तथा ओ.टी.एच. के लिये 9 घण्टे घटाकर की गयी है। आगे, जानकारी के अभाव में, डेमरेज प्रभार की गणना रेलवे द्वारा प्रदत्त छुट (यदि कोई हो) को छोड़कर की गई है।

¹⁶ प्राप्त पत्थर 69360 एम.टी. x ₹ 30 प्रति एम.टी. न्यूनतम प्रोत्साहन राशि।

विचार न करते हुए ठेकेदार को ₹ 1.36¹⁷ करोड़ की राशि का अनुचित भुगतान कर दिया गया ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित परिवहन हानि का मानक वास्तविक नहीं थी, अतः याचिका दायर की गई है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग सभी कारकों को दृष्टिगत रखते हुए मानक निर्धारित करता है ।

उपर्युक्त कमियां, ठेकेदार के खराब प्रदर्शन तथा ठेकेदार की अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थता हेतु उसे उत्तरदायी ठहराने के लिए प्रावधानों के अभाव को दर्शाती है । इसके फलस्वरूप संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र विद्युत गृह को 2010-11 से 2014-15 के दौरान, खराब कोयले, वांछित जी.सी.व्ही. से अधिक का कोयला, खदानों पर वांछित रेकों की संख्या की अनुपलब्धता, अधिक डेमरेज प्रभार तथा ₹ 351.97 करोड़ मूल्य की 1153.540 एम.यू. उत्पादन हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा (**परिशिष्ट 2.1.18**)

अतः ₹ 29.56 करोड़ की लागत से अनुबंधित समन्वयन ठेके के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी क्योंकि उसने लक्षित कार्य नहीं किए ।

सुझाव :

कम्पनी को अनुबंध की त्रुटियों को दूर करना चाहिए व ठेकेदार को उसकी नाकामी के कारण हुई परिहार्य व्यय के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए ।

परिवहन, हस्तांतरण व भण्डारण में असामान्य कोयला हानि

2.1.46 यह कोयले की प्रकृति है कि, उसमें परिवहन, भण्डारण/हस्तांतरण के दौरान निश्चित प्रतिशत हानि होती है । इस हानि में सामान्य व असामान्य दोनों हानियां सम्मिलित है । 2010-11 से 2014-15 के दौरान, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कोयले के परिवहन, भण्डारण/हस्तांतरण में 0.8 प्रतिशत हानि का मानक निर्धारित किया था ।

हमने पाया कि कोयले की असामान्य हानि मानकों से 0.43 प्रतिशत से 2.38 प्रतिशत अधिक रही । भण्डारण/हस्तांतरण हानि मात्र ही मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के 0.8 प्रतिशत के मानक से अधिक रही । अधिक हानि में हम्माली, संचालन व हस्तांतरण संयंत्र से कोयला मिलों तक तथा कोयला मिलों से बॉयलर भट्टों तक परिवहन एवं स्थानीय अग्निकांड आदि में होने वाली हानि सम्मिलित है ।

हमने आगे पाया कि संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा प्रस्तावित राइट-ऑफ में कोयले की असामान्य हानि हेतु कोई कारण नहीं बताए गए एवं निदेशक मण्डल ने भी उसे उसी अवस्था में स्वीकृत कर लिया । असामान्य कोयला हानियों की बढ़ती घटनाओं से संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र को ₹ 112.20 करोड़ मूल्य के 361086 एम.टी. कोयले की हानि हुई जैसा नीचे वर्णित है ।

तालिका 2.1.9

| वर्ष | प्राप्त कोयले | कुल कोयला | कोयला हानि का | कोयला हानि | कोयले की | परिहार्य हानि |
|------|---------------|-----------|---------------|------------|----------|---------------|
|------|---------------|-----------|---------------|------------|----------|---------------|

¹⁷ कुल शॉर्टेज मिनीमाइजेशन प्रभार का 50 प्रतिशत। शेष 50 प्रतिशत अन्य भण्डारण/हस्तांतरण हानि के मध्य में मानते हुये तथा 0.8 प्रतिशत जो अन्य सभी हानियों को सम्मिलित करता है को निर्धारित करने के बाद ।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक हस्तान्तरण व भण्डारण हानि के कारण ₹ 112.20 करोड़ मूल्य के 3.61 लाख एम.टी. कोयले की हानि वहन की।

| | की कुल मात्रा (एम. टी.) | हानि (एम.टी.) | आयोग मानक 0.8 % (एम.टी.) | अधिक्य (एम.टी.) | औसत प्रति एम.टी. लागत | (₹) |
|------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 | 7 (5*6) |
| 2010-11 | 5918499 | 188416 | 47348.00 | 141068.00 | 2015.86 | 284373338 |
| 2011-12 | 6219068 | 116783 | 49752.54 | 67030.46 | 3648.50 | 244560633 |
| 2012-13 | 6475190 | 120443 | 51801.52 | 68641.48 | 4009.15 | 275193989 |
| 2013-14 | 5923193 | 109336 | 47385.54 | 61950.46 | 3670.95 | 227417041 |
| 2014-15 | 5227592 | 64176 | 41821.00 | 22355.00 | 4048.00 | 90493040 |
| कुल | | | | 361265 | | 1122038041 |

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, कोयला हानि वर्षाकाल के कारण हुई तथा बाकी समय खुले में कोयले के भण्डारण के कारण हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हानि वर्षाकाल के अतिरिक्त समय में भी हुई है एवं मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानक भण्डारण हानि समेत समस्त सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तय किए जाते हैं।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन

2.1.47 एस.जी.टी.पी.एस. के प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में आने के कारण पर्यावरणीय अनुपालनों से सम्बन्धित विभिन्न नियमों/प्रावधानों के अनुपालन हेतु वैधानिक रूप से बाध्य था।

एस.जी.टी.पी.एस. को पर्यावरणीय अनुपालन हेतु दो पर्यावरणीय अनुपालन सम्मान प्राप्त हुए हैं, वे मध्यप्रदेश शासन की ओर से वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक पर्यावरण सम्मान तथा वर्ष 2014-15 के लिए विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 'वन ग्रीन लीफ' रेटिंग है। यद्यपि लेखापरीक्षा में हमने निम्न कमियाँ पाई –

राख उपयोगिता के लक्ष्य की अप्राप्ति

2.1.48 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पुनर्क्षित अनुसूचना जारी कर (नवम्बर 2009) यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक ताप विद्युत केन्द्र को पाँच वर्षों में (नवम्बर 2014) उत्पादित राख का 100 प्रतिशत उपयोग कर लेना चाहिए।

हमने पाया कि एस.जी.टी.पी.एस. ने नवम्बर 2014 तक राख उपयोगिता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तथा 2010-11 से 2014-15 के दौरान राख का वास्तविक उपयोग 57.73 प्रतिशत से 79.89 प्रतिशत के मध्य रहा। ऐसा राख के भावी उपयोगकर्ताओं के खराब प्रतिसाद के कारण हुआ।

हमने आगे पाया कि, बदलाव अनुसूचना (2009) के अनुसार राख की बिक्री से प्राप्त समस्त राशि, राख उपयोगिता बढ़ाने हेतु वांछित सुविधाओं के विकास के लिए उपयोग की जानी चाहिए। एस.जी.टी.पी.एस. ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राख की बिक्री से ₹ 56.85 करोड़ प्राप्त किए, जबकि राख उपयोगिता बढ़ाने के लिए सुविधाओं के विकास हेतु 31 मार्च 2015 तक मात्र ₹ 22.83 लाख ही खर्च किए जो कि प्राप्त राजस्व का मात्र 0.40 प्रतिशत था। अतः एस.जी.टी.पी.एस. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार कोष के उपयोग में असफल रहा।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, राख उपयोग हेतु समस्त सम्भव प्रयास किए गए हैं ; यद्यपि लक्ष्य प्राप्ति के आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। उत्तर राख के विक्रय से प्राप्त राशि के अनुपयोगिता पर मौन था।

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राख उपयोगिता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया।

हानिकारक अपशिष्ट का निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण

2.1.49 हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन व हस्तांतरण) नियम 2007 के अनुसार उत्पादित हानिकारक अपशिष्ट अधिकाधिक 90 दिनों के लिए अधिकाधिक 10 मिट्रिक टन (एम.टी.) या 10 किलो लीटर (के.एल.) मात्रा तक भण्डारण किया जा सकता है।

हमने पाया कि, 2014-15 के अंत में एस.जी.टी.पी.एस. में 30 कि. ली. रेजिन तथा 16.46 कि.ली. ल्यूब तेल के रूप में हानिकारक अपशिष्ट का भंडारण कर रखा था, जो कि उपर्युक्त नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक था।

आगे, हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तांतरण) नियमों में बदलाव (24 सितम्बर 2008) के अनुसार, हानिकारक अपशिष्ट का पूरक ईंधन के रूप में विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के साथ उपयोग मान्य है। एस.जी.टी.पी.एस. ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में निर्धारित अनुपात में बॉयलर में कोयले के साथ रेजिन के उपयोग की अनुमति हेतु आवेदन किया है (जुलाई 2010)। यद्यपि जुलाई 2015 तक भी सी.पी.सी.बी. की स्वीकृति प्रतीक्षित थी एवं एस.जी.टी.पी.एस. हानिकारक अपशिष्ट का निर्धारित मानकों से अधिक भण्डार किए हुए है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2015) कि, वह सी.पी.सी.बी. से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत उक्त सामग्री को बॉयलर में उपयोग करेंगे।

सुझाव :

कम्पनी को विधि द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानकों के अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

विद्युत गृह का संचालन एवं संधारण

विद्युत गृह I

● विद्युत गृह I वर्ष 2010-11 से 2004-15 के दौरान उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका एवं यह कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत तक रही। विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि वह, स्टेशन हीट रेट, ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत व प्लांट अवलेबिलिटी फैक्टर के परिपेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा, विद्युत गृह के प्रदर्शन को सुधारने हेतु किए जाने वाले पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों के अभाव एवं संधारण कार्यों में विलंब के कारण बॉयलर के महत्वपूर्ण उपकरणों के त्रुटिपूर्ण कार्य करने के कारण हुआ।

इससे, ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम. टी. कोयले, ₹ 41.63 करोड़ मूल्य के 9573.490 कि. ली. ईंधन तेल, ₹ 63.51 करोड़ मूल्य की 212.784 एम. यू. सहायक ऊर्जा खपत का अधिक उपभोग हुआ तथा आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत की ₹ 379.20 करोड़ कम वसूली हो सकी।

प्रबंधन को ऐसे संचालनीय समस्याओं को जिसके कारण आयोग द्वारा विद्युत गृह I हेतु निर्धारित मानको को प्राप्त नहीं किया जा सक, पहचान कर सही कर लेना चाहिए।

• विद्युत गृह I एवं II की कोयला मिलों में बॉयलर में सही मात्रा में कोयले की आपूर्ति के लिए ग्रेविमैट्रिक कोयला फीडर नहीं लगाये गये थे। बॉयलर में प्रदत्त कोयले के त्रुटिपूर्ण माप के चलते ₹ 21.20 करोड़ मूल्य के 1.31 लाख एम. टी. कोयले का प्रतिवर्ष अधिक उपभोग हुआ।

प्रदत्त कोयले के सटीक माप तथा कोयले का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विद्युत गृह I एवं II में ग्रेविमैट्रिक कोयला फीडर स्थापित किए जाने चाहिए।

विद्युत गृह II

• विद्युत गृह II ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किए तथा यह कमी 13.98 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत रही। विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि वह, स्टेशन हीट रेट, ईंधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत व प्लांट अवलेबिलिटी फैक्टर के परिपेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा, विद्युत गृह के प्रदर्शन को सुधारने हेतु किए जाने वाले पूंजीगत नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों के अभाव एवं संधारण कार्यों में विलंब के कारण बॉयलर के महत्वपूर्ण उपकरणों के त्रुटिपूर्ण कार्य करने के कारण हुआ।

इससे ₹ 276.36 करोड़ मूल्य के 7.57 लाख एम. टी. कोयले, ₹ 39.48 करोड़ मूल्य के 8270.370 कि. ली. ईंधन तेल तथा ₹80.91 करोड़ मूल्य की 254.446 एम.यू. सहायक ऊर्जा खपत का अधिक उपभोग हुआ। प्रबंधन को ऐसे संचालनीय समस्याओं को जिसके कारण आयोग द्वारा विद्युत गृह हेतु निर्धारित मानको को प्राप्त नहीं किया जा सक, पहचान कर सही कर लेना चाहिए।

• निरोधात्मक व नियमित संधारण ठेको के उपरान्त भी विद्युत गृह II की कोयला मिले वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान 1032 घंटों के लिए खराब रही। ऐसा कोयला मिलों में बाह्य तत्वों के पहुँचने के कारण घिसाई तत्वों की अपरिपक्व ह्रास हो जाने के कारण हुआ। इससे ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

प्रबंधन के कोयला मिलों के प्रदर्शन को सुधारने एवं उत्पादन हानि की कारक, बहुधा उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को दूर करने हेतु कदम उठाने चाहिए।

विद्युत गृह III

विद्युत गृह III ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किए तथा यह कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत के मध्य रही। विद्युत गृह स्टेशन हीट रेट व पी.ए.एफ. के मानकों को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा, खराब गुणवत्ता के कोयले एवं बॉयलर में कोयला वहन प्रणाली के अव्यवस्थित संधारण के कारण हुआ।

इससे ₹ 200.25 करोड़ मूल्य के 5.92 लाख एम. टी. अधिक कोयले का उपभोग हुआ तथा आयोग द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत में से ₹ 30.25 करोड़ कम वसूली हो सके।

प्रबंधन को ऐसे संचालनीय समस्याओं को जिसके कारण आयोग द्वारा विद्युत गृह हेतु निर्धारित मानको को प्राप्त नहीं किया जा सक, पहचान कर सही कर लेना चाहिए।

• संयंत्र व मशीनरी तथा विद्युत गृह III की विभिन्न सहायक उपकरणों के रख-रखाव के अभाव में संयंत्र को आंशिक भार पर चलाना पड़ा। इससे 733.689 एम. यू. की उत्पादन हानि हुई।

प्रबंधन को अधिकाधिक ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने हेतु संयंत्र को व्यवस्थित रूप से रख-रखाव करना चाहिए। जिससे उसे आंशिक भार पर न चलाना पड़े।

संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र में ठेका प्रबंधन

- संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा कोलरियों व रेलवे के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु दिया गया समन्वयक ठेका त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उसमें ठेकेदार को उसके खराब प्रदर्शन हेतु उत्तरदायी ठहराने के लिए प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इससे 2010-11 से 2014-15 के दौरान खराब कोयले की आपूर्ति के कारण ₹ 351.97 करोड़ मूल्य की 1153.540 एम.यू. उत्पादन हानि हुई।
- कम्पनी को अपने हितों की रक्षा हेतु समन्वयन ठेके की कमियों को दूर कर लेना चाहिए।

संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन

- संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र भारत सरकार की अधिसूचना (नवम्बर 2009) में लक्षित 100 प्रतिशत राख उपयोग के लक्ष्य को पार्टियों के खराब प्रतिसाद के कारण प्राप्त नहीं कर सका। आगे, हानिकारक अपशिष्टों का निपटान न करते हुए नियमों में उल्लेखित भंडारण सीमा (10 कि.ली./एम.टी.) से अधिक, (30 कि.ली. रेजिन व 16 कि. ली. ल्यूब तेल) भण्डारण किया।
- प्रबंधन को सम्बन्धित विधान में उल्लेखित पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2 मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड भोपाल (कंपनी) का गठन राज्य में कृषि और कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) के संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में मार्च 1969 में किया गया था। 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि में कंपनी की बिक्री/टर्नओवर ₹ 940.02 करोड़ से ₹ 1293.77 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹ 15.16 करोड़ से ₹ 51.20 करोड़ रहा था।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा कंपनी के विविध पहलू यथा वित्तीय प्रबंधन, व्यापारिक एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों, मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म (एम.ए.एफ.) का निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता एवं निगरानी तंत्र का आंकलन करने के लिए वर्ष 2010-15 की अवधि हेतु की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित थे।

वित्तीय प्रबंधन

- लेखा शीर्षो हेतु एक समान कोड विकसित नहीं करने के कारण कंपनी अपने जिला कार्यालयों के लेखे समय से संकलित करने में असमर्थ रही। फलस्वरूप वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी हुई थी। 31 अक्टूबर 2015 को कंपनी के 2013-14 एवं 2014-15 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देना बकाया था।

(कंडिका 2.2.7)

- 31 मार्च 2015 को ₹ 231.44 करोड़ की व्यापारिक प्राप्तियां बकाया थी जिनमें से ₹ 8.65 करोड़ तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि से सम्बन्धित थे। इसके अलावा व्यापारिक प्राप्तियों में प्रतिकूल (क्रेडिट) शेषों का समाधान नहीं किया गया था जो वर्ष 2010-11 के ₹ 10.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 22.37 करोड़ हो गये थे।

(कंडिका 2.2.9)

नियोजन

- कंपनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गतिविधियों को दिशा देने के लिये दृष्टिकोण एवं रणनीति योजना नहीं बनाई थी। म. प्र. शासन के साथ वर्ष 2010-11 से 2013-14 के वार्षिक समझौता ज्ञापन को जिसमें कंपनी को वित्तीय/वाणिज्यिक लक्ष्य दिये रहते हैं, को देर से अंतिम रूप दिया गया था। साथ ही वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप ही नहीं दिया गया था। इस प्रकार, कंपनी के कुशलपूर्वक संचालन को दिशा देने के लिये म. प्र. शासन के साथ समझौता ज्ञापन में करने का उद्देश्य ही असफल रहा।

(कंडिका 2.2.12 एवं 2.2.13)

परिचालन गतिविधियाँ

- कंपनी द्वारा 2009-11 के दौरान अपने रेडी टू ईट उत्पादन इकाई का विस्तार एवं खिचड़ी उत्पादन संयंत्र का उपार्जन किया गया था। परन्तु इस विस्तार के साथ अतिरिक्त भंडार क्षमता सृजित नहीं की गई जिस कारण प्लांट के उपार्जन से चार वर्ष बीतने पर भी कंपनी खिचड़ी संयंत्र का परिचालन नहीं कर पायी थी और रेडी टू ईट संयंत्र इकाई पर

पर्याप्त भण्डारण क्षमता न होने के कारण कच्चे माल को वैकल्पिक स्थान से परिवहन पर परिहार्य व्यय ₹ 20.96 लाख करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.17)

- जैव उर्वरक की बिक्री के लिये शासकीय एजेंसियों पर निर्भरता एवं जैव उर्वरक की बिक्री बढ़ाने के लिए विपणन रणनीति तैयार नहीं करने के कारण कंपनी के जैव उर्वरक संयंत्र की क्षमता का उपयोग वर्ष 2010-11 के 62 प्रतिशत से गिरकर 2014-15 में 35 प्रतिशत रह गया।

(कंडिका 2.2.19)

- एम.ए.एफ. केवल परंपरागत कृषि की ही गतिविधियों में संलग्न था और अपने उद्देश्यों यथा बीजों का उत्पादन, कृषि के उन्नत तरीकों का प्रदर्शन और किसानों का प्रशिक्षण, के अनुरूप गतिविधियाँ शुरू नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधा की व्यवस्था न करने के कारण कृषि भूमि का उपयोग 2010-11 से 2014-15 की अवधि में खरीफ मौसम के दौरान 22.27 प्रतिशत से 48.41 प्रतिशत के बीच एवं रबी मौसम में 41.42 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत के बीच रहा। एम.ए.एफ. को आवंटित भूमि के कम प्रयोग के कारण म.प्र. शासन ने 679.89 हेक्टेयर भूमि अक्टूबर 2012 में वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को हस्तांतरित कर दी थी।

(कंडिका 2.2.20 एवं 2.2.22)

निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था क्योंकि सब्सिडी एवं अग्रियों का समय से उपयोग और अप्रचलित स्टोर्स और बेकार संपत्तियों के समय से निपटान देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कंपनी के संचालक मंडल की नियमित बैठकें न आयोजित करने के कारण समय से निर्णय लेने एवं निगरानी तंत्र प्रभावित हुआ था।

(कंडिका 2.2.25 एवं 2.2.26)

परिचय

2.2.1 मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड भोपाल (कंपनी) का गठन राज्य में कृषि और कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) के संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में मार्च 1969 में किया गया था। कंपनी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग म. प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाना और उसमें तेजी लाना, मुख्य और पूरक आहार के उत्पादन में योगदान देना तथा मध्यप्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास में योगदान देना है।

कंपनी रेडी टू ईट उत्पादों (गेहूँ-सोया बर्फी, आटा-बेसन लड्डू, हलवा, बाल-आहार और खिचड़ी) के उत्पादन एवं व्यापार, विविध कृषि औजारों एवं आदानों का व्यापार, मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म में फसल/उद्यानिकी/बागवानी उत्पादों, कृषि और जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं बिक्री की गतिविधियों में संलग्न है। गतिविधि वार कंपनी की बिक्री/टर्नओवर तालिका 2.2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.2.1

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 ¹ | |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------------|------------|
| | बिक्री | प्रतिशत | बिक्री | प्रतिशत | बिक्री | प्रतिशत | बिक्री | प्रतिशत |
| रेडी टू ईट | 485.11 | 51.60 | 635.43 | 50.83 | 655.99 | 53.49 | 671.68 | 51.92 |
| कृषि औजार एवं आदान | 451.18 | 48.00 | 609.69 | 48.77 | 564.17 | 46.00 | 616.17 | 47.63 |
| फसल/उद्यानिकी/बागवानी मदों | 0.93 | 0.10 | 1.25 | 0.10 | 2.73 | 0.23 | 1.91 | 0.15 |
| जैव-उर्वरक | 2.80 | 0.30 | 3.76 | 0.30 | 3.48 | 0.28 | 4.01 | 0.31 |
| योग | 940.02 | 100 | 1250.13 | 100 | 1226.37 | 100 | 1293.77 | 100 |

2010-11 से 2013-14 के 4 वर्षों दौरान कंपनी की बिक्री/टर्नओवर ₹ 940.02 करोड़ से ₹ 1293.77 करोड़ के बीच रहा तथा शुद्ध लाभ ₹ 15.16 करोड़ से ₹ 51.20 करोड़ के बीच रहा।

संगठनात्मक संरचना

2.2.2 कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। 31 मार्च 2015 की स्थिति में कम्पनी के सात निदेशक के जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को शामिल करते हुये छः निदेशक म. प्र. शासन द्वारा एवं एक निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

प्रबंध निदेशक जो कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है की सहायता के लिए दो महाप्रबंधक, चार उपमहाप्रबंधक और सात क्षेत्रीय प्रबंधक है। कंपनी का एक मुख्यालय भोपाल में है सात क्षेत्रीय कार्यालय² एवं 50 जिला कार्यालय भी है। कंपनी के पास बाबई में एक मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म बाबई में रेडी टू ईट उत्पादन इकाई और भोपाल में एक जैव-उर्वरक संयंत्र तथा कार्यशाला भी है जिनके प्रभार सम्बन्धित प्रभारियों के पास है। कंपनी का संगठनात्मक चार्ट **परिशिष्ट 2.2.1** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी निजी पक्षों के साथ तीन संयुक्त उद्यमों (म.प्र. एग्रो न्यूट्रीफूड लिमिटेड इंदौर, म. प्र. एग्रो फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मण्डीदीप एवं म. प्र. एग्रो टोनिक्स लिमिटेड मंडीदीप) में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी भी है जिनसे महिला एवं बाल विकास विभाग को की जाने वाली आर.टी.ई. उत्पादों की मांग को पूरा किया जाता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य इसका आंकलन करना था कि ;

- सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन तंत्र मौजूद है ;
- कंपनी की गतिविधियों को दिशा देने के लिये बनायी गई तथा लागू की गई योजनाये उसके उद्देश्यों के अनुरूप है ;
- कृषि उत्पादन, उत्पादों एवं सेवाओं की उत्पादन तथा बिक्री को शामिल करते हुये कंपनी की गतिविधियाँ कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययता से की गई है, और

¹ वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखे अनंतिम है जैसे कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए।

² भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और सतना ।

- संगठन के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त रूप से आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र विद्यमान है।

लेखापरीक्षा मापदंड

2.2.4 निम्नलिखित स्रोतों से निष्पादन लेखापरीक्षा मापदण्ड लिये गये हैं –

- नीतियाँ, दिशानिर्देश और म. प्र. शासन एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देश तथा खाद्य प्रसंस्करण नीतियाँ ;
- विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य एवं लक्ष्य/रेडी टू ईट उत्पादों की आपूर्ति के लिये समझौता ज्ञापन ;
- कंपनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ; और
- निदेशक मंडल की बैठकों के एजेन्डा एवं मिनट्स

लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली

2.2.5 वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा कंपनी के मुख्यालय, सात क्षेत्रीय कार्यालयों, 17 जिला कार्यालय (कुल 50 जिला कार्यालयों में से भौगोलिक विभाजन के आधार पर 34 प्रतिशत) मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म, रेडी टू ईट उत्पादन इकाई और जैव उर्वरक उत्पादन संयंत्र को शामिल करते हुये, कंपनी के वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान निष्पादन का आंकलन करने के लिए अप्रैल से जून 2015 के दौरान की गई। हमने 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में 2004-05 से 2008-09 के दौरान कंपनी की कार्यप्रणाली पर पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन कर इसके संबंध में टिप्पणियों को वर्तमान लेखापरीक्षा में शामिल किया है।

08 अप्रैल 2015 को हुई प्रवेश सम्मेलन के दौरान हमने लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड, लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली शासन कंपनी को बता दिये गये थे। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सरकार एवं कंपनी को अगस्त 2015 को बताये गये थे। शासन एवं कंपनी के उत्तर अक्टूबर 2015 में प्राप्त हुई। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर 14 अक्टूबर 2015 को हुई निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव एवं कंपनी के प्रबंध संचालक से चर्चा भी की गई थी। कंपनी एवं शासन की राय एवं उत्तर उपर्युक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की जा रही है।

वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणाम

2.2.6 कंपनी ने 2012-13 के अंतिम लेखे एवं 2013-14 के अनंतिम लेखे तैयार (अक्टूबर-2015) कर लिये थे। कंपनी की वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणाम **परिशिष्ट 2.2.2** और **परिशिष्ट 2.2.3** में दिये गये हैं।

कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणाम का अवलोकन करने से यहां स्पष्ट होता है कि कंपनी का कारोबार वर्ष 2010-11 में ₹ 940.02 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1293.77 करोड़ हो गया। इसी प्रकार से शुद्ध लाभ 2010-11 में ₹ 15.16 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 51.20 करोड़ हो गया।

कंपनी की बिक्री में मुख्यतः शासकीय मांग पर रेडी टू ईट उत्पादों की बिक्री का मूल्य (50.83 प्रतिशत से 53.49 प्रतिशत) एवं कृषि आदानों जिनकी मुख्यतः शासकीय अनुदानों पर बिक्री की जाती है जिसका विवरण तालिका 2.2.1 में दिया गया है। (46.00 प्रतिशत से 48.77 प्रतिशत के बीच) शामिल है। बिक्री मूल्य में स्वयं के रेडी टू ईट उत्पादों में 10 प्रतिशत एवं संयुक्त उद्यमों से रेडी टू ईट उत्पादों की पूर्ति पर 2.5 प्रतिशत का लाभांश शामिल होता है और कृषि उपकरणों के बिक्री मूल्य में अलग-अलग दरों पर लाभांश शामिल होता है। इस प्रकार कंपनी को उसकी गतिविधियों पर नियत लाभांश प्राप्त होता है।

इसके बावजूद, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ 2010-11 में 98.65 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2012-13 में 38.93 प्रतिशत हो गया और 2013-14³ में इसमें थोड़ी सी वृद्धि होकर 46 प्रतिशत पर पहुंच गया था। यह परिलक्षित करता है कि कंपनी के निष्पादन में गिरावट आई है। सरकार का मत था (अक्टूबर 2015) कि अंशधारक कोष बढ़ने के कारण नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत गिरा है। इस प्रकार तथ्य अभी भी बाकी है कि नियोजित पूंजी में वृद्धि तुलना में नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में वृद्धि नहीं हुई थी।

वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी

2.2.7 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 210 एवं कंपनी अधिनियम 2013 (अप्रैल 2014 से प्रभावशाली) की धारा 129 (2) के अनुसार प्रत्येक कंपनी अपने वार्षिक वित्तीय विवरण को वित्त वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अंतिम रूप से तैयार करेगी और वार्षिक साधारण सभा में रखेगी।

लेखाशीर्षों के लिए समान कोड विकसित न करने के कारण लेखों के समामेलन एवं अंतिम रूप देने में देरी हुई।

कंपनी ने अभी तक (अक्टूबर 2015) अपने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लेखे अंतिम रूप से तैयार नहीं किये थे। हमने देखा कि कंपनी के जिला कार्यालयों का लेखांकन एक लेखांकन साफ्टवेयर टेली.ई.आर.पी. 9 की सहायता से किया जाता था परन्तु मुख्यालय पर इन जिला कार्यालय के लेखों को एकत्रित/समामेलित मानवीय आधार पर किया जाता था, जबकि लेखांकन साफ्टवेयर लेखांकन शीर्षों के सामान्य कोड जो विकसित नहीं किये गये थे के आधार पर एकत्रित/समामेलित करने की सुविधा देते हैं। इस कारण से लेखों के अंतिम रूप देने में देरी हो रही थी।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि वर्ष 2013-14 के लेखे अंतिम रूप से तैयार होने वाले हैं और लेखांकन साफ्टवेयर के माध्यम से समामेलित करने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए पेशेवरों की सेवायें ली जा रही हैं।

सुझाव

कंपनी को अपने वार्षिक लेखे समय से अंतिम रूप से तैयार करने के लिए लेखांकन शीर्षों के सामान्य कोड विकसित करने चाहिए।

³ वर्ष 2013-14 के अनंतिम लेखों पर आधारित।

अधिशेष राशि के प्रबंधन में कमियाँ

2.2.8 अंतिम पाँच वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के अंत में कंपनी के पास क्रमशः नगद और नगदी समकक्ष ₹ 182.07 करोड़, ₹ 183.22 करोड़, ₹ 251.44 करोड़, ₹ 281.12 करोड़ और ₹ 248.11 करोड़ थी। कंपनी अपनी अधिशेष राशियों का निवेश अल्पकालीन जमाओं में करती हैं।

कम्पनी ने अधिशेष राशि बिना प्रतियोगी दरें मंगाए अल्पकालीन जमाओं में निवेश की थी।

हमने देखा कि बेहतर लाभ कमाने हेतु, दीर्घकालीन जमाओं में निवेश करने हेतु नगदी बजट/पूर्वानुमान बनाकर समयानुसार अतिरिक्त राशियों की पहचान करने का कोई तंत्र नहीं था। अंतिम पाँच वर्षों 2010-11 से 2014-15 तक क्रमशः राशि ₹ 134.03 करोड़, ₹ 171.86 करोड़, ₹ 228.29 करोड़, ₹ 305.35⁴ करोड़ और ₹ 291.31⁵ करोड़ कम्पनी के पास मौजूद थे जो बिना प्रतियोगी दरें बुलाये अल्पकालीन स्थाई जमाओं में निवेश किये हुये थे। इस प्रकार, कंपनी ने अपने अतिरिक्त राशियों के निवेश पर अधिकतम लाभ आश्वस्त नहीं किया था।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन निष्कर्ष स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2015) कि जिला कार्यालयों को अतिरिक्त राशियों को मुख्यालय स्थानांतरित करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों को बुलाने के बाद ही स्थाई जमाये की जायेगी।

सुझाव

कंपनी को नियमित रूप से नगदी बजट बनाना चाहिये जिससे अतिरिक्त नगदी का पता लगा कर स्थाई जमाओं में दीर्घ अवधि के लिए जमा करके लाभ अधिकतम किया जा सके।

व्यापारिक प्राप्तियों के प्रबंधन में कमियाँ

2.2.9 कंपनी विभिन्न उत्पादको/एजेन्सियों के साथ दर अनुबंध करके कृषि उपकरण खरीदती है और जिला कार्यालयों के माध्यम से किसानों/म.प्र.शासन के विभागों को इनकी आपूर्ति करता है। इन क्रेता विभागों के विरुद्ध लंबित राशियाँ लेखों में व्यापारिक प्राप्तियों के तौर पर दिखाई गई हैं। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2014-15 के अंत में कंपनी की व्यापारिक प्राप्तियाँ ₹ 231.44 करोड़ पहुंच गई थी।

व्यापारिक प्राप्तियों की समीक्षा करने पर हमने पाया कि :-

- 31 मार्च 2015 को कुल लंबित व्यापारिक प्राप्तियों ₹ 231.44 करोड़ में से ₹ 8.65 करोड़ तीन वर्ष से अधिक तथा ₹ 15.99 करोड़ एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम की अवधि से लंबित थे। व्यापारिक प्राप्तियों में कृषि विभाग से लंबित राशि ₹ 68.73 करोड़ (29.69 प्रतिशत) शामिल है। प्राप्तियों के वसूल नहीं हो पाने का मुख्य कारण व्यापारिक प्राप्तियों के संबंध में अपर्याप्त रिकार्ड का होना था।

व्यापारिक प्राप्तियों के शीर्ष के अंतर्गत प्रतिकूल शेष समायोजित नहीं किए गए थे।

⁴ 'नकद एवं बैंक शेष' शीर्ष के अंतर्गत चालू खातों में नकारात्मक शेष था जिस कारण सावधि जमा शुद्ध नकद और बैंक शेषों से अधिक है।

⁵ यह प्रबंधन द्वारा प्रदान की गयी सूचना के आधार पर है।

● वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के अंत में क्रमशः ₹ 10.09 करोड़, ₹ 16.58 करोड़, ₹ 20.88 करोड़ एवं ₹ 22.37 करोड़ की राशि शेष लेखों में व्यापारिक प्राप्तियों के शीर्ष के अंतर्गत प्रतिकूल (क्रेडिट) बकाया था, जिसका समाधान नहीं किया गया था। इस कारण लेखों में प्रदर्शित व्यापारिक प्राप्तियों की राशि विश्वसनीय नहीं थी।

इस प्रकार समामेलन नहीं किये जाने या बकाया राशि का प्राप्तियों से मिलान नहीं करने से अतिरिक्त धोखा धड़ी पूर्ण लेनदेन की संभावना बढ़ती है इसके अतिरिक्त लंबी अवधि से लंबित प्राप्तियों के डूब जाने का जोखिम रहता है।

निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में प्रबंध संचालक ने कहा कि वर्ष 2014-15 के लेखों को तैयार करते समय व्यापारिक प्राप्तियों की वसूली/समायोजन के लिये कदम उठाये जायेंगे।

सुझाव :

व्यापारिक प्राप्तियों की वास्तविक राशियों की पहचान कर व्यापारिक प्राप्तियों का समाधान करने और उनको समय से वसूली सुनिश्चित करने के लिये कंपनी को एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

सब्सिडी और अग्रिमों का अप्रयुक्त शेष

2.2.10 कंपनी, कृषि उपकरणों, उर्वरकों, कीटनाशकों के व्यापार, बायागैस संयंत्र के लगाने और खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी और कृषि के विकास के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन, जिस के लिये उसे सीधे लाभार्थियों के वितरण या उत्पादों को सब्सिडाईज करने आदि के लिये शासन से सब्सिडी/अग्रिम प्राप्त होते हैं।

2007-08 से सब्सिडी/अग्रिमों की राशि ₹ 3.64 करोड़ का सम्मेलन होना लंबित था।

हमने पाया कि मार्च 2014 में अंत में सब्सिडी और अग्रिमों की राशि ₹ 34.92 करोड़ (परिशिष्ट 2.2.4) अप्रयुक्त शेष थे। इनमें से, ₹ 3.64 करोड़ (परिशिष्ट 2.2.5) उपयोग के लिये 2007-08 से लंबित थे। कंपनी ने प्राप्त सब्सिडी का समाधान नहीं किया था और लाभार्थियों तक नहीं पहुँचाया था। समाधान की अनुपस्थिति में सब्सिडी/अग्रिमों की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी जिनका प्रयोग या शासन को वापस करने के लिये पहचान नहीं की गई थी।

शासन ने लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2015) संबंधित राशि प्रयोग करके और अप्रयुक्त राशि को सम्बन्धित शासन को वापस करके लंबित प्रविष्टियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया जावेगा।

सुझाव :

कंपनी को बची शेष सब्सिडी और अग्रिमों की वास्तविक राशि का समाधान एवं पहचान करनी चाहिये और उसके प्रयोग और शासन को समर्पित करने हेतु कदम उठाने चाहिये।

प्रवेश कर का परिहार्य भुगतान

2.2.11 कंपनी पानी के टैंकों के व्यवसाय में संलग्न है जिन पर म. प्र. शासन की ओर से प्रवेश कर आरोपित है। लागत पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर को शामिल करते हुये इनका क्रय मूल्य (माक्रफेड द्वारा निर्धारित) स्वीकृत है।

हमने पाया कि ग्यारह पानी के टैंकों के आपूर्तिकर्ताओं ने कंपनी से उनके क्रय पर 2010-11 से 2013-14 के बीच प्रवेश कर ₹ 1.16 करोड़ संग्रहित किया जिसे आगे वाणिज्यिक कर विभाग को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं के देयको से राशि ₹ 1.16 करोड़ रोक ली है और भविष्य में जिला कार्यालय स्तर पर प्रवेश कर स्वीकृत करने की मनाही कर दी है। तथा तथ्य शेष है कि कंपनी की लेखा पुस्तकों में आपूर्तिकर्ताओं की रोकी गई राशि का अंतिम समायोजन किया जाना बाकी है।

नियोजन

दीर्घकालीन और रणनीतिक योजना का अभाव

2.2.12 कंपनी कृषि उपकरणों एवं आदानो की व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न है। बदलते व्यापारिक माहौल में अपनी बाजार हिस्सेदारी को बनाये रखने और उसका विस्तार करने के लिये इन गतिविधियों के संबंध में निजी कंपनियों के साथ-साथ अन्य शासकीय एजेंसियों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु आवश्यक है कि दीर्घकालीन से मध्यकालीन परिपेक्ष्य और रणनीतिक योजना तैयार की जाये। हमने परन्तु देखा कि कंपनी ने कोई परिपेक्ष्य और रणनीतिक योजना तैयार नहीं की गई है। कंपनी केवल वार्षिक आधार पर आगामी वर्ष के लिये व्यापारिक एवं बजट अनुमान की ही रूप रेखा तैयार करती है। इसके अलावा म. प्र. शासन के साथ वार्षिक आधार पर किये जाने वाले समझौता ज्ञापन में लक्ष्य निर्धारित रहते हैं।

म. प्र. शासन के साथ किया जाने वाले समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित कमियां

2.2.13 राज्य में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रत्येक वर्ष म. प्र. शासन के साथ एक समझौता ज्ञापन में शामिल होना पड़ता है, जिसमें आगामी वर्ष में किये जाने के लिये प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण होता है। कम्पनी द्वारा म. प्र. शासन के साथ समझौता ज्ञापन, जिसमें मुख्यतः वित्तीय/वाणिज्यिक लक्ष्य शामिल किये जाते हैं और आगे पूर्व वर्ष के लक्ष्यों के विपरीत प्राप्त की गई उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियां देखने में आईं:

(अ) समझौता ज्ञापन संपादित करने में देरी

वित्तीय/ वाणिज्यिक लक्ष्यों को स्थापित करने हेतु म.प्र. शासन के साथ किए जाने वाले समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक देरी थी।

समझौता ज्ञापन संगत वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हस्ताक्षरित हो जाना चाहिये। हालांकि हमने देखा कि वर्ष 2010-11 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में म. प्र. शासन के साथ किये गये समझौता ज्ञापन देर से फरवरी 2011, फरवरी 2012, जनवरी 2013 और अक्टूबर 2013 में अर्थात् संगत वर्ष के अंत में हस्ताक्षरित किये गये। 2014-15 का समझौता ज्ञापन को भले ही वर्ष खत्म हुये लंबा समय बीत गया है पर अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस प्रकार कंपनी के बेहतर संचालन के लिये म. प्र. शासन के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होना का उद्देश्य पूरी तरह विफल हो गया था।

सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि समझौता ज्ञापन के राज्य सरकार द्वारा स्थापित टास्क फोर्स द्वारा अंतिम रूप दिया जाता था कंपनी उसे ही अपनाती है। तथ्य शेष

रहा कि समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने में गंभीर विलंब होने के कारण समझौता ज्ञापन करने का वांछित उद्देश्य सफल नहीं हो सका।

(ब) गतिविधि-वार भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होना

कंपनी द्वारा, समझौता ज्ञापन में, निर्धारित लक्ष्यों में, कंपनी द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। समग्र रूप से व्यापार के संबंध में 2010-11 से 2013-14 की अवधि में वित्तीय लक्ष्य और उनके सम्बन्ध में उपलब्धि **तालिका 2.2.2** में दी जा रही है।

तालिका 2.2.2

(₹ लाख में)

| विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| लक्ष्य | 78000 | 110000 | 142000 | 142400 |
| उपलब्धियाँ (समझौता ज्ञापन के अनुसार) | 101700 | 134806 | 133208 | 139852 |
| उपलब्धियाँ (प्रतिशत) | 130 | 123 | 94 | 98 |

जैसा पहले ही ऊपर बताया गया है कि समस्त लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया व्यर्थ थी क्योंकि लक्ष्य देर से जो कि सामान्य तौर पर संगत वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्धारित किये गये थे। इसके बावजूद जैसा ऊपर की तालिका में देखा जा सकता है कि कंपनी वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में पूरी तरह लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही थी। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया कि समझौता ज्ञापन में बतायी गई लक्ष्य प्राप्तियाँ प्रमाणित/अनंतिम वार्षिक लेखों से मेल नहीं खाती है।

इसके अलावा हमने देखा कि समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

- जैसा कि समझौता ज्ञापन (2013-14) में नियोजित किया गया था, कंपनी खुले बाजार में अपने कारोबार का विस्तार नहीं कर सकी और मोटे तौर पर वह महिला एवं बाल विकास विभाग को रेडी टू ईट की बिक्री पर निर्भर थी जो 2013-14 के दौरान कुल कारोबार का 52 प्रतिशत था।

- वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक के समझौता ज्ञापन में कंपनी ने गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों के बेहतर उपयोग की योजना बनाई थी। कोपू ने (मार्च 2012) सुझाव दिया था कि ग्वालियर के मौजूदा अक्रियाशील जैविक खाद्य संयंत्र के निपटान के बाद बची हुई संयंत्र की जमीन पर नया संयंत्र स्थापित किया जाये। हालांकि हमने पाया संयंत्र के अक्रियाशील होने के 15 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी संयंत्र का निपटान नहीं किया जा सका। नतीजतन संयंत्र पर उपलब्ध भूमि का न तो नये संयंत्र को स्थापित करने में और न ही किसी अन्य प्रयोग में उपयोग की जा सकी। निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में शासन ने आपत्ति को स्वीकार करते हुये कहा संयंत्र पर मौजूद सामग्री की नीलामी और संयंत्र स्थल को नगर निगम ग्वालियर को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

- वर्ष 2011-12 से 2013-14 के समझौता ज्ञापनों में कंपनी ने योजना बनाई थी कि पुतलीघर और इंद्रपुरी भोपाल में खाली पड़ी भूमि का व्यवसायिक प्रयोग करके उन संपत्तियों से आय उत्पन्न की जायेगी। हमने पाया कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

● वर्ष 2010-11 के समझौता ज्ञापन में कंपनी ने अपने पेस्टिसाइड फार्मुलेशन संयंत्र बीमा में 1991-92 से पड़े खतरनाक कचरे के निपटान की योजना बनाई थी। कोपू ने भी खतरनाक कचड़े के निपटान की अनुशंसा (मार्च 2012) की थी। परन्तु अभी तक (अक्टूबर 2015) खतरनाक अपशिष्ट का निपटान नहीं किया जा सका था।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) की खतरनाक अपशिष्ट के उचित निपटान के प्रयत्न चल रहे हैं। तथ्य बाकी रह जाता है कि सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की अनुशंसा के बावजूद भी कंपनी खतरनाक अपशिष्ट के निपटान में विफल रही है।

इस प्रकार जाहिर है कि कंपनी की नियोजन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भी क्योंकि दीर्घकालिक रणनीतिक योजना अस्तित्व में नहीं थी। कंपनी की कृषि उपकरणों के व्यवसाय, कृषि, रेडी टू ईट उत्पादों और जैव उर्वरकों के उत्पादन की निरंतर गतिविधियों को संचालित करने के लिये म. प्र. शासन के साथ किया जाने वाले समझौता ज्ञापन को सही रूप से संगत वर्ष के अंत में देर से अंतिम रूप दिया गया था। इस प्रकार कंपनी तदर्थ आधार पर कार्य कर रही थी।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2015) कि संसाधनों की उपलब्धता, शासकीय योजनाओं की जरूरतों एवं विभागों द्वारा की जाने वाली मांगों के आधार पर कंपनी अपनी परिचालन योजना साथ ही साथ जैव उर्वरक संयंत्र और एम. ए. एफ. का उत्पादन कार्यक्रम बनाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सतत रूप से चलने वाली कंपनी की गतिविधियों के कुशल संचालन के लिये दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता थी। योजना के अभाव में जैव-उर्वरक संयंत्र की क्षमता का पूर्ण स्तर तक प्रयोग नहीं किया जा सका था और एम.ए. एफ. की कुल भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका था जैसा कि क्रमशः पैरा 2.2.19 एवं 2.2.22 में चर्चा की गई है।

सुझाव :

कंपनी को अपनी निरंतर चल रही गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिये और परिचालन गतिविधियों के संचालन हेतु समझौता ज्ञापन को समय से अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक करना चाहिये।

परिचालन गतिविधियां

2.2.14 कम्पनी समीक्षा की अवधि के दौरान रेडी टू ईट उत्पादों के उत्पादन एवं आपूर्ति, कृषि उपकरणों के क्रय एवं विक्रय, जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं आपूर्ति, एम.ए.एफ. पर फसलों की कृषि एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई योजनाओं के क्रियान्वयन में लगी थी। परिचालन गतिविधियों में पाई गई कमियों के बारे में आगे के पैरो में चर्चा की गई है।

रेडी टू ईट उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति :

2.2.15 आरटीई उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक तालिका 2.2.3 में दी गई है

तालिका 2.2.3

| वर्ष | महिला एवं बाल विकास विभाग से मांग | आपूर्ति | | | | |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | आर. टी. ई. उत्पादन इकाई द्वारा | | संयुक्त उपक्रमों द्वारा | | कुल आपूर्ति |
| | | मात्रा मैट्रिक टन में | मात्रा मैट्रिक टन में | प्रतिशत | मात्रा मैट्रिक टन में | प्रतिशत |
| 2010-11 | 154087.44 | 6813.08 | 4.42 | 147274.36 | 95.58 | 154087.44 |
| 2011-12 | 193261.99 | 12841.44 | 6.64 | 180520.48 | 93.36 | 193361.91 |
| 2012-13 | 201146.34 | 16564.34 | 8.23 | 184582.00 | 91.77 | 201146.34 |
| 2013-14 | 190319.43 | 18436.92 | 9.68 | 171882.51 | 90.28 | 190319.43 |
| 2014-15 | 187071.72 | 19396.00 | 10.33 | 167675.72 | 89.67 | 187071.72 |

उपर वर्णित तालिका में देख जा सकता है कि वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आरटीई उत्पादों की आपूर्ति में कम्पनी का भाग 4.42 प्रतिशत से 10.33 प्रतिशत रहा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिये गये मांगपत्र की शेष मांग को तीन संयुक्त उद्यम कम्पनियों के माध्यम से 10 प्रतिशत मार्जिन लेते हुए पूरी की गई। कम्पनी को आरटीई उत्पादों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिये उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनानी चाहिये थी।

रेडी टू ईट उत्पादों का उच्च मूल्य निर्धारण

2.2.16 रेडी टू ईट उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिये डब्ल्यूसीडीडी को प्रदत्त किये लागत आंकड़ों के अनुसार कम्पनी के स्वयं के प्लान्ट एवं संयुक्त उद्यम के प्लान्टों द्वारा आपूर्ति उत्पादों पर अनुमानित लाभ मार्जिन 10 प्रतिशत तक सीमित था। लागत आंकड़ों में दिये गये आरटीई उत्पादों के मूल्य को डब्ल्यूसीडीडी द्वारा अनुमोदित किया गया। लागत आंकड़ों के अनुसार विक्रय मूल्यों को प्रत्येक छमाही में संशोधित किया जाना था।

कम्पनी की रेडी टू ईट उत्पादन इकाई द्वारा कमाया गया वास्तविक मार्जिन निर्धारित मार्जिन से अत्यधिक उच्च था।

हमने पाया कि रेडी टू ईट उत्पादों का विक्रय मूल्य मई 2009 में निर्धारित किया गया था जो कि 2010-11 से 2014-15 के मध्य प्रत्येक छमाही निर्धारित किये जाने के स्थान पर सिर्फ एक अगस्त 2013 में संशोधित किया गया है। कम्पनी की उत्पादन इकाई द्वारा दिये गये लागत डेटा के आधार पर हमने पुनः पाया कि कम्पनी कि स्वयं कि इकाई का वास्तविक लाभ 23.44 से 29.35 प्रतिशत के मध्य था (2012-13 के अलावा जिसमें यह 6.41 प्रतिशत था) जो की वर्ष 2010-11 से 2013-14 कि अनुमोदित मार्जिन 10 प्रतिशत से काफी अधिक है।

हमने पुनः विश्लेषण किया कि विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाते वक्त खाली बोरो के विक्रय मूल्य को ध्यान नहीं रखना, गैर लागू करों को शामिल किया जाना, परिवहन की अधिक दूरी लेना एवं ईंधन की लागत को अधिक दर पर लेने के कारण आरटीई उत्पादों का विक्रय मूल्य अधिक हुआ। इन सभी कारणों के कारण कम्पनी ने 2010-11 से 2013-14 के मध्य ₹ 16.94 करोड़ का अधिक कमाया, फलस्वरूप सरकारी खजाने पर भी अधिक बोझ पड़ा।

चूँकि निर्धारित विक्रय मूल्य संयुक्त उद्यम द्वारा की गई आपूर्ति पर भी लागू था अतः उनके द्वारा भी अतिरिक्त लाभ अर्जित किया गया । चूँकि संयुक्त उद्यम का लागत डाटा उपलब्ध नहीं था अतः उनके द्वारा अर्जित लाभ लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सका था ।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि यह सच है कि आरटीई यूनिट का लाभ 10 प्रतिशत से अधिक था किन्तु संयुक्त उद्यम का लाभ 2009-10 से 2014-15 तक 4.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के मध्य रहा इसके अतिरिक्त भविष्य में लागत बनाते समय लेखापरीक्षा के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा ।

उत्तर मान्य नहीं है क्यो कि कंपनी ने संयुक्त उपक्रमों के लाभ को उनके लाभ तथा हानि खातो को आधार बना कर बताया है। जो कि संयुक्त उपक्रमों के पूर्ण व्यवसाय पर आधारित है जिसमें अन्य विक्रय भी शामिल है। साथ ही कंपनी ने संयुक्त उपक्रमों से लागत गणना प्राप्त नहीं किया तथा लागत पत्र प्रत्येक छः माह में आर.टी.ई. उत्पादन इकाई तथा संयुक्त उपक्रमों की वास्तविक लागत के आधार पर परिवर्तित भी नहीं किया गया।

सुझाव :

कंपनी को आर.टी.ई. उत्पादो के विक्रय मूल्य का निर्धारण प्रत्येक छः माह में लागत का विश्लेषण कर निर्धारित करना चाहिये ताकि विक्रय मूल्य में अनुचित वृद्धि का भार शासन पर ना पड़े।

भंडारण क्षमता सृजित करने में देरी तथा खिचड़ी संयंत्र का अक्रियाशील रहना

2.2.17 रेडी टू ईट उत्पादन इकाई की स्थापना (1995-96) प्रारंभिक तौर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को रेडी टू ईट उत्पादों के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिये 4800 मैट्रिक टन क्षमता के साथ हुई थी। बाद में, कंपनी ने रेडी टू ईट उत्पादन इकाई का आधुनिकीकरण (2009-10) और क्षमता का विस्तार करके 12000 में टन प्रति वर्ष कर लिया। आगे वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 14.52 लाख की लागत से 15 मैट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाले खिचड़ी उत्पादन के लिये एक संयंत्र खरीदा।

हमने देखा (अक्टूबर 2015) कि रेडी टू ईट उत्पादन इकाई सीमित जगह के कारण खिचड़ी उत्पादन संयंत्र खरीदने से चार वर्ष बीत जाने पर भी कंपनी ने शुरू नहीं किया है। कंपनी महिला एवं बाल विकास विभाग को खिचड़ी की आपूर्ति नहीं कर रही है और पूर्ण रूप से कंपनी संयुक्त उपक्रमों पर इसके लिए निर्भर है।

कंपनी ने देर से (फरवरी 2012) उत्पादन क्षमता के विस्तार और खिचड़ी उत्पादन संयंत्र के उपार्जन के कारण भंडारण क्षमता की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये 2000 मैट्रिक टन गोदाम/साइलों का निर्माण का निश्चय किया किन्तु निर्माण प्रारंभ नहीं किया (अक्टूबर 2015) जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था।

हमने आगे देखा कि रेडी टू ईट उत्पादन इकाई पर, पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में कंपनी को अपने कच्चे माल को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मंडीदीप में स्थित संयुक्त उपक्रम संयंत्रों पर भण्डारित करना पड़ रहा था और उसी को आर.टी.ई उत्पादन इकाई पर भण्डारण क्षमता की उपलब्धता के अनुसार वापस उठाकर लाना पड़ रहा था। बाड़ी स्थित

क्षमता विस्तार के साथ अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण न करने के कारण, कंपनी खिचड़ी उत्पादन संयंत्र को उपभोग करने में असफल रही और कच्चे माल के परिवहन पर ₹ 20.96 लाख का अपरिहार्य व्यय किया।

रेडी टू ईट उत्पादन इकाई से मंडीदीप स्थित संयुक्त उपक्रमों के उत्पादन संयंत्र लगभग 78 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस कारण कंपनी को 2012-13 से 2014-15 के दौरान कच्चे माल संयुक्त उपक्रम संयंत्रों और रेडी टू ईट उत्पादन इकाईयों के बीच परिवहन पर ₹ 20.96 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा था।

इस प्रकार, रेडी टू ईट उत्पादन इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार के साथ-साथ अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण की योजना के अभाव और आगे चल कर गोदाम/साइलो के निर्माण में निष्क्रियता फलस्वरूप कच्चे माल के परिवहन पर ₹ 20.96 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2015) संयंत्र के लिये खरीदे गये सभी आयटम (राशि ₹ 1.57 लाख के इलेक्टर और हॉपर को छोड़कर) वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रेडी टू ईट उत्पादन इकाई पर प्रयोग किये जा रहे हैं। आगे निकास सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में लेखापरीक्षा आपत्ति को कंपनी ने स्वीकार कर कहा कि वह रेडी टू ईट उत्पादन इकाई बाड़ी से भोपाल स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही है इसलिए रेडी टू ईट उत्पादन इकाई बाड़ी में वह आगे नहीं बढ़ रही है।

तथ्य यह बाकी है कि संयंत्र के उपार्जन के बावजूद भी भंडारण क्षमता की अनुपलब्धता के कारण कंपनी ने खिचड़ी का उत्पादन प्रारंभ नहीं किया था और खिचड़ी की आपूर्ति के लिये पूरी तरह संयुक्त उपक्रमों पर निर्भर थी।

सुझाव :

भंडारण सुविधा के निर्माण और आर.टी.ई उत्पादन इकाई पर खिचड़ी संयंत्र के संचालन को एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिये।

जैव उर्वरक संयंत्र का निष्पादन

2.2.18 1000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले जैव उर्वरक संयंत्र (बी.एफ.पी.) की स्थापना 1986 में हुई। जैव उर्वरक राज्य की मांग के अनुसार मौसम वार (रवि एवं खरीफ) उत्पादित किया जा रहा था। जैव उर्वरक का उपयोग जीवन 6 माह का एक मौसम और इस निर्धारित अवधि में बेच जाना आवश्यक है।

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा (जनवरी 2007 में) जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिये उर्वरक नियंत्रण आदेश जारी किया और राज्य सरकार कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये जैव उर्वरकों के महत्व के बारे में कृषकों को शिक्षित करने की सलाह दी कंपनी के कामकाज पर आधारित पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा पर कोपू ने भी इसके महत्व के बारे में किसानों को बताने के द्वारा इसकी बिक्री बढ़ाने के प्रयास करने, पर्याप्त प्रचार करने एवं बिक्री में कमी के कारणों को खोजने की सिफारिश (2012) की थी।

जैव उर्वरक संयंत्र की क्षमता का कम उपयोग

2.2.19 तालिका 2.2.4 कुल उत्पादन, उत्पादन क्षमता का उपयोग, विक्रय एवं जैव उर्वरक के विक्रय पर लाभ की जानकारी देती है :

तालिका 2.2.4

| वर्ष | वास्तविक उत्पादन (मैट्रिक टन) | 1000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता के विरुद्ध उत्पादन क्षमता का प्रयोग(प्रतिशत में) | विक्रय (₹ लाख में) | वर्ष में लाभ/हानि (₹ लाख में) | बिक्री पर लाभ का प्रतिशत |
|---------|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2010-11 | 621.00 | 62.10 | 394.71 | 54.62 | 13.84 |

| | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 2011-12 | 660.00 | 66.00 | 384.46 | 79.26 | 20.62 |
| 2012-13 | 604.00 | 60.40 | 329.52 | 149.00 | 45.22 |
| 2013-14* | 648.00 | 64.80 | 467.60 | 178.65 | 38.21 |
| 2014-15* | 354.00 | 35.40 | 188.89 | 33.20 | 17.58 |

*अंतिम

कम्पनी द्वारा जैव उर्वरक की बिक्री बढ़ाने में विफलता के कारण जैव उर्वरक संयंत्र की क्षमता का उपयोग 2010-11 में 60 प्रतिशत को गिरकर 2014-15 में 35 प्रतिशत रह गयी।

उपर वर्णित तालिका से यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार के जैव उर्वरक के प्रचार के आदेश बावजूद भी उत्पादित क्षमता का उपयोग वर्ष 2010-11 से 2013-14 के मध्य 60 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के मध्य रहा एवं इसके पश्चात गिरकर 2014-15 में 35.40 प्रतिशत हो गया। हमने पाया कि जैव उर्वरक के प्रचार के लिए कम्पनी ने कोई भी विपणन निति नहीं बनाई एवं उसके विक्रय के लिये पूर्ण रूप से अन्य सरकारी संस्थाओं पर ही निर्भर रहे इस कारण बी.एफ.पी. का कम उपयोग हुआ।

हमने आगे यह पाया कि यद्यपि उत्पादन जिला कार्यालयों द्वारा दी गई मांग के आधार पर किया गया फिर भी 31 मार्च 2015 को कम्पनी के पास 1001.96 मीट्रिक टन बिना बिका हुआ एवं कालावतीत स्कंध जमा हो गया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 98.51 लाख की हानि हुई।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि जैव उर्वरक का ज्यादातर बिक्री खरीफ में होती है एवं इसकी बिक्री कम होने का मुख्य कारण खरीफ 2014 के दौरान सरकार द्वारा जैव उर्वरक नीती में परिवर्तन किया जाना था। निकास सम्मेलन में (अक्टूबर 2015) के प्रबंध संचालक ने कहा कि जैव उर्वरको को किसानों के मध्य लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि 2010-11 से 2013-14 के मध्य संयंत्र के कम उपयोग के कारण नहीं दिये गये एवं कम्पनी के पास जैव उर्वरक के विक्रय के बढ़ाने के लिये एवं संयंत्र का बेहतर उपयोग करने के लिये कोई रणनिति नहीं थी।

सुझाव :

कम्पनी को जैव उर्वरकों के लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित कर जैव उर्वरको की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये एवं विपणन रणनिति बनानी चाहिये।

मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म का निष्पादन

एम.ए.एफ. के उद्देश्यों की पूर्ति न होना

2.2.20 मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म (एम ए एफ) बाबई 1971 में किसानों को गुणवत्ता युक्त बीजो का उत्पादन एवं वितरण, खेती में उन्नत मशीनों का प्रयोग करना, पैदावार के नये तरीको का प्रदर्शन करना, किसानों के लिये ट्रेनिंग सेन्टर की तरह कार्य करना के उद्देश्यों के साथ स्थापना की गई, राज्य सरकार ने कम्पनी को 1316.76 हेक्टेयर भूमि (1971) आवंटित की, उसमें से 376.47 हे. भूमि खेती के लिये, 4.05 हेक्टेयर नर्सरी के लिये एवं 194.40 हेक्टेयर बागवानी के लिये विकसित की गई।

हमने पाया कि एम.ए.एफ. पारंपरिक कृषि गतिविधियों में जैसे कि कृषि/बागवानी आदि के व्यस्त थी एवं उसने अपने ऊपर वर्णित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की और एम.ए.एफ. आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग करने में भी असफल रहा, इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने एम.

मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म ने अपने उद्देश्यों के अनुसार गतिविधियों को नहीं किया।

ए.एफ. की 679.89 हे. भूमि को (अक्टूबर 2012) में वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को स्तानांतरित कर दिया ।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि भूमि अन्य आधुनिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में उत्पादित किया फसलों को एम.ए.एफ. के चयनित क्षेत्रों में उत्पादित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त भूमि आदेशानुसार वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को हस्तांतरित की गई ।

उत्तर पुष्टि करता है कि एम.ए.एफ. की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ ।

एम.ए.एफ. बावई का वित्तीय प्रदर्शन

2.2.21 तालिका 2.2.5 वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों के दौरान कृषि एवं बाग उत्पादन की बिक्री एवं उस विक्रय पर लाभ/हानि को दर्शाता है ।

तालिका 2.2.5

(₹ लाख में)

| वर्ष | विक्रय | बिक्री पर लाभ / हानि | बिक्री पर लाभ / हानि का प्रतिशत |
|----------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 2010-11 | 93.69 | -24.00 | -25.62 |
| 2011-12 | 163.47 | 8.60 | 5.26 |
| 2012-13 | 274.54 | 26.87 | 9.79 |
| 2013-14* | 215.92 | -19.36 | -8.97 |
| 2014-15* | 74.23 | -124.45 | -167.65 |

*अंतिम आंकड़े

ऊपर वर्णित तालिका में यह देखा जा सकता है कि कम्पनी को वर्ष 2010-11, 2013-14 एवं 2014-15 में नुकसान उठाना पड़ा एवं वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सीमांत लाभ प्राप्त हुआ । वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में हानि में हए उतार चढ़ाव का कारण उपलब्ध भूमि का कम प्रयोग एवं नर्सरी का खराब प्रदर्शन रहा जैसा कि कंडिका 2.2.22 एवं 2.2.23 में बताया गया है। इसके अतिरिक्त नुकसान में वृद्धि का मुख्य कारण अनाज की बिक्री वर्ष 2013-14 के ₹ 1.26 करोड़ से कम होकर वर्ष 2014-15 में ₹ 0.59 करोड़ हो जाना है ।

शासन ने (अक्टूबर 2015) में लेखापरीक्षा के टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा कि वर्ष 2014-15 के दौरान हुई हानि का मुख्य कारण धान के मूल्य में अचानक आई कमी है । तथ्य शेष रहता है कि कंपनी एम.ए.एफ. के निष्पादन को बढ़ाने हेतु मजबूत कदम उठाने में असफल रही ।

एम.ए.एफ. में कृषि के लिये उपलब्ध भूमि का कम उपयोग

2.2.22 अक्टूबर 2012 में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को 679.89 हे. भूमि हस्तांतरित करने के बाद एम.ए.एफ. के पास खेती के लिए 376.47 हे. भूमि शेष रही ।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य खरीफ मौसम में धान की खेती के लिए भूमि का उपयोग 22.27 प्रतिशत से 48.41 प्रतिशत के मध्य रहा तथा रबी के मौसम से गेहूँ उत्पादन में 41.42 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत के मध्य रहा । जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.6** में दिया गया है। अतः कंपनी ने उपलब्ध भूमि के पूर्ण उपयोग के लिए कोई योजना नहीं बनाई ।

मेकेनाइज्ड एग्रीकलचर फार्म में 2010-15 के दौरान कृषि की भूमि का उपयोग 22.27 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत तक रहा ।

सरकार (अक्टूबर 2015) में कहा कि भूमि का उपयोग सिचाई की क्षमता एवं उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया । तथ्य शेष रहा कि कम्पनी ने सिचाई सुविधा सहित उपलब्ध भूमि के अधिकतम उपयोग के लिये कदम नहीं उठाये ।

सुझाव :

कम्पनी को अपने कारोबार एवं लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिये कृषि में अप्रयुक्त भूमि के उपयोग के लिये योजना बनानी चाहिये ।

एम.ए.एफ. में नर्सरी के प्रदर्शन में गिरावट

2.2.23 एम.ए.एफ. की बावई में एक नर्सरी थी जिसका विकास वर्ष 1971-72 के मध्य हुआ था नर्सरी का कुल क्षेत्रफल 4.05 हेक्टे. है हमने पाया कि पौधों के विक्रय संख्या वर्ष 2010-11 में 45687 से घटकर वर्ष 2014-15 में 6777 रह गई । हमने प्रबंधन द्वारा विक्रय में गिरावट के कारणों के किये गये किसी विश्लेषण एवं नर्सरी के पौधों की संख्या बढ़ाने के लिये बनाये किसी भी योजना को नहीं पाया ।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि कम्पनी नर्सरी के पौधों की मांग के लिये उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पर आश्रित है एवं वर्ष 2014-15 में पौधों के विक्रय संख्या में गिरावट की मांग में कमी के कारण थी । यह तथ्य शेष रहा कि कम्पनी ने सरकार पर निर्भरता के स्थान पर मांग के नए क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास नहीं किया ।

बागो और पेड़ों की नीलामी/निविदा में अनियमितताएँ :

2.2.24 कम्पनी ने एम.ए.एफ. में उपलब्ध भूमि में से 194.40 हे. भूमि पर फलों, सब्जियों एवं वृक्षों के बाग विकसित किये। इन बागों की उपज को निविदाओं के माध्यम से प्रस्तावों का आमंत्रित करके बेचा जाता है । कम्पनी ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य निविदा के माध्यम से विक्रय पर इस बाग से ₹ 1.62 करोड़ की बिक्री की ।

एम.ए.एफ. बावई में बागो एवं पेड़ों की बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करने पर निम्न अनियमितताएँ पाई गईं:

(I) विक्रय निविदा की तक्रसंगतता सुनिश्चित करने के लिये विक्रय योग्य सामग्री बेस/अपसेट प्राईस का निर्धारण/मूल्यांकन कम्पनी द्वारा नहीं किया गया ।

(II) बागों की निविदा के लिए बोलीदाताओं से ली गई ई.एम.डी की राशि का निर्धारण बाग में वृक्षों की संख्या के आधार पर नहीं किया गया तथा ई.एम.डी. का अनुमानित/वास्तविक बोली मूल्य **परिशिष्ट 2.2.7** में दर्शाया है ।

सरकार ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि कम्पनी बागों की नीलामी के लिए अपनी मानक प्रक्रिया अपनायी है तथा विक्रय मूल्य को अंतिम रूप देने के लिये उसके पास के लिये विशेषज्ञ है । यह तथ्य शेष रहा कि कम्पनी ने ईएमडी एवं अपसेट मूल्य को तक्रसंगत रूप से तय नहीं किया ।

आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र

2.2.25 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी प्रबंधन गतिविधि के आवश्यक अंग है एक कुशल एवं प्रभावी तंत्र प्रबंधन को अपने तय उद्देश्यों को पूरा करने, प्रक्रियाओं के अनुपालन एवं वित्तीय अनुशासन को लागू करने में सहायता करता है ।

कम्पनी में व्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र में कमी थी चूँकि कम्पनी में प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी, खातो को समय पर अंतिम रूप देना (कण्डिका 2.2.7) बहुत पुरानी प्राप्तियों की समय-समय पर वसूली न होना (कण्डिका 2.2.9) सब्सिडी एवं अग्रिमों का समय पर उपयोग न होने पर (कण्डिका 2.2.10) में उपस्थित नहीं था । इसके अतिरिक्त अचलायमान एवं आधिक्य अधिशेषों जो कि उनके शाखा कार्यालयों में एकत्रित थी को समय पर निपटान के लिए तंत्र नहीं था जैसा कि (पैरा 2.2.27) में दर्शाया है ।

निदेशक मण्डल की नियमित बैठकों का न होना ।

2.2.26 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 285 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 173 (1) (अप्रैल 2014 से लागू) के अनुसार प्रत्येक वर्ष निदेशक मण्डल की न्यूनतम 4 बैठके होनी चाहिये ।

हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य 20 बैठकों के स्थान पर सिर्फ 12 बैठके हुई, हमने पाया कि महत्वपूर्ण मामले जैसे कि (i) कीटनाशक संयंत्र बीना का वाणिज्यिक उपयोग (ii) एमएएफ को पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के माध्यम से मॉडल खेत के रूप में विकसित करना (iii) आरटीई उत्पादन संयंत्र में 2000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना (iv) किसानों की जरूरतों एवं व्यापार प्रतियोगिता में बदलाव को 2010-11 से 2013-14 के मध्य हुई बीओडी मीटिंग में रखा गया किन्तु इन मामलों की प्रगति को निदेशकों की बैठकों में नहीं रखा गया यह शीर्ष स्तर पर नियंत्रण न होना दर्शाता है ।

इस प्रकार शीर्ष स्तर पर इन आवश्यक बैठको का न होने का प्रभाव कम्पनी की समय पर निर्णय लेने की क्षमता एवं नियंत्रण प्रक्रिया पर पड़ा ।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2015) में आश्वासन दिया कि कम्पनी भविष्य में कम्पनी अधिनियम के आधार पर बैठके आयोजित करेगी, इसके अलावा लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों को हल करने के लिए कार्य दिया जायेगा ।

अकार्यशील आस्तियों एवं अचलायमान मदों का निपटारा न होना

2.2.27 कम्पनी अपने स्टोर/अधिशेष में कमी/अधिक्य जांचने के लिए प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाती है ।

₹ 1.14 करोड़ के स्कंध और स्टोर बेकार पड़े थे और ₹ 11.30 लाख की कमी भी पायी गयी

स्टोर्स के दस्तावेज एवं जिला कार्यालयों एवं उत्पादन इकाइयों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को जांचने के बाद हमने पाया कि स्कंध जिसका मूल्य ₹ 1.14 करोड़ (परिशिष्ट 2.2.8) बेकार अस्तियों एवं अचल एवं अकार्यशील सम्पत्ति/स्टोर्स मदों के रूप में स्टोर्स में बेकार पड़े थे हालांकि कम्पनी द्वारा इन्हें इनकी आयु के हिसाब से वर्गीकृत नहीं किया ।

हमने पुनः पाया कि 9 जिला कार्यालयों/उत्पादन इकाइयों में ₹ 11.30 लाख (परिशिष्ट 2.2.9) की वस्तुओं में कमी पाई गई । प्रबंधन ने अचलायमान एवं बेकार आस्तियों के

निपटारा न होने पर कोई कार्यवाही नहीं की एवं किसी भी कर्मचारी पर सामान खोने की जिम्मेदारी तय नहीं की ।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2015) में कहा कि जिला कार्यालयों को बेकार माल के निपटान के निर्देश जारी कर दिये गये हैं, तथ्य शेष रहा कि कम्पनी ने बेकार माल को समय पर निपटारा नहीं किया ।

सुझाव

कम्पनी की समय पर निर्णय लेने एवं प्रभावी निगरानी के लिये आवश्यक बोर्ड निदेशको की बैठको को आयोजित करना चाहिये एवं बेकार संपत्तियों अथवा अचालयमान वस्तुओं के निपटारे के लिये एक प्रणाली तैयार करनी चाहिये ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

- लेखाशीर्षो में एक समान कोड विकसित नहीं करने के कारण कंपनी अपने जिला कार्यालयों के लेखे समय से संकलित में असमर्थ थी। इसके कारण वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी हुई है। 31 अक्टूबर 2015 को कंपनी के वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देना बकाया था।

कंपनी को वार्षिक लेखे समय से अंतिम रूप से तैयार करने के लिए लेखांकन शीर्षो के सामान्य कोड विकसित करने चाहिए।

- कंपनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गतिविधियों को दिशा देने के लिये दृष्टिकोण एवं रणनीति आयोजना नहीं बना रही थी। म. प्र. शासन के साथ वर्ष 2010-11 से 2013-14 के वार्षिक समझौता ज्ञापन को जिसमें कंपनी को वित्तीय/वाणिज्यिक लक्ष्य दिये रहते हैं देर से अंतिम रूप दिया गया। साथ ही वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप ही नहीं दिया गया था। इस प्रकार, कंपनी के कुशलपूर्वक संचालन को दिशा देने के लिये म. प्र. राज्य शासन के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होने का उद्देश्य ही असफल रहा।

कंपनी को अपनी निरंतर चल रही गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिये और परिचालन गतिविधियों का संचालन हेतु समझौता ज्ञापन को समय से अंतिम रूप दिया जा सके आश्वस्त करना चाहिये।

- जैसा कि अनुमोदित कास्ट सीट में अपेक्षा की गई, आर टी ई उत्पादो का विक्रय मूल्य का प्रत्येक छः माह में पुनरीक्षित नही किया गया था इस कारण महिला एवं बाल विकास विभाग का दी जा रही आपूर्ति उच्च दरों पर निश्चित की गयी थी। फलस्वरूप कम्पनी ने ₹ 16.94 करोड़ का अतिरिक्त लाभ कमाया तथा इसी सीमा राशि तक शासकीय कोष पर अतिरिक्त भार डाला गया था।

शासकीय कोष की कीमत पर बिक्री मूल्य अनुचित रूप से अधिमूल्यित नही हो इस को आश्वस्त करने के लिये कम्पनी को पूर्व निर्धारित छः माह के आधार पर आर. टी. ई. उत्पादो की बिक्री कीमतो के निर्धारण की समीक्षा करनी चाहिये।

- आर.टी.ई उत्पादन इकाई बाडी के विस्तार के साथ भंडारण स्थान के निर्माण नही करने के कारण कम्पनी खिचडी उत्पादन संयंत्र के उपार्जन से चार वर्ष बीत जाने पर भी इसको क्रियान्वित नही कर सके और वैकल्पिक स्थान से कच्चे माल के परिवहन कर ₹ 20.96 लाख परिहार्य व्यय भी करना पडा।

भंडारण सुविधा के निर्माण और आर.टी.ई उत्पादन इकाई पर खिचडी संयंत्र के संचालन को एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिये।

- मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म (एम. ए. एफ.) बाबई मे उपलब्ध भूमि कम प्रयोग हो रहा था जो 2010-11 से 2014-15 के दौरान खरीफ मौसम में 22.27 प्रतिशत से 48.41 प्रतिशत के बीच रहा तथा रवी मौसम में 41.42 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत के बीच रहा।

एम.ए.एफ. बाबई की बिक्री एवं लाभप्रदता बढ़ाने के लिये में उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करने के लिये कम्पनी के पास एक योजना होनी चाहिये।

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था क्योंकि सब्सिडी एवं अग्रिमों का समय से प्रयोग और अप्रचलित स्टोर्स और बेकार संपत्तियों के समय से निपटान देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियमित बैठके न बुलाने से समय से निर्णय लेने एवं निगरानी तंत्र प्रभावित था। कम्पनी की समय पर निर्णय लेने एवं प्रभावी निगरानी के लिये आवश्यक बैठको को आयोजित करना चाहिये एवं बेकार संपत्तियों अथवा अचालयमान वस्तुओं के निपटारे के लिये एक प्रणाली तैयार करनी चाहिये।

2.3 मध्य प्रदेश में नव एवं नवकरणीय ऊर्जा का विकास

कार्यकारी सारांश

परिचय

राज्य में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 में की गई थी। राज्य में अक्षय ऊर्जा से संबंधित गतिविधियाँ ग्रिड संबंधित एवं बिना ग्रिड सम्बन्धित (ऑफ ग्रिड) परियोजनाओं में वर्गीकृत है। ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यालय, आयुक्त, नवीन और नव करणीय ऊर्जा (विभाग) की स्थापना (अप्रैल 2010) में की गई थी, जबकि कम्पनी ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियां करती है।

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विभाग का ग्रिड गतिविधियों निष्पादन और ऑफ ग्रिड गतिविधियों के विकास से संबंधित कम्पनी के निष्पादन को जानने के लिये की गया थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है।

ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं

राज्य में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 39095 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के खिलाफ केवल 1243 मेगावाट था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2011 से जुलाई 2012 तक के दौरान सौर, पवन, लघु जल बिजली और बायोमास सम्बन्धित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बनाई गई अक्षय ऊर्जा नीतियों में राज्य में अक्षय ऊर्जा की क्षमता के आकलन पर आधारित नहीं थी, जिसका अक्टूबर 2014 में मूल्यांकन किया गया था। इसके अलावा, क्षमता वृद्धि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे और न ही अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक/अल्पावधि योजनाएं विभाग द्वारा तैयार की गई थी। नतीजतन, राज्य में अक्षय ऊर्जा की संभावना को एक सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.3.2 और 2.3.8)

- 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, सौर में 453.22 मेगावाट की परियोजना (45 प्रतिशत), पवन में 665.30 मेगावाट (9 प्रतिशत) और बायोमास में 55.40 मेगावाट (12 प्रतिशत) क्षमता का 1007.50 मेगावाट, 7196.55 मेगावाट और 471.20 मेगावाट क्रमशः पंजीकृत परियोजनाओं के खिलाफ क्रियाशील किया गया था। इसके अलावा कोई लघु जल बिजली परियोजना विभाग द्वारा क्रियाशील नहीं किया गया था। इसके अलावा, सौर में 247 मेगावाट की परियोजना (25 प्रतिशत), 833.35 मेगावाट पवन में (12 प्रतिशत), छोटी पन बिजली में 44.80 मेगावाट (14 प्रतिशत) और बायोमास में 194 मेगावाट (41 प्रतिशत) की परियोजनाओं का पंजीकरण विभाग द्वारा निरस्त किये गए थे।

- परियोजनाओं के क्रियाशीलता के कम प्रतिशत और ज्यादा पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन न किया जाना, विकासकर्ता द्वारा उदासीनता दिखाया जाना, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऊर्जा के लिए अपर्याप्त टैरिफ और परियोजनाओं की लंबी अवधि थे, परिणामस्वरूप अक्षय ऊर्जा की बिजली परियोजना को स्थापित करने के लिए निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अक्षय ऊर्जा की नीतियों के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.9, 2.3.13 और 2.3.14)

- सरकारी जमीन पर परियोजनाओं को समय पर पूरा सुनिश्चित करने के ग्रीड सम्बन्धित पवन और बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े सात विकासकर्ताओं का निष्पादन गारंटी के गैर-संग्रह के कारण ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जाना ।

(कंडिका 2.3.12 और 2.3.15)

ऑफ ग्रीड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ

- मध्य प्रदेश शासन ने आफ ग्रीड अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए कोई विशेष नीति और वार्षिक लक्ष्य तय किए नहीं किये हैं । विशिष्ट लक्ष्यों के अभाव में, ऑफ ग्रीड परियोजनाओं की स्थापना लाभार्थियों से प्राप्त तदर्थ मांग के आधार पर किया जा रहा था । नतीजतन, राज्य में ऑफ ग्रीड सम्बन्धित नवकरणीय ऊर्जा के लिए पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका ।

(कंडिका 2.3.17)

- आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा कार्य को पूरा न किये जाने के कारण एवं कार्य आदेशों के लगातार रद्द होने के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान कंपनी नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा 6725 के.डब्ल्यू.पी. क्षमता की मंजूरी के विरुद्ध केवल 3061 के.डब्ल्यू.पी. क्षमता (45 प्रतिशत) ही सौर फोटो वोल्टिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सका । आपूर्तिकर्ताओं द्वारा काम के पूरा न होने के कारणों को विश्लेषण करने में और सुधारात्मक कार्रवाई करने में कंपनी की विफलता के कारण लाभार्थी अक्षय ऊर्जा के लाभ से वंचित हुए यद्यपि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 34.08 करोड़ के लाभार्थी हिस्सेदारी कंपनी के साथ अप्रयुक्त पड़ी रही थी ।

(कंडिका 2.3.18)

- रद्द किये गये कार्य आदेशों की पुनः निविदा में की गई देरी के कारण वर्ष 2010-15 के दौरान कंपनी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 81.70 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र के विरुद्ध केवल 18.66 लाख लीटर प्रतिदिन (22.84 प्रतिशत) क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र की ही स्थापना कर पाई परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार लाभार्थी अंश के रूप में ₹ 4.54 करोड़ कंपनी में व्यर्थ पड़ा हुआ था ।

(कंडिका 2.3.19)

- कंपनी के अधिकारियों के साथ साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा 38 स्थापित सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र प्रणालियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में केवल 26 प्रणालियां (68 प्रतिशत), क्रियाशील हालत में पाये गये चार प्रणाली (11 प्रतिशत) बिना क्रियाशील हालत में और 8 प्रणाली (21 प्रतिशत) यद्यपि क्रियाशील हालत में थे परन्तु आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रख रखाव की कमी और कम्पनी द्वारा समुचित निगरानी के अभाव के कारण पुर्जा/बैट्री आदि में समस्याएं का सामना कर रहे थे। इस प्रकार कम्पनी स्थापित संयंत्रों के दीर्घकालिक स्थिरता और समुचित रख-रखाव करने में विफल रही परिणामस्वरूप लाभार्थियों को इच्छित लाभ से वंचित होना पड़ा ।

(कंडिका 2.3.20)

- वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य में अक्षय ऊर्जा के अपर्याप्त उत्पादन के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों मध्य प्रदेश नियामक आयोग द्वारा तय अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.) के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकी परिणामस्वरूप कुल 6316.91 मिलियन यूनिट आर.पी.ओ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी हुई इसके अलावा विद्युत वितरण कम्पनियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता में कमी के लिए ₹ 3013.20 करोड़ की अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र की खरीद नहीं की थी ।

(कंडिका 2.3.22)

प्रस्तावना

2.3.1 राज्य में अक्षय ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कोयला की स्थापना 25 अगस्त 1982 को हुई। कम्पनी, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन से विभिन्न अक्षय ऊर्जा योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राशि प्राप्त करती है।

राज्य में अक्षय ऊर्जा संबंधित गतिविधियां ग्रिड सम्बन्धित एवं ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं में वर्गीकृत है। ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं में सौर, पवन, लघु जल बिजली एवं बायोमास स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है जिसे की ग्रिड में दिया जाता है। ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं में सोलर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्रों से उत्पादित अक्षय ऊर्जा स्ट्रीट लाइट प्रणाली, होम लाइट प्रणाली सौर गर्म जल संयंत्र प्रणाली, फोटोवोल्टिक पानी के पंप प्रणाली शामिल है जिस से उत्पन्न ऊर्जा बिना ग्रिड को दिए लाभार्थी द्वारा स्वयं उपयोग किया जाता है। ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (विभाग) के कार्यालय की स्थापना (अप्रैल 2010) की गई थी जबकि कंपनी ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को चलती है।

मध्य प्रदेश में समग्र बिजली की स्थिति

2.3.2 राज्य में सभी स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता (मार्च 2015) 15320 मेगावाट थी जिसमें से केवल 1243 मेगावाट (8 प्रतिशत) ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत से बनी है। 31 मार्च 2015 में राज्य के विभिन्न अक्षय स्रोतों के तहत अनुमानित क्षमता और स्थापित क्षमता तालिका 2.3.1 में वर्णित है

तालिका 2.3.1

| अक्षय ऊर्जा के स्रोत | क्षमता (मेगावाट में) | स्थापित क्षमता (मेगावाट में) | 2010-15 के दौरान विद्युत (मिलियन यूनिट में) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| सौर | 17672 | 453 | 575.92 |
| पवन | 19550 | 665 | 2087.01 |
| लघु जल बिजली | 411 | 70 | 893.00 |
| बायोमास | 1462 | 55 | 137.02 |
| कुल | 39095 | 1243 | 3692.95 |

(स्रोत: कम्पनी एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार इनकी संभावित क्षमता की तुलना में अलग अलग अक्षय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता सौर, पवन, बायोमास परियोजना प्रत्येक के लिए मात्र 3 प्रतिशत थी और 17 प्रतिशत लघु जल बिजली परियोजनाओं के लिए था। अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में पवन ऊर्जा अधिकतम (54 प्रतिशत) साथ में सौर ऊर्जा (37 प्रतिशत), लघु जल बिजली (6 प्रतिशत) और बायोमास (3 प्रतिशत) थी।

वर्ष 2010-15 के दौरान कुल 3692.95 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का अधिकतम (56 प्रतिशत) योगदान साथ में लघु जल बिजली परियोजना (24 प्रतिशत) और सौर परियोजना (16 प्रतिशत) और बायोमास (4 प्रतिशत) रहा है।

राज्य में 39095 मेगावाट की अनुमानित संभावना के विरुद्ध अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता केवल 1243 मेगावाट थी।

संगठनात्मक संरचना

2.3.3 कंपनी के संगठनात्मक संरचना में शीर्ष स्तर पर निदेशक मण्डल शामिल है। ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कम्पनी के अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक की सहायता के लिए एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता, दो कार्यपालक अभियंताओं और एक नियंत्रक वित्त एवं लेखा हैं। आयुक्त के कार्यालय के अध्यक्ष (प्रधान सचिव), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन है और सहायता के लिए उपायुक्त, चार कार्यकारी अभियंता और एक लेखा अधिकारी है। कंपनी तथा विभाग की संगठनात्मक संरचना *परिशिष्ट 2.3.1* में दी गयी है।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.3.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य यह आंकलन करना है कि:-

- धन के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए अच्छा वित्तीय प्रबंधन तंत्र कम्पनी और विभाग में मौजूद था
- कंपनी/विभाग नव एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/भारत सरकार/मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक स्रोत की संभावित अक्षय ऊर्जा के अनुसार राज्य के ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा का योगदान बढ़ाने की योजना तैयार की है।
- योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन रूपरेखा के अनुसार किया गया था और योजनाओं/कार्यक्रमों का निरीक्षण पर्याप्त और प्रभावी था

लेखा परीक्षा मापदण्ड

2.3.5 निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से तैयार किया गया:

- अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नव एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम. एन.आर.ई.) के दिशा निर्देश ;
- अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन की नीतियां एवं निर्देश/दिशानिर्देश ;
- ऊर्जा के अक्षय स्रोत से बिजली के उत्पादन और सह उत्पादन पर मध्य प्रदेश विद्युत नियमक आयोग नियम 2008 एवं मध्य प्रदेश शासन के वित्तीय नियम/नियम।

लेखा परीक्षा के क्षेत्र एवं पद्धति

2.3.6 वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ग्रिड सम्बन्धित और ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः विभाग एवं कम्पनी की गतिविधियों को शामिल करते हुए यह निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2015 के दौरान संचालित किया गया। हमने 357 ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं में से 152 अभिलेखों की परीक्षण जांच की (94 क्रियाशील परियोजनाओं में से 38 एवं 69 निरस्त पंजीकृत परियोजनाओं में से 21 शामिल)।

इसके अलावा राज्य भर में 37 जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय में से चार¹ जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय, कम्पनी के प्रधान कार्यालय के साथ-साथ चुना गया। चयनित किये गये 4 जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालयों में 61 सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लाट में से 38 का चयन संयुक्त भौतिक सत्यापन हेतु लेखा परीक्षा दल तथा साथ में कंपनी का एक अधिकारी द्वारा किया गया।

प्रमुख सचिव नव एवं नवकरणीय, विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ 30 अप्रैल 2015 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली एवं क्षेत्रों पर चर्चा की गई। ऑडिट निष्कर्षों को 4 अगस्त 2015 को विभाग कम्पनी के संज्ञान में लाया गया। सरकार एवं कम्पनी के जवाब प्रतीक्षित है। निकास सम्मेलन 4 नवम्बर 2015 को आयोजित किया गया। प्रबंधन के मत को निश्चित स्थान पर प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की आगे आने वाले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजना

2.3.7 जैसा कि कंडिका 2.3.1 में चर्चा की गई है कि, राज्य में ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं को आयुक्त नव एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को सौंपा गया। ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता/अनुदान नव एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान नहीं की जाती है और परियोजनाओं को पूरी तरह से स्वयं के स्रोत से निजी विकासकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित किया गया है, हालांकि अक्षय ऊर्जा नीति में विकासकर्ताओं के लिए निजी भूमि की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट, संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद पर प्रवेश कर और वैट कर में छूट, बिजली शुल्क में छूट आदि प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं जैसा की **परिशिष्ट 2.3.2** में वर्णित है

नीति एवं योजना

लम्बी अवधि/अल्प अवधि योजनाओं का न बनाया जाना एवं लक्ष्यों का निर्धारण न होना

2.3.8 मध्य प्रदेश शासन ने पांच साल की अवधि के लिए राज्य में ऊर्जा नीति को जारी किया (अक्टूबर 2006) बाद में अलग से ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा नीतियां बायोमास सम्बन्धित ऊर्जा परियोजना (अक्टूबर 2011), लघु पन बिजली परियोजना (नवम्बर 2011), पवन ऊर्जा परियोजनाएं (जनवरी 2012) एवं सौर ऊर्जा परियोजनाएं (जुलाई 2012) नीतियां, ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की राज्य में स्थापना के लिए निजी विकासकर्ताओं को प्रोत्सासन एवं छूट प्रदान करती है जैसा की **परिशिष्ट 2.3.2** में वर्णित है।

हमने पाया कि उपरोक्त नीतियां जो बनी थी, राज्य में अक्षय ऊर्जा की सम्भावना के आंकलन पर सम्बन्धित नहीं थी जो की पहली बार हाल ही में अक्टूबर 2014 में आंकलित किया गया इसके अलावा, क्षमता वृद्धि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया और राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक/अल्पकालिक योजनाएं नहीं थी, परिणामस्वरूप राज्य में संभावित अक्षय ऊर्जा को एक सुनियोजित तरीके के इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

क्षमता वृद्धि के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया था और कोई राज्य में अक्षय ऊर्जा की संभावनाओं के विकास के लिये कोई दीर्घकालिक/अल्पकालिक योजनाएं नहीं थी।

¹ छिंदवाडा, शिवपुरी, भोपाल, रायसेन।

31 मार्च 2015 को विभाग द्वारा पंजीकृत, क्रियाशील और विपंजीकृत परियोजनाएं तालिका 2.3.2 में वर्णित है

तालिका 2.3.2

| स.क्र. | अक्षय ऊर्जा के स्रोत | पंजीकृत परियोजनाएं (मेगावाट) | क्रियाशील परियोजनाएं (मेगावाट) |
|--------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | सौर | 1007.50 | 453.22 |
| 2. | पवन | 7196.55 | 665.30 |
| 3. | लघु जल बिजली | 316.00 | -- |
| 4. | बायोमास | 471.20 | 55.40 |

(स्रोत: कम्पनी एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त के अनुसार यह देखा जा सकता है की परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई विशेष लक्ष्य नहीं थे, वर्ष 2010-11 से 2014-2015 के दौरान सौर में केवल 45 प्रतिशत, पवन में 9 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत बायोमास पर सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं ही पंजीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध क्रियाशील हुई इसके अलावा लघु जल बिजली अक्षय ऊर्जा में कोई भी परियोजना उक्त अवधि के दौरान क्रियाशील नहीं हुई थी। क्रियाशील परियोजनाओं की प्रतिशत में कमी को देखते हुए यह पाया गया कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने में निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का मूल उद्देश्य पूरा नहीं किया गया ।

प्रधान सचिव ने भविष्य में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की छोटी और लम्बी अवधि की योजना निर्दिष्ट करने के लिए निकास सम्मेलन में सहमती व्यक्त की ।

सुझाव :

विभाग को राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अक्षय ऊर्जा की स्रोतवार लक्ष्य उन्मुख योजना तैयार करनी चाहिये ।

परियोजना कार्यान्वयन

ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों का निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

सौर ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता वर्धन में न्यून उपलब्धि

2.3.9 म.प्र. में ग्रिड सम्बन्धित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये निजी क्षेत्र को भागीदारी को राज्य में सौर ऊर्जा सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से म.प्र. शासन ने (जुलाई 2012) में एक नीति जारी की परियोजना के क्रियाशील होने की अवधि 24 माह है। सौर नीति में प्रदान की गई प्रोत्साहन और छूटें **परिशिष्ट 2.3.2** में वर्णित है।

31 मार्च 2015 की स्थिति में पंजीकृत, क्रियाशील और निरस्त पंजीकृत परियोजनाओं की स्थिति **तालिका 2.3.3** में वर्णित है ।

तालिका 2.3.3

| वर्ष | पंजीकृत परियोजनाओं की संख्या | पंजीकृत परियोजनाओं की क्षमता (मेगावाट में) | क्रियाशील परियोजना | | विपंजीकृत परियोजना | |
|------------|------------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | नं. | (मेगावाट में) | नं. | (मेगावाट में) |
| 2010-11 | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12 | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 | - | - |
| 2012-13 | 32 | 334.95 | 17 | 35.21 | 4 | 120.00 |
| 2013-14 | 31 | 141.32 | 23 | 306.83 | 2 | 120.00 |
| 2014-15 | 30 | 529.23 | 10 | 109.18 | 2 | 7.00 |
| कुल | 94 | 1007.50 | 51 | 453.22 | 8 | 247.00 |

(स्रोत : जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित किया गया)

31 मार्च 2015 की स्थिति में कुल पंजीकृत क्षमता परियोजना में से केवल 45 प्रतिशत ही क्रियाशील हो सका।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2015 को स्थिति में कुल पंजीकृत क्षमता की परियोजनाओं में से केवल 45 प्रतिशत ही क्रियाशील हो सका है। इसके अलावा 2013-14 की तुलना में 2014-15 के दौरान यद्यपि पंजीकृत परियोजनाओं में लगभग तीन गुना 141 मेगावाट से 529 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि क्रियाशील क्षमता में वृद्धि में गिरावट 64 प्रतिशत 307 मेगावाट से 109 मेगावाट दर्ज की गई।

इसके अलावा 2012-13 से 2014-15 के दौरान कुल 94 पंजीकृत परियोजनाओं (1007.50 मेगावाट क्षमता) में से 8 परियोजना जिनकी संभावित क्षमता 247 मेगावाट (25 प्रतिशत) थी उनका पंजीकरण निरस्त हो गया। हमने परीक्षण जांच में पाया कि चार² परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त हो गया था। अन्य 17³ परियोजनाओं में भूमि की अनुलब्धता के कारण कोई प्रगति नहीं हो पाई। विभाग, विकासकर्ताओं के लिये भूमि के आवंटन को सुविधाजनक बनाने के लिये अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में विफल रहा। यह परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी एवं और परियोजनाओं के पंजीकरण के निरस्तीकरण के कारण था।

विभाग ने (जुलाई 2015) लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया है कि भूमि की अनुलब्धता और विकासकर्ताओं द्वारा नीति के प्रावधानों के गैर अनुपालन धीमी प्रगति के मुख्य कारण है।

यद्यपि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी एवं पंजीकरण के निरस्तीकरण के कारण की विभाग को जानकारी थी, फिर भी यह आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया। इस प्रकार राज्य और सौर ऊर्जा के लिये भारी अक्षय ऊर्जा क्षमता के बावजूद महज 3 प्रतिशत ही वर्तमान में उपयोग किया जा रहा जैसा कि तालिका 2.3.1 में बताया गया है।

अन्य अनियमितताएँ:-

2.3.10 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया देखी गई अन्य कमियां निम्नानुसार हैं:-

² एश्विन इन्टरप्राइजेज प्रा. लि., टी.एच.डी.सी., वारी इन्टरप्राइजेज, ए.डी.एस. प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.

³ स्वान पावर प्र. लि. (2), एम. & बी. स्विच गियर, स्टेपल एनर्जी प्र. लि., ऊजास एनर्जी (3), कैलाश देव बिल्ड, मैनेजमेन्ट मल्टी ट्रेड, वारी, वाल्सपन, अवन्ती पावर प्र.लि., साई प्रकाश पावर इण्डिया लि., सारंगगा रिन्युएबल एनर्जी, श्रीजी पालिमरस, ईस्टमैन इन्टरनेशनल

(अ) परियोजना मंजूरी और क्रियान्वयन बोर्ड बैठक का आयोजन न किया जाना

विभाग ने भूमि आवंटन के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए भी पी.सी.आई.बी. की बैठक आयोजित नहीं की।

सौर ऊर्जा नीति की धारा 7 खण्ड बी के अनुसार परियोजनाओं एवं अंतर विभागीय समन्वय के कार्यान्वयन में कठिनाईयों को हटाने के लिये मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित परियोजना मंजूरी और क्रियान्वयन बोर्ड (पीसीआईबी) को भेजा जाना था। जबकि चार निरस्त पंजीकृत परियोजनाओं की परीक्षण जांच में हमने पाया कि भूमि की अनुपलब्धता की वजह से आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा 17 परियोजनाओं के परीक्षण जांच में हमने पाया कि ये परियोजनाएँ क्रियाशील नहीं हो पायीं भूमि की अनुपलब्धता की वजह से, जैसा की कंडिका 2.3.9 में चर्चा की गई है। इसके बावजूद कोई पीसीआईबी बैठक 2010-11 से 2014-15 के दौरान परियोजनाओं के लिये भूमि आवंटन में कठिनाईयों की दूर करने के लिये विभाग द्वारा नहीं बुलाई गई थी।

निकास सम्मेलन में प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया कि भविष्य में पीसीआईबी बैठक के आयोजन के संबंध में आवश्यक अनुपालन जैसा कि नीति के प्रावधानों के निहित है, का पालन किया जायेगा।

(ब) निगरानी में कमी की वजह से बिजली उत्पादन के आकड़ों का गैर रखरखाव:

विभाग ने क्रियाशील सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उत्पादन का कोई भी विवरण संधारित नहीं किया है जो कि कमजोर निगरानी का सूचक है।

सौर ऊर्जा नीति भाग ख के अनुच्छेद 5(ग), 5(घ) के अनुसार परियोजना विकासकर्ताओं को मासिक तथा वार्षिक उत्पादन विवरणों को विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और विभाग को भी उपरोक्तानुसार एक आकड़ा संकोष (डाटा बैंक) का संधारण करना था। हमने पाया कि विभाग ने किसी भी क्रियाशील परियोजना का उत्पादन विवरण का संधारण नहीं किया। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा नीति के अनुसार क्रियाशील परियोजनाओं की निगरानी नहीं की गयी थी।

निकास सम्मेलन के दौरान, प्रमुख सचिव ने लेखा परीक्षा आक्षेप स्वीकार करते हुए नीति में प्रावधानित उपबंधों के पालन का आश्वासन दिया।

(ग) उर्जा क्रय अनुबंध उपलब्ध न होना :

सौर उर्जा नीति भाग 'अ' के अनुच्छेद 12 (ब) के अनुसार, उर्जा क्रय अनुबंध, विकासकर्ता तथा मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेन्ट कंपनी के बीच प्रशासनिक अनुमोदन के पाँच माह के अन्दर किये जाते थे। विभाग के पास विकासकर्ताओं द्वारा उर्जा क्रय अनुबंध हस्तांतरित होने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अतः विभाग सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत उक्त कि निगरानी में असफल रहा। हमने स्वतंत्र रूप से उर्जा क्रय अनुबंध हस्तांतरित होने की जानकारी मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेन्ट कंपनी से प्राप्त की। उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमने पाया कि 51 परियोजनाओं में (33 प्रतिशत) पावर मेनेजमेन्ट कंपनी द्वारा सिर्फ 17 परियोजनाओं के अनुबंध हस्तांतरित हुए। शेष 34 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ एक वर्ष पूर्व चालु हो चुकी थी। यह बात इस तथ्य को दर्शाती है कि 34 चालू परियोजनाओं (66 प्रतिशत) में राज्य सरकार/मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेन्ट कंपनी द्वारा उक्त परियोजनाएँ चालु होने के पश्चात् भी विद्युत आपूर्ति नहीं ली जा रही थी।

निकास सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने लेखा परीक्षा कंडिका को स्वीकार किया तथा उर्जा क्रय अनुबंध संबंधी नीति के प्रावधानों का भविष्य में ध्यान रखने का आश्वासन दिया।

ग्रिड सम्बन्धित पवन ऊर्जा परियोजनाएं :-

2.3.11 राज्य में ग्रिड सम्बन्धित पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने एक व्यापक नीति जारी

किया (जनवरी 2012)। विभाग ने समय-समय पर सरकारी और निजी भूमि पर परियोजनाओं के आवंटन के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किया परियोजनाओं के कार्यशील होने की समय सीमा 36 महीने है। पवन ऊर्जा नीति में प्रदान की गई छूट और प्रोत्साहन **परिशिष्ट 2.3.2** में वर्णित है।

31 मार्च 2015 की स्थिति में पंजीकृत, क्रियाशील एवं निरस्त पंजीकृत परियोजनाओं की स्थिति **तालिका 2.3.4** में वर्णित है।

तालिका 2.3.4

| वर्ष | पंजीकृत परियोजनाएं (सं) | पंजीकृत क्षमता (मेगा वाट में) | क्रियाशील परियोजनाएं (सं) | क्रियाशील परियोजनाएं (मेगावाट में) | विपंजीकृत परियोजनाएं (सं) | विपंजीकृत परियोजनाएं (मेगावाट में) |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 2009-10 | 13 | 582.70 | 1 | 15.00 | 8 | 306.50 |
| 2010-11 | 12 | 318.65 | 4 | 46.50 | — | — |
| 2011-12 | 8 | 268.75 | 5 | 100.50 | — | — |
| 2012-13 | 14 | 254.10 | 2 | 9.60 | — | — |
| 2013-14 | 40 | 1676.35 | 3 | 37.40 | 22 | 526.85 |
| 2014-15 | 83 | 4096.00 | 18 | 456.30 | — | — |
| कुल | 170 | 7196.55 | 33 | 665.30 | 30 | 833.35 |

(स्रोत : सूचना विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत योजनाएं की कार्यशील होने की लंबी समय सीमा के कारण पंजीकृत क्षमता की मात्र 9 प्रतिशत योजनायें ही क्रियाशील हो पाई।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पंजीकृत एवं क्रियाशील परियोजनाओं की संख्या काफी हद तक पिछले दो वर्षों में ऊपर आई है। हालांकि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं के कार्यशील होने की लंबी समय सीमा होने के कारण 7196.55 मेगावाट क्षमता पंजीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध 665.30 मेगावाट (9 प्रतिशत) क्षमता की परियोजनाएं ही मुख्य रूप से क्रियाशील हो पाई।

इसके अलावा वर्ष 2010-15 के दौरान निष्पादन गारंटी के न प्रस्तुत करने के कारण 833.5 मेगावाट (कुल पंजीकृत परियोजनाओं की 12 प्रतिशत) की क्षमता की 30 परियोजनाएं विपंजीकृत हो गई। इस प्रकार से परियोजनाओं की मृत्युदर अधिक थी।

मुख्य सचिव ने विकास सम्मेलन के दौरान कहा कि पवन ऊर्जा परियोजनाओं में प्रमुख पंजीकरण पिछले दो वर्षों के दौरान हुये हैं और इस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने की अवधि लगभग 3 वर्ष है इसलिये आगे आने वाले वर्षों में ये परियोजनाएं क्रियाशील हो जायेंगी। यह भी कहा कि सरकार को आने वाले वर्षों में लगभग 60 से 70 प्रतिशत कार्यान्वयन दर की उम्मीद है।

अन्य अनियमितताएं

2.3.12 पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पाई गई अन्य कमियां निम्न प्रकार हैं :-

(क) बिजली उत्पादन के आंकड़ों एवं क्रियाशीलता प्रतिवेदन के संधारण न करने के कारण निगरानी में अभाव

पवन ऊर्जा नीति के अनुच्छेद 6.3 खण्ड 'ब' के अनुसार परियोजनाओं के क्रियाशील होने के बाद प्रत्येक विकासकर्ता के लिये यह आवश्यक था कि वह मासिक बिजली उत्पादन के आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध करवाये। हमने पाया कि विभाग न तो ऐसा कोई आंकड़ा

विभाग द्वारा उत्पादन आंकड़ों का संधारण न करना निजी प्रावधानों का उल्लंघन

संधारित करता है और न ही क्रियाशील परियोजनाओं के उत्पादन आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके अलावा 11⁴ क्रियाशील परीक्षण जांच किये हुये परियोजनाओं में से 4⁵ परियोजनाओं में यह पाया गया कि, परियोजना की क्रियाशीलता प्रतिवेदन भी विभाग द्वारा नहीं संधारित की जा रही। यह दर्शाती है कि विभाग द्वारा परियोजनाओं की निगरानी, नीति के अनुसार नहीं की जा रही है।

(ब) विकासकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाना

पवन ऊर्जा नीति के अनुच्छेद 3.1.3 के अनुसार सरकारी भूमि पर परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिये विकासक को ₹ एक लाख प्रति मेगावाट की निष्पादित गारंटी जमा करनी है। एक 30 मेगावाट की कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान की परियोजना के मामले में हमने पाया कि ₹ 30 लाख की निष्पादन गारंटी विकासक से प्राप्त नहीं की गई।

निकास सम्मेलन के दौरान, मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि मामले की समीक्षा की जायेगी और तथ्यात्मक स्थिति से सूचित किया जायेगा।

लघु पवन बिजली परियोजना की गैर-क्रियाशीलता

2.3.13 राज्य में ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने ग्रिड संयोजित लघु पन बिजली परियोजना (एस.एच.पी.) नीति के कार्यान्वयन के लिये एक व्यापक नीति जारी की (नवम्बर 2011) विभाग ने अधिकतम 25 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना के लिये विकासकों से प्रस्ताव के लिये अनुरोध आमंत्रित किया है। परियोजना के कार्यशील होने की अवधि, विकासकर्ता एवं विभाग के बीच हाइड्रल पावर डेवलपमेंट करार के निष्पादन की तारीख से 35 से 48 महीने होती है। लघु पन बिजली नीति में प्रदान की गई प्रोत्साहन और छूट **परिशिष्ट 2.3.2** में वर्णित है –

31 मार्च 2015 की स्थिति में पंजीकृत, क्रियाशील एवं विपंजीकृत परियोजनाओं का वर्णन **तालिका 2.3.5** में है।

⁴ रिनयुएबल एनर्जी जेनेरेशन प्र.लि., गमेश विन्ड टरबाइन लि., सिद्धार्थ विन्ड एनर्जी लि., एनरकॉन इण्डिया लि.

⁵ बैतूल विन्ड फार्म लि., रिनयुएबल एनर्जी जेनेरेशन प्र.लि., गमेश विन्ड टरबाइन लि., सिद्धार्थ विन्ड एनर्जी लि., साउथर्न विन्ड फार्म लि., एनरकॉन इण्डिया लि., चोक्से एनर्जी इनफ्रा पावर लि., विन्ड वर्ल्ड इन्डिया लि., सुजलोन लि.(3)

तालिका-2.3.5

| वर्ष | पंजीकरण | | क्रियाशील ⁶ | | विपंजीकृत | |
|------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | संख्या | क्षमता (मेगावाट में) | (सं.) | क्षमता (मेगावाट में) | (सं.) | क्षमता (मेगावाट में) |
| 2010-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2011-12 | 1 | 0.50 | — | — | — | — |
| 2012-13 | 63 | 224.75 | — | — | 19 | 44.80 |
| 2013-14 | 19 | 86.15 | — | — | — | — |
| 2014-15 | 4 | 4.60 | — | — | — | — |
| कुल | 87 | 316.00 | — | — | 19 | 44.80 |

(स्रोत : जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

विभाग द्वारा 2010-15 के दौरान कोई भी लघु पन बिजली परियोजना क्रियाशील नहीं किया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2015 की स्थिति से 87 परियोजनाएं 316 मेगावाट की पंजीकृत हुई हैं जिनमें से कोई भी परियोजना लम्बी परियोजना कार्यान्वयन अवधि के कारण क्रियाशील नहीं हो पायी। जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान 44.80 मेगावाट की 19 परियोजनाएं (14 प्रतिशत) भूमि की अनुपलब्धता और विकासकर्त्ताओं की उदासीनता के कारण विपंजीकृत हो गईं।

इस प्रकार राज्य में लघु पन बिजली के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की क्षमता की संभावना का अभी तक दोहन नहीं किया जा रहा है।

निकास सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव ने आडिट टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की। तथ्य यह है कि लघु पन बिजली ऊर्जा क्षमता की संभावना, पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई भी क्षमता वर्धन न होने से नहीं बढ़ी है।

बायोमास सम्बन्धित बिजली परियोजनाओं का गैर-पंजीकरण :-

2.3.14 राज्य में बायोमास सम्बन्धित बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन ने ग्रिड संयोजित बायोमास बिजली परियोजना के कार्यान्वयन के लिये एक व्यापक नीति जारी की (अक्टूबर 2012) नई परियोजनाओं के आवंटन के लिये विभाग द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी की तारीख से 24 महीने के निर्धारित समय सीमा के भीतर क्रियाशील किया जाना था। बायोमास नीति में प्रदान प्रोत्साहन एवं छूटे परिशिष्ट 2.3.2 में वर्णित है।

31 मार्च 2015 की स्थिति में पंजीकृत क्रियाशील एवं विपंजीकृत परियोजनाओं का वर्णन तालिका 2.3.6 में है -

तालिका-2.3.6

| वर्ष | पंजीकृत परियोजनाएं (सं.) | पंजीकृत क्षमता (मेगावाट) | परियोजनाएं क्रियाशील (सं.) | क्रियाशील क्षमता (मेगावाट) | विपंजीकृत परियोजनाएं | |
|---------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | (सं.) | क्षमता (मेगावाट) |
| 2009-10 | 29 | 280.00 | 5 | 12.95 | — | — |
| 2010-11 | 17 | 186.00 | 3 | 7.05 | 16 | 152.00 |
| 2011-12 | — | — | 3 | 10.75 | 3 | 32.00 |
| 2012-13 | 2 | 5.20 | 2 | 1.45 | — | — |
| 2013-14 | — | — | 3 | 23.20 | 1 | 10.00 |
| 2014-15 | — | — | — | — | — | — |

⁶ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण व निजी पार्टी द्वारा राज्य में स्थापित 70.45 मेगावाट की एस.एच.पी. परियोजनाएं शामिल नहीं है

| | | | | | | |
|-----|----|--------|----|-------|----|--------|
| कुल | 48 | 471.20 | 16 | 55.40 | 20 | 194.00 |
|-----|----|--------|----|-------|----|--------|

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई जानकारी)

2013-15 की अवधि के दौरान कोई नई बायोमास परियोजना क्रियाशील नहीं की।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कोई नयी परियोजना पिछले 2 वर्षों में पंजीकृत नहीं हुई है इसके अलावा 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 471.20 मेगावाट क्षमता की पंजीकृत 48 परियोजनाओं में से 55.40 मेगावाट (12 प्रतिशत) की क्षमता के साथ केवल 16 परियोजनाएं ही क्रियाशील हुई। इसके अलावा 471.20 मेगावाट की कुल पंजीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध 194 मेगावाट (41 प्रतिशत) की प्रस्तावित क्षमता के साथ 20 परियोजनाएं विपंजीकृत हुई थी। यह दर्शाता है कि राज्य में बायोमास सम्बन्धित बिजली परियोजनाओं में विकासकर्ताओं का रुझान कम था, मुख्य कारण जिनमें बायोमास ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा के लिए अपर्याप्त टैरिफ और कच्चे माल की अनुपलब्धता कहा गया है। हालांकि हमने विभाग द्वारा संभावित विकासको द्वारा टंडी प्रतिक्रिया के कारणों को पहचानने के लिये विभाग/सरकार द्वारा उठाये गये किसी भी ठोस कार्यवाही का करना नहीं पाया।

निकास सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया था।

इस प्रकार बायोमास सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के भागीदारों को प्रोत्साहित करने का बायोमास नीति के उद्देश्य हासिल नहीं हो पाया है।

अन्य अनियमितता

2.3.15 बायोमास सम्बन्धित परियोजनाओं में पायी गई अन्य कमियां निम्नानुसार है :-

(क) विकासकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाना :-

6 विकासकर्ताओं से ₹ 72 लाख की निष्पादन गारंटी वसूल न करके उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

बायोमास नीति के अनुच्छेद 4.3 के अनुसार, इस परियोजना के क्रियाशील होने के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिये विकासकर्ता, परियोजना के आवंटन से एक महीने के भीतर ₹ एक लाख प्रति मेगावाट की दर से निष्पादन गारंटी जमा करेगा। क्रियान्वयन के तहत 12 मामलों में से 6⁷ मामलों की परीक्षण जांच में हमने पाया कि कुल ₹ 72 लाख निष्पादन गारंटी के विकासकर्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

तथापि विभाग ने निष्पादन गारंटी के संग्रह के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप विकासकों को अनुचित लाभ पहुँचा।

निकास सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए मुख्य सचिव ने उसके कारणों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया।

(ख) निगरानी के अभाव में उत्पादन आंकड़ों का संग्रहण न करना

विभाग द्वारा न उत्पादन आंकड़ों का संग्रहण की न ही क्रियाशील परियोजनाओं की निगरानी की।

उत्पादन आंकड़ों का संधारण न करने के कारण निगरानी का अभाव बायोमास नीति के अनुच्छेद 12.2 अ के अनुसार वितरण/प्रसारण कंपनी द्वारा प्रमाणित, उत्पादित बिजली का मासिक आंकड़ा विकासकर्ताओं को विभाग में प्रस्तुत किया जाना था।

⁷ बैतूल नॉन कानवेनशियल एनजी प्र. लि., हेमा श्री एग्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जैन रिन्यूएबल एनर्जी प्र. लि., एस.आर. रिन्यूएबल एनर्जी, श्याम एग्रो नागपुर (प्र.) लि., शैलीवहन ग्रीन एनर्जी, जैन एनर्जी (प्र.) लि.

क्रियाशील 5⁸ परियोजनाओं की परीक्षण जांच में हमने पाया कि विभाग द्वारा उत्पादन आंकड़े संधारित नहीं किये जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा नीति के अनुसार क्रियाशील परियोजनाओं की निगरानी नहीं की जा रही।

निकास सम्मेलन के दौरान, मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और भविष्य में बिजली उत्पादन के आंकड़ों के संधारण के सम्बन्ध में नीति के प्रावधानों के आवश्यक अनुपालन का आश्वासन दिया।

सुझाव : कंपनी को अक्षय ऊर्जा के लिये नीति की रूपरेखा का मूल्यांकन करना चाहिये और देखी गई बाधाओं के अनुसार प्रावधानों के पूर्ण विवरण में जाकर इनका क्रियान्वयन करना चाहिये।

ऑफ ग्रीड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं

कंपनी राज्य में बिना ग्रीड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये पायी है जिसमें सौर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट, स्ट्रीट लाइट, होम लाइट सयंत्र, सौर गर्म जल सयंत्र, सौर जल पम्प और दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा घरेलू उपयोग के लिये बायोगैस सयंत्र भी बिना ग्रीड अक्षय ऊर्जा के घटक में से एक है हालांकि बायोगैस सयंत्र के कार्यान्वयन कंपनी द्वारा नहीं किये गये हैं।

वित्तीय प्रबंधन

एम.एन.आर.ई., मध्यप्रदेश शासन एवं लाभार्थियों के धन का कम उपयोग :-

2.3.16 विभिन्न बिना ग्रीड सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों से केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में एम.एन.आर.ई. (सी.एफ.ए.) से धन प्राप्त होता है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान एम.एन.आर.ई., मध्य प्रदेश शासन और लाभार्थियों से प्राप्त धन **तालिका 2.3.7** में वर्णित है :-

तालिका- 2.3.7

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | एम.एन.आर.ई. | | मध्यप्रदेश शासन | | लाभार्थियों | |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | प्राप्त धन | व्यय | प्राप्त धन | व्यय | प्राप्त धन | व्यय |
| 2010-11 ⁹ | 27.02 | 23.03 | 27.46 | 17.90 | 17.48 | 7.95 |
| 2011-12 | 21.84 | 8.55 | 6.36 | 4.95 | 49.92 | 5.50 |
| 2012-13 | 7.05 | 9.12 | 17.61 | 5.27 | 15.50 | 8.36 |
| 2013-14 | 2.16 | 19.27 | 35.82 | 18.46 | 78.28 | 33.46 |
| 2014-15 | 23.56 | 15.70 | 9.29 | 26.08 | 33.34 | 52.12 |
| कुल | 81.63 | 75.67 | 96.54 | 72.66 | 194.52 | 107.39 |

(स्रोत : जानकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

31 मार्च 2015 को लाभार्थियों को प्राप्त ₹ 87.13 करोड़ की राशि कम्पनी के पास बेकार पड़ी हुई है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान उपलब्ध धन की उपयोगिता एम.एन.आर.ई. द्वारा उपलब्ध धन की दशा में 93 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध धन की दशा में 75 प्रतिशत है। जबकि, लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध धन की उपयोगिता महत्वपूर्ण रूप से कम थी। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान लाभार्थियों से प्राप्त ₹ 194.52 करोड़ के विरुद्ध कंपनी ने केवल ₹ 107.39 करोड़

⁸ आर्या एनर्जी लि., ओरिन्ट ग्रीन पावर, अनंत उर्जा प्र. लि., लंकेश प्र. लि., प्रगया एनर्जी प्र. लि.

⁹ वर्ष 2010-11 के प्राप्त धन के भागों में प्रारम्भिक शेष ₹ 6.28 करोड़, ₹ 6.18 करोड़ एवं ₹ 4.93 करोड़ एम.एन.आर.ई., मध्यप्रदेश और लाभार्थी से थे।

(55 प्रतिशत) ही उपयोग कर पायी, 31 मार्च 2015 को कंपनी के पास लाभार्थियों का ₹ 87.13 करोड़ बेकार पड़ा रहा। धन के कम उपयोग के कारणों की चर्चा कंडिका 2.3.18 और 2.3.19 में की गई है।

निकास सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया। तथ्यात्मक स्थिति यह है कि लाभार्थी कंपनी में धन जमा करने के बावजूद भी अक्षय ऊर्जा से मिलने वाले लाभों से वंचित हो गये।

सुझाव :

कंपनी को लाभार्थियों के धन को उपयोग करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

नीति एवं योजना

2.3.17 मध्यप्रदेश शासन ने (अक्टूबर 2006) राज्य की ऊर्जा नीति जारी की पांच साल की अवधि के लिए, इस नीति के समापन के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन ने बिना ग्रिड सम्बन्धित सौर संयंत्रों की स्थापना के लिये कोई विशेष नीति एवं लक्ष्य नहीं बनाया। अतः कंपनी ने एम.एन.आर.ई. द्वारा बिना ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन किया।

ऑफ ग्रिड प्रणाली आधारित संयंत्रों की स्थापना के लिये कोई विशेष नीति नहीं बनाई

बिना ग्रिड सम्बन्धित प्रतिवेदनों के लिए क्योंकि कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था इसलिये बिना ग्रिड सम्बन्धित प्रतिष्ठानों की स्थापना लाभार्थियों से प्राप्त तदर्थ मार्गों के आधार पर किया गया। अतः लक्ष्यों को निश्चित नहीं करने और राज्य की कोई विशेष नीति न बनी होने के कारण राज्य में बिना ग्रिड सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के लिये पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

निकास सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया।

परियोजना कार्यान्वयन

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत एवं उसके विरुद्ध प्राप्तियां विभिन्न बिना ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिये तालिका 2.3.8 में वर्णित है।

तालिका-2.3.8

| | विभिन्न बिना ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| | सौर फोटो बोल्टिम पावर प्लांट (नं.) | सौर स्ट्रीट लाइट संयंत्र (नं.) | होम लाइट संयंत्र (संख्या) | सौर गर्म जल संयंत्र (संख्या) | सौर पावर गर्म जल संयंत्र | दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (गांवों की संख्या) |
| स्थापना के लिये स्वीकृत | 1565 | 1287 | 16213 | 81.69 | 2191 | 223 |
| प्राप्तियां | 592 | 1263 | 15932 | 18.69 | 1919 | 220 |

(स्रोत : जानकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कंपनी की उपलब्धि दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत उल्लेखनीय रही है (98 प्रतिशत) स्ट्रीट लाइट संयंत्र (98 प्रतिशत) होम लाइट संयंत्र (98 प्रतिशत) और सौर फोटो बोल्टिक जल पंप (88 प्रतिशत) जबकि सौर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट एवं सौर गर्म जल संयंत्र के संबंध में प्राप्तियां नगण्य 38 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत क्रमशः रही। इस प्रकार इन कार्यक्रमों

में लाभार्थियों द्वारा रूचि दिखाने के बावजूद अक्षय ऊर्जा संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि आगे कंडिका 2.3.18 एवं 2.3.19 में चर्चा की गई है।

सुझाव :-

बिना ग्रिड सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिये एक आवश्यकता सम्बन्धित और लक्ष्य सम्बन्धित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये कंपनी को एक नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिये।

सौर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट में न्यून उपलब्धि :-

2.3.18 पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने और कार्यालय भवन एवं घर की मौजूद छत के स्थान को अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिये उपयोग करने के उद्देश्य से कंपनी रूफ टाप सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता 1 किलोवाट से 100 किलोवाट के बीच होती है।

एम.एन.आर.ई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना ग्रिड सम्बन्धित एवं विकेन्द्रीकृत सौर प्रयोग (जून 2010) ने कार्यान्वयन के लिये एम.एन.आर.ई. 30 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, मध्यप्रदेश शासन 20 प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है बाकी की 50 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कंपनी ने ₹ 18.42 करोड़ एम.एन.आर.ई. से ₹ 15.34 करोड़ मध्यप्रदेश शासन से और लाभार्थियों से ₹ 67.72 करोड़ सौर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिये प्राप्त किये इसी के विरुद्ध कंपनी ने ₹ 70.03 करोड़ खर्च कर सकी। 31 मार्च 2015 की स्थिति में सौर फोटो बोल्टिक संयंत्रों के लाभार्थियों के अंश ₹ 34.08 करोड़ कंपनी के पास बेकार पड़े रहे।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा अवगत करा दी गई स्वीकृत एवं कंपनी द्वारा स्थापित सौर फोटो बोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों का वर्णन तालिका 2.3.9 में है।

तालिका-2.3.9

| वर्ष | अवगत करा दी गई स्वीकृत सौर फोटो बोल्टिक ऊर्जा संयंत्र | | सौर फोटो बोल्टिक ऊर्जा संयंत्र कंपनीद्वारा स्थापित | |
|------------|---|------------------|--|------------------|
| | संख्या | क्षमता (किलोवाट) | संख्या | क्षमता (किलोवाट) |
| 2010-11 | 200 | 1845 | 67 | 525 |
| 2011-12 | 937 | 3020 | 36 | 216 |
| 2012-13 | 428 | 1860 | 57 | 369 |
| 2013-14 | निरंक | निरंक | 402 | 1343 |
| 2014-15 | निरंक | निरंक | 30 | 608 |
| कुल | 1565 | 6725 | 592 | 3061 |

(स्रोत : जानकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

कार्य आदेश के निरन्तर निरस्त होने के कारण एम.एन.आर. ई. एवं सौर पावर बोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों के 62 प्रतिशत संयंत्र स्थापित नहीं हो सके तथा हितग्राही के ₹ 34.08 करोड़ कंपनी के पास बेकार पड़े रहे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के दौरान कंपनी एम.एन.आर.ई. द्वारा मंजूर सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों की संख्या में से मात्र 38 प्रतिशत ही क्रियाशील कर पाई और एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत क्षमता के संदर्भ में मात्र 45 प्रतिशत क्रियाशील कर पाई।

हमने पाया कि स्वीकृत सौर फोटो वोल्टिक प्लांट की स्थापना के लिये जिन दो फर्मो प्रारंभ में कार्य आदेश जारी किये गये थे (जनवरी 2013 से अप्रैल 2013) उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया परिणामस्वरूप उनके कार्य आदेश निरस्त किये गये। बाद में कार्य आदेश (अगस्त 2013 से मार्च 2014) एक और फर्म को जारी किये गये बचे हुये कार्य के लिये थे कार्य

आदेश भी एक बार फिर से रद्द हो गया क्योंकि नई फर्म ने भी काम बीच में ही छोड़ दिया।

कंपनी, आपूर्तिकर्ताओं की ओर से काम न कर पाने के कारणों का आंकलन करने में विफल रही और कार्य के सफल समापन सुनिश्चित करने के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।

नतीजन 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत संख्या के मामले में सौर फोटो बोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों के 62 प्रतिशत को 31 मार्च 2015 तक की स्थिति में स्थापित नहीं किये जा सके।

कंपनी ने उत्तर दिया (जून 2015) कि निविदा प्रक्रिया में देरी की वजह से निधि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। निकास सम्मेलन के दौरान प्रधान/सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और बिना ग्रीड सम्बन्धित स्थापना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले अनुबंध प्रबन्धन के मुद्दों से निपटने के लिये आश्वासन दिया।

तथ्य शेष रहा कि लाभार्थी राशि जमा करने के पश्चात् भी अक्षय उर्जा के लाभो से वंचित रहें।

सुझाव : :-

कंपनी को अनुबंध प्रबन्ध में सुधार और अक्षय ऊर्जा प्रणालिया के समय पर स्थापना के लिये विक्रेता आधार में वृद्धि करनी चाहिए।

सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना न होना

2.3.19 एम.एन.आर.ई. राज्य नोडल एजेंसियों, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और निजी संस्थाओं के माध्यम से सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना के लिये योजना लागू कर रही है।

इस योजना के तहत एम.एन.आर.ई. प्रणाली की लागत पर 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) प्रदान करती है शेष 70 प्रतिशत लागत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाना था। हालांकि सब्सिडी का वितरण अक्टूबर 2014 से एम.एन.आर.ई. द्वारा बंद कर दिया गया है अब सौर गर्म जल संयंत्र का कार्यान्वयन 100 प्रतिशत लाभार्थी निधि से किया जाता है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कंपनी ने एम.एन.आर.ई. से ₹ 7.61 करोड़ प्राप्त किये जिसमें एम.एन.आर.ई. से ₹ 2.88 करोड़ एवं लाभार्थी से 4.73 करोड़ थे, जिसमें से केवल ₹ 1.98 करोड़ ही खर्च हुए शेष खर्च नहीं की गई ₹ 5.63 करोड़ (74 प्रतिशत) जिसमें एम.एन.आर.ई. का ₹ 1.09 करोड़ एवं लाभार्थी का ₹ 4.54 करोड़ का अंश मार्च 2015 की स्थिति में पड़ा था।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्राप्त स्वीकृतियों और सौर ऊर्जा गर्म जल संयंत्र कार्यक्रम के तहत सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना का ब्यौरा तालिका 2.3.10 में दिखाया गया है।

तालिका-2.3.10

| वर्ष | स्वीकृति क्षमता (ली. प्रतिदिन लाख में) | क्षमता उपलब्धि (लीटर प्रतिदिन लाख में) |
|---------|--|--|
| 2010-11 | 15.00 | 2.25 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 2011-12 | — | 6.80 |
| 2012-13 | 8.75 | 5.32 |
| 2013-14 | 57.95 | 3.51 |
| 2014-15 | — | 0.78 |
| कुल | 81.70 | 18.66 |

(स्रोत : जानकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-15 के दौरान कंपनी एम.एन.आर.ई. द्वारा स्वीकृत 81.70 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के विरुद्ध कंपनी केवल 18.66 लाख लीटर प्रतिदिन (22.84 प्रतिशत) क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र की ही स्थापना कर पाई। यह एक वर्ष से ज्यादा कंपनी के साथ अप्रयुक्त पड़ा हुआ लाभार्थियों के अंशदान के रूप में ₹ 4.54 करोड़ धन की उपलब्धता के बावजूद था।

दो कार्य आदेशों के परीक्षण जांच के दौरान हमने पाया कि फर्म जिसे कि एक स्थल¹⁰ पर 40000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना का कार्य आदेश दिया गया था उसने कोई भी कार्य शुरू नहीं किया और दूसरी फर्म जिसे कि 36 स्थलों में कुल 209700 लीटर प्रतिदिन क्षमता का आदेश दिया गया था उसने केवल 10 साइटों¹¹ पर ही काम किया। दोनों मामलों के यद्यपि आपूर्तिकर्ताओं के अनुबंध रद्द कर दिये गये थे (अक्टूबर 2014) और उनकी बयाना राशि को जब्त कर लिया गया था। कंपनी एक वर्ष बीतने के बाद भी कार्य के पुनः निविदा करने में विफल रही। नतीजन लाभार्थियों द्वारा ₹ 1.08 करोड़ अग्रिम भुगतान करने के बावजूद ही अक्षय ऊर्जा से मिलने वाले लाभों से वंचित हो गये।

निकास सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया।

तथ्य यह है कि, कंपनी एक वर्ष से भी अधिक के लिये लाभार्थी निधि को रखने के बाद संयंत्रों को स्थापित करने में विफल रही।

बिना ग्रिड सम्बन्धित संयंत्रों का अनुचित निगरानी रखरखाव :-

2.3.20 बन्द ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोगों के लिये एम.एन.आर.ई. के दिशा-निर्देशों (जून 2010) की धारा 10 के अनुसार कंपनी के अधिकारियों को वास्तविक आधार पर लाभार्थियों के स्थल पर स्थापित संयंत्रों की जमीन पर जाकर प्रत्यक्ष अवलोकन करना आवश्यक था। इसके अलावा दिशा -निर्देशों के अनुसार दो साल की वारंटी के साथ ही वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद तीन साल की अवधि के लिये व्यापक रख-रखाव के अनुबंध के लिये प्रावधान संयंत्रों के आपूर्तिकर्ताओं के लिये जारी किये गये क्रय आदेशों में शामिल हो गये थे। आपूर्तिकर्ताओं को भी कंपनी के लिये प्रणाली के काम-काज पर त्रैमासिक व्यापक रख-रखाव प्रमाण-पत्र (सी.एम.सी.) प्रस्तुत करना आवश्यक था।

हमने पाया कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक आधार पर कोई भी प्रत्यक्ष अवलोकन संयंत्रों की जमीन पर नहीं की गई थी।

चार¹² जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी के कार्यालयों के क्षेत्र दौरे एवं 61 स्थापित सौर फोटो वोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों में से 38 संयंत्रों की कंपनी के कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा दल

¹⁰ बामौर साईट

¹¹ (1) कस्तूरबा गाँधी गर्ल्स हॉस्टल पारसियाँ, तमियाँ, डाइट अमरवाडा, (2) हनुमान मंदिर छिंदवाडा (3) कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन बडवाह, बरवानी, दुधी एवं झबुआ और टीकमगढ़

¹² छिंदवाडा, शिवपुरी, भोपाल, रायसेन

के संयुक्त क्षेत्र दौरे के दौरान यह पाया कि 26 संयंत्र (68 प्रतिशत) क्रियाशील हालत में, चार संयंत्र (11 प्रतिशत) बंद अवस्था में और 8 संयंत्र (21 प्रतिशत) यद्यपि क्रियाशील हालत थे लेकिन पुर्जो/बैटरी संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। अक्षय ऊर्जा कार्यालय के परीक्षण जांच में यह भी पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा त्रैमासिक व्यापक रख-रखाव प्रमाण-पत्र (सी.एम.सी.) किसी भी कार्यालय में नियमित रूप से नहीं किया गया। निकास सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

इस प्रकार कंपनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रख-रखाव के कार्य की निगरानी करने में असफल रही और साथ ही स्थापित संयंत्रों दीर्घ कालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में असफल रही जिसके कारण स्थापित संयंत्र कमजोर अस्तित्व/कामकाज में परिणामित हुये और अक्षय ऊर्जा से अभिप्रेत लाभों से लाभार्थी वंचित हुये।

सुझाव :

कंपनी उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने और कामकाज के लिये स्थापित बंद ग्रिड संयंत्रों की निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिये।

दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

2.3.21 भारत सरकार ने (2005-06) ऊर्जा गैर-पारंपरिक माध्यम से दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिये कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन दूरस्थ अविद्युतीकरण गांवों को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युतीकरण करना था जहां ग्रिड से संयोजना साध्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है। कार्यक्रम जिला स्तर के निकायों की सक्रिय भागीदारी, पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम परिषदों आदि के साथ राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाना था।

अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता एम.एन.आर. ई. द्वारा प्रदान किया गया था। परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत लाभार्थियों, राज्य योजना, या अन्य स्रोतों/विकास योजनाओं से योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कार्यक्रम के तहत उपलब्ध धन राशि ₹ 28.11 करोड़ लगभग पूरी तरह से खर्च हो गये। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कंपनी ने स्वीकृत किये गये 223 अविद्युतीकृत गांवों के विरुद्ध 220 गांवों (98 प्रतिशत) को विद्युतीकृत किया गया था और स्वीकृत 1287 स्ट्रीट लाईट संयंत्रों के विरुद्ध 1263 (98 प्रतिशत) संयंत्रों को क्रियाशील किया एवं स्वीकृत 16213 होम लाईट संयंत्रों के विरुद्ध 15932 (98 प्रतिशत) संयंत्रों को क्रियाशील किया। इस तरह दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उन्हें लगभग पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया था।

इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा दल की छः¹³ कंपनी दूरस्थ गांवों का क्षेत्र दौरा करने पर पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से संयंत्रों का रखरखाव किया जाता है। दो गांवों में लाभार्थी संयंत्रों से संतुष्ट थे जबकि दूसरे गांव में लाभार्थियों ने बैटरी मंद रोशनी एवं क्षमता में समय के साथ-साथ क्रमिक गिरावट के बारे में शिकायत की।

¹³ सतकुण्डा, गोपीसुर, पंजीर, झीरीभेदिया, भूराखेडा, सिराली

अक्षय खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.)

बाध्य संस्थाओं द्वारा अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता के गैर-अनुपालन

2.3.22 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नियमों 2008 (ऊर्जा के अक्षय स्रोत से बिजली की सह-उत्पादन और उत्पादन) के अनुसार अक्षय खरीद दायित्व (आर.पी.ओ.) लक्ष्य से न्यूनतम मात्रा के मामले में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खरीदे जाने बाध्य इकाई (ओ.ई.) यानी मध्यप्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों¹⁴ (डिस्काम) के लिए तय किया गया है।

इसके बाद संशोधित नियमों (नवम्बर 2010) के तहत वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में सौर और गैर सौर अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खरीदे जाने वाली ऊर्जा के अलग-अलग लक्ष्यों को तालिका 2.3.11 में वर्णित किया गया है।

तालिका-2.3.11

| क्रम संख्या | वर्ष | सौर (%) | गैर सौर (%) | कुल (%) |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| 1 | 2010-11 | .. | 0.80 | 0.80 |
| 2 | 2011-12 | 0.40 | 2.10 | 2.50 |
| 3 | 2012-13 | 0.60 | 3.40 | 4.00 |
| 4 | 2013-14 | 0.80 | 4.70 | 5.50 |
| 5 | 2014-15 | 1.00 | 6.00 | 7.00 |

(स्रोत : एम.पी.ई.आर.सी. नियमन 2010 आर.ई.सी. पर)

यदि बाध्य संस्थाएं न्यूनतम अक्षय ऊर्जा खरीद की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वे इस कमी को पूरा करने की हद तक राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा जारी किये गये अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आर.ई.सी.) की खरीद करता था। इसके अलावा बाध्य संस्था यदि कमी के लिये आर.ई.सी. खरीद नहीं करता है, तो वे एम.पी.ई.आर.सी. के निर्देशों के अनुसार बाध्य संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे एक अलग कोष में इस तरह की राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान डिस्काम द्वारा उनके कुल ऊर्जा खरीद में अक्षय ऊर्जा खरीद में अक्षय ऊर्जा के एमपीईआरसी द्वारा तय लक्ष्य और वास्तविक अक्षय ऊर्जा खरीद एवं उसमें कमी के विवरण तालिका 2.3.12 में है :-

तालिका 2.3.12

| वर्ष | कुल ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट) ¹⁵ | अक्षय खरीद बाध्यता लक्ष्य (मिलियन यूनिट) | | अक्षय खरीद बाध्यता प्राप्ति (मिलियन यूनिट) | | कमी (मिलियन यूनिट) | | बाध्य संस्था द्वारा आरईसी व खरीदना (करोड़ में) कुल |
|---------|---|--|---------|--|---------|--------------------|---------|--|
| | | सौर | गैर सौर | सौर | गैर सौर | सौर | गैर सौर | |
| 2010-11 | 38855.00 | 0.00 | 311.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

¹⁴ मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र वि.वि. निगम लि., जबलपुर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र वि.वि. निगम लि., भोपाल, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र वि.वि. निगम लि., इन्दौर

¹⁵ मिलियन ईकाई

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2011-12 | 40410.00 | 161.60 | 849.00 | 0.00 | 540.00 | 161.60 | 309.00 | 395.23 |
| 2012-13 | 44590.00 | 267.50 | 1516.00 | 5.27 | 684.00 | 262.23 | 832.00 | 625.94 |
| 2013-14 | 53677.40 | 429.40 | 2523.00 | 172.40 | 755.00 | 257.00 | 1768.00 | 927.82 |
| 2014-15# | 56085.00 | 560.90 | 3365.00 | 398.25 | 800.57 | 162.65 | 2564.43 | 1064.21 |
| कुल | 233617.40 | 1419.40 | 8564.00 | 575.92 | 3117.57 | 843.48 | 5473.43 | 3013.20 |

(स्रोत: जानकारी मध्य प्रदेश पावन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई)

अस्थाई आंकड़े

डिस्काम द्वारा अक्षय ऊर्जा बाध्यता कमी के लिए ₹ 3013.20 करोड़ की आर.ई.सी. खरीद में असफल रहा।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-15 के दौरान बाध्य संस्थाओं/डिस्काम के लिये अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता के लिये लक्ष्य सौर (1419 मिलियन यूनिट) और सौर (8564 मिलियन यूनिट) से 9983 मिलियन यूनिट था। इस अवधि के दौरान राज्य में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन केवल 3693 मिलियन यूनिट था, बाध्य संस्थाएं अपने अक्षय ऊर्जा बाध्यता के लक्ष्य का केवल 37 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकी परिणामस्वरूप 6316.91 मिलियन यूनिट की कमी हुई।

हमने पाया कि अक्षय ऊर्जा बाध्यता की उपलब्धि में कमी के लिये बाध्य संस्थाओं को कुल ₹ 3013.20 करोड़ की आरईसी की खरीद या एमपीईआरसी के नियमों के अनुसार एक अलग कोष में राशि जमा करना आवश्यक था जबकि न तो कोई आरईसी खरीदी गई थी और नहीं कोई राशि अलग कोष में बाध्य संस्थाओं द्वारा जमा की गई थी।

अक्षय ऊर्जा बाध्यता को लगाने के पीछे उद्देश्य अधिक से अधिक जनता के हित में था क्योंकि इससे पर्यावरण की सुरक्षा पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है और ग्रीन हाऊस जैसों के उत्सर्जन में कमी आती है जो कि हासिल नहीं किया।

सुझाव :

सरकार को अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास करने चाहिये और डिस्काम को अक्षय ऊर्जा बाध्यता में कमी के लिये अपेक्षित आरईसी खरीद या एमपीईआरसी नियमों के अनुसार एक अलग कोष बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

ग्रिड आधारित अक्षय ऊर्जा परियोजना

• वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान अक्षय ऊर्जा के किसी भी स्रोत के लिये क्षमता वृद्धि के लिये कोई विशेष लक्ष्य तय नहीं था और कोई दीर्घकालिक/अल्पकालिक योजनाएं अक्षय ऊर्जा के विकास के लिये विभाग द्वारा नहीं बनाई गई थी नतीजन राज्य में संभावित अक्षय ऊर्जा का सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

विभाग को राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिये अक्षय ऊर्जा स्रोत वार लक्ष्य उन्नमुख योजना तैयार करनी चाहिये।

• 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार सौर में 453.22 मेगावाट की परियोजना (45 प्रतिशत), पवन में 665.30 मेगावाट (9 प्रतिशत) और बायोमास में 55.40 मेगावाट (12 प्रतिशत) क्षमता क्रमशः 1007.50 मेगावाट, 7196.55 मेगावाट और 471.20 मेगावाट पंजीकृत परियोजनाओं के विरुद्ध क्रियाशील किया गया है। इसके अलावा कोई छोटी पन बिजली परियोजना का विभाग द्वारा क्रियाशील नहीं किया गया था। इसके अलावा सौर में 247 मेगावाट की परियोजना (25 प्रतिशत) 833.35 मेगावाट पवन में (12 प्रतिशत), छोटी

पन बिजली 44.80 मेगावाट (14 प्रतिशत) और बायोमास में 194 मेगावाट (41 प्रतिशत) की परियोजनाओं का पंजीकरण विभाग द्वारा निरस्त किये गये थे ।

परियोजनाओं के क्रियाशील के कम प्रतिशत और ज्यादा विपंजीकरण के लिये परियोजनाओं के लिये भूमि का आवंटन न किया जाना, विकासकर्ताओं द्वारा उदासीनता दिखाया जाना कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऊर्जा के लिये अपर्याप्त टैरिफ और परियोजनाओं की लंबी कार्यान्वयन अवधि आदि कारण थे ।

कंपनी के अक्षय ऊर्जा के लिये नीति की रूपरेखा का मूल्यांकन करना चाहिये और देखी गई बाधाओं के अनुसार प्रावधानों के पूर्ण विवरण में जाकर इनका क्रियान्वयन करना चाहिये ।

- सरकारी भूमि पर पवन एवं बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं की समय सीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के लिये ली जाने वाली निष्पादन गारंटी को न वसूलने का कारण विकासकर्ताओं को ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया ।

ऑफ ग्रिड परियोजनाएं :

- ऑफ ग्रिड संयंत्रों की स्थापना के लिये क्योंकि कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था अतः ऑफ ग्रिड संयंत्रों की स्थापना लाभार्थियों से प्राप्त तदर्थ मार्गों के आधार पर किया गया था। इसके कारण राज्य में बंद ग्रिड संयंत्रों की स्थापना की पूर्ण संभावना का आंकलन नहीं किया सका और योजनाबद्ध तरीके से विकसित नहीं किया जा सका ।

बंद ग्रिड सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिये एक आवश्यकता सम्बन्धित और लक्ष्य सम्बन्धित दृष्टिगत सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी को एक नीतिगत ढांचा तैयार करना चाहिये ।

- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कार्यों को पूर्ण न कर पाने के कारणों का विश्लेषण करने में असफल होने के कारण और कोई सुधारात्मक कदम न उठाने के कारण कंपनी वर्ष 2010-15 के दौरान एमएनआरई द्वारा स्वीकृत 6725 किलोवाट पावर क्षमता के सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों के विरुद्ध कंपनी केवल 3061 किलोवाट(45 प्रतिशत) पावर क्षमता ही क्रियाशील कर पाई थी । इसमें परिणामस्वरूप लाभार्थी अक्षय ऊर्जा से मिलने वाले लाभ से वंचित हो गये यद्यपि उनका अंश ₹ 34.08 करोड़ कंपनी में बेकार पड़ा रहा ।

कंपनी को अनुबंध प्रबंध में सुधार और अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के समय पर स्थापना के लिये विक्रेता आधार में वृद्धि करनी चाहिये ।

- कम्पनी के कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा दल की संयुक्त भौतिक परीक्षणों के दौरान पाया गया कि 38 स्थापित सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्रों में से 4 संयंत्र क्रियाशील हालत में नहीं पाया गया और आठ संयंत्र तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे जिस पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तत्काल ध्यान नहीं दिया, ऐसा कम्पनी द्वारा निगरानी न करने और रखरखाव अनुबंध की शर्त के अनुसार संयंत्रों की त्रैमासिक रख रखाव प्रमाण पत्र को जमा करने के लिये जोर नहीं देने के कारण हुआ था ।

कम्पनी को स्थापित ऑफ ग्रिड संयंत्रों के निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिये उनके नियमित रख रखाव एवं कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के लिये ।

- वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य के अक्षय ऊर्जा के अपर्याप्त उत्पादन के कारण 6316.91 मिलियन यूनिट की अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) लक्ष्य को पूरा करने में कमी हुई थी ।

इसके अलावा विद्युत वितरण कम्पनियां, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता में कमी के लिये (आरईसी) की राशि ₹ 3013.20 करोड़ की खरीद नहीं की थी ।

सरकार को अक्षय ऊर्जा बाध्यता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास करने चाहिये और डिस्काम को एमपीईआरसी के नियमों के अनुसार अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता में कमी के लिये अपेक्षित आरईसी खरीदने चाहिये ।